

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2022 - 23

RISK
MANAGEMENT



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION




निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

**RISK
MANAGEMENT**



निदेशक मंडल की 61^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और लेखे



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

मिशन



लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए
निक्षेप बीमा के माध्यम से
बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित
करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न



एक सक्षम और प्रभावी
जमा बीमा प्रदाता के रूप में
पहचान बनाना जो पणधारकों की
आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित पत्र.....	i
भारत सरकार को प्रेषित पत्र	ii
निदेशक मंडल	iii
संगठन की संरचना	iv
निगम के संपर्क सूत्र	v
निगम के प्रमुख अधिकारी	vi
संक्षेपाक्षर	vii-viii
2022-23 एक नज़र में	ix
विशेषताएं	x-xiii
1. डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन	1-6
परिचय	1
इतिहास	1
संस्थागत कवरेज	1
बैंकों का पंजीकरण	2
बीमा कवरेज	2
सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार	2
बीमा प्रीमियम	2
पंजीकरण रद्द करना	3
बीमित बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण	3
दावों का निपटान	3
निपटाए गए दावों की वसूली	4
निधियां, लेखा और कराधान	4

2. प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण	7-20
परिचय	7
प्रबंधन नीति और रणनीति	8
डीआईसीजीसी में जोखिम प्रबंधन प्रथाएं	10
निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) लक्ष्य आकार - भारतीय अनुभव	16
निष्कर्ष अवलोकन	19
3. निदेशकों की रिपोर्ट	21-53
भाग I: परिचालन और कार्यपद्धति	21
निक्षेप बीमा योजना	21
निक्षेप बीमा निधि	22
निक्षेप बीमा दावों का निपटान	23
निपटाए गए दावे/प्राप्त चुकौतियाँ	23
कोर्ट मामले	24
ऋण गारंटी योजनाएं	24
भाग II: अन्य महत्वपूर्ण पहल / प्रगति	24
डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के तहत दावों का निपटान - वैधानिक समय सीमा के भीतर	
एआईडी के तहत बैंकों द्वारा दावों को प्रस्तुत करना	24
वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय	25
संचार नीति और रणनीति	25
जोखिम प्रबंधन	25
भाग III: लेखा विवरण	25
बीमा देयताएं	25

विषय सूची

वर्ष के दौरान राजस्व	25
संचित अधिशेष	26
निवेश	26
कराधान	26
भाग IV: खजाना परिचालन	26
भाग V: संगठनात्मक मामले	27
निदेशक मंडल	27
बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति	27
आंतरिक नियंत्रण	27
प्रशिक्षण और कौशल विकास	28
स्टाफ संख्या	28
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	28
हिंदी का प्रयोग	28
निगम में ग्राहक सेवा कक्ष	28
जन जागरूकता	28
अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ में भूमिका	29
लेखा परीक्षक	29
परिशिष्ट सारणियाँ	30-53
1 निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक - स्थापना के बाद से प्रगति	30
2 ए बीमाकृत बैंक - श्रेणी-वार	31
2बी बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार	31
3 2022-23 के दौरान पंजीकृत/विपंजीकृत बैंक	32

विषय सूची

4 जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : स्थापना के बाद से	33
5 बैंक-वार श्रेणी - बीमाकृत जमा	34
6 2022-23 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (परिसमाप्त/विलय किए गए बैंक)	35
6ए 2022-23 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंक).....	36
7 आकस्मिक देयता के तहत किया गया प्रावधान	37
7ए आकस्मिक देयता के तहत किया गया प्रावधान - एआईडी के तहत बैंक	38
8 निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ - 31 मार्च 2023 तक परिसमाप्त / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक	39
8ए बीमा दावों का निपटारा और प्राप्त चुकौती - सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक, 31 मार्च, 2023 तक	52
8बी त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए बीमा दावे - 31 मार्च 2023 तक	53
4. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	54-57
5. तुलन पत्र और लेखे	58-72

केंका.निबीप्रगानि.सवि.सं.ए532/01.01.016/2023-24

30 जून, 2023

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

सचिव विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय कार्यालय

केंद्रीय कार्यालय भवन

शहीद भगत सिंह मार्ग

मुंबई – 400 001

महोदय,

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न है:

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे और
 - 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।
- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के तहत अपेक्षित (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
 - निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,



(सतीश कुमार एस)

सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला,

मुंबई- 400 008, दूरभाष : 022-23028000 , ई-मेल : dicgc@ri.org.in

HEAD OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008,

Tel: 022-23028000, Mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

केंका.निबीप्रगानि.सवि.सं.ए532/01.01.016/2023-24

30 जून, 2023

प्रेषण पत्र

(भारत सरकार को)

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
जीवनदीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न है:

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे और
 - 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियां भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।
- ऊपर उल्लिखित (i) और (ii) की सामग्री (अर्थात् तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियां भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।
 - कृपया उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,



(सतीश कुमार एस)

सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला,

मुंबई- 400 008, दूरभाष : 022-23028000 , ई-मेल : dicgc@ri.org.in


HEAD OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008,
Tel: 022-23028000, Mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

अध्यक्ष डॉ. एम. डी. पात्र उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (31 मार्च 2020 से)
निदेशक डॉ. दीपक कुमार कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (4 जनवरी 2022 से)
श्री पंकज शर्मा संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (1 अप्रैल 2022 से)
डॉ. गोविंद राजुलु चिंतल अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (13 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2022)
श्री शाजी के. वी. अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (15 फरवरी 2023 से)

* 1 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार

संगठन की संरचना



टेलीफोन

022-2302 8237	प्रीमियम
022-2302 8233	दावे
022-2306 8223	आरएमसी
022-2301 1991	आरटीआई

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, 2रा तल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400 008. भारत

मुख्य महाप्रबंधक	anupkumar@rbi.org.in	022-2302 8220	
महाप्रबंधक	sathishkumar@rbi.org.in	022-2302 8226	
निदेशक (ई)	arunvishnukumar@rbi.org.in	022-2301 9792	
उप महाप्रबंधक	rkraj कुमार@rbi.org.in	022-2302 8209	
उप महाप्रबंधक	mysorte@rbi.org.in	022-2302 8201	
उप महाप्रबंधक	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 8206	
उप महाप्रबंधक	sangita@rbi.org.in	022-2302 8205	
उप महाप्रबंधक	cmsamuel@rbi.org.in	022-2302 1150	
निदेशक (डी)	ajoarder@rbi.org.in	022-2302 8224	

Email : dicgc@rbi.org.in
Website : www.dicgc.org.in

कार्यपालक निदेशक

डॉ. दीपक कुमार

मुख्य महाप्रबंधक

श्री अनूप कुमार

सचिव और निदेशक

श्री एस. सतीश कुमार

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

श्री एस. सतीश कुमार

निदेशक

श्री एन. अरुण विष्णु कुमार (निदेशक 'ई')

डॉ. अविजीत जोआरदार (निदेशक 'डी')

उप महाप्रबन्धक

श्री राज कुमार

श्री मंगेश वाई सोरते

श्रीमती पवनजीत कौर ऋषि

श्रीमती संगीता ई

श्री सी. एम. सैमुएल

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखा परीक्षक

मै. एनबीएस एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट

14/2, वेस्टर्न इंडिया हाउस

सर पी. एम. रोड, फोर्ट

मुंबई 400 001, भारत

* 1 जुलाई 2023 के अनुसार

संक्षेपाक्षर

एई	: विकसित अर्थव्यवस्थायें
एएफएस	: बिक्री के लिए उपलब्ध
एआईडी	: सर्व समावेशी निदेश
एएलएम	: परिसंपत्ति देयता प्रबंधन
एपीआरसी	: एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति
एएस	: लेखांकन मानक
बीसीबीएस	: बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
सीए	: चार्टर्ड एकाउंटेंट
सीएपी	: कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा कार्यक्रम
सीएसबीआई	: सीसीआईएल अखिल भारतीय सॉवरेन बांड सूचकांक
सीसीआईएल	: क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईएसटीएटी	: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीसीआई	: क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीजीएफ	: ऋण गारंटी निधि
सीजीएस	: ऋण गारंटी योजना
सीआईसी	: केंद्रीय सूचना आयोग
सीआईएसओ	: मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
सीपी	: मूल सिद्धांत
सीआरसी	: सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार
सीएसए	: नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा
डीआई	: जमा बीमा
डीआईए	: जमा बीमा एजेंसी
डीआईसी	: जमा बीमा निगम
डीआईसीजीसी	: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	: निक्षेप बीमा निधि
डीआईएस	: जमा बीमा प्रणाली
डीआर	: आपदा बहाली
ईएडी	: डिफॉल्ट पर एक्सपोज़र
ईसी	: अनिवार्य मानदंड
ईडी	: कार्यपालक निदेशक
ईकेपी	: एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल
ईएमई	: उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ
ईआरएम	: उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन
एफआईएमएमडीए	: फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन
एफआरएन	: फर्म पंजीकरण संख्या
एफवाई	: वित्तीय वर्ष
जीएपी	: आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
जीडीपी	: सकल घरेलू उत्पाद
जीएफ	: सामान्य निधि
जीएनपीए	: सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
जीओआई	: भारत सरकार
जीएस/जी-सेक	: सरकारी प्रतिभूतियाँ
जीएसटी	: वस्तु एवं सेवा कर
एचवाई	: छमाही
आईएडीआई	: जमा बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईसीएआई	: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

आईडीएल	: इंट्रा-डे तरलता
आईएफआर	: निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व
आईएफआरएस	: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईएमएफ	: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईआरए	: निवेश आरक्षित खाता
आईटी	: सूचना प्रौद्योगिकी
केवाईसी	: अपने ग्राहक को जानो
एलएबी	: स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एलएआर	: तरलता पर्याप्तता अनुपात
एलसीआर	: तरलता कवरेज अनुपात
एलजीडी	: चूकने से हुआ घाटा
एमआईएस	: प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमपीसी	: मौद्रिक नीति समिति
एमटीएम	: मार्क टू मार्केट
एमवीबी	: शुरुआत में बाजार मूल्य
एमवीई	: अंत में बाजार मूल्य
नाबार्ड	: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीएच	: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनडीएस-ओएम	: निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मिलान
एनएनपीए	: शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
एनएसओ	: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
ओईसीडी	: आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन
ओटीसी	: ओवर द काउंटर
पीबीएस	: भुगतान बैंक
पीडी	: डिफॉल्ट की संभावना
पीएमसीबीएल	: पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड
क्यूसीसीपी	: योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष
क्यूआर	: त्वरित प्रतिक्रिया
आरबीआई	: भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	: जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
आरसीएस	: सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
आरआर	: आरक्षित अनुपात
आरआरबी	: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	: सूचना का अधिकार
एससी	: अनुसूचित जाति
एसएफबी	: लघु वित्त बैंक
एसएलजीएस	: लघु ऋण गारंटी योजना
एसओपी	: मानक संचालन प्रक्रिया
एसटी	: अनुसूचित जनजाति
टैफ़कब	: सहकारी शहरी बैंकों पर टास्क फोर्स
टीएमओ	: ट्रेजरी मध्य कार्यालय
टीडबल्यूआर	: कुल भारित रिटर्न
यूडीआईएन	: विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या
यूएसए/यूएस	: संयुक्त राज्य अमेरिका
यूटी	: केंद्र शासित प्रदेश
वीएआर	: वैल्यू एट रिस्क



2022-23 एक नज़र में



62

वर्ष - जमा बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखने के

₹21,381 करोड़
एकत्रित प्रीमियम




2026

पंजीकृत बीमाकृत बैंक (मार्च 2023 के अंत तक)

₹ 752 करोड़

2022-23 में निपटाए गए दावे (परिसमाप्त और एआईडी के तहत बैंकों के लिए)



₹ 4,103 करोड़

सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंकों के 2,87,636 जमाकर्ताओं को आज तक किया गया अंतरिम भुगतान

₹ 1,69,602 करोड़

निक्षेप बीमा निधि (मार्च 2023 के अंत तक)

2.02%

आरक्षित अनुपात



98.1%

पूर्णतः संरक्षित जमा खाते

46.3%

संरक्षित जमा राशियाँ

₹ 883 करोड़

निपटाए गए दावों से वसूली



विशेषताएं - I : निक्षेप बीमा एक नज़र में

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1 पूंजी *	50	50	50	50	50
2 निक्षेप बीमा					
(i) निक्षेप बीमा निधि	93,751 (15.13)	1,10,384 (17.74)	1,29,904 (17.68)	1,46,842 (13.04)	1,69,602 (15.50)
(ii) बीमाकृत बैंक (वास्तविक संख्या)	2,098	2,067	2,058	2,040	2,026
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ	1,20,05,100 (7.17)	1,34,88,910 (12.36)	1,49,67,770 (10.96)	1,65,49,630 (10.57)	1,81,14,550 (9.46)
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ @	33,70,000 (2.89)	# 36,96,100 (9.68)	76,21,251 (10.91)	81,10,431 (6.42)	83,89,470 (3.44)
(v) बीमाकृत खातों की कुल संख्या (करोड़ में)	217.40 (12.00)	235.00 (8.10)	252.63 (7.50)	262.19 (3.78)	300.10 (14.46)
(vi) पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या (करोड़ में)	200 (12.68)	# 216.10 (8.05)	247.80 (7.27)	256.67 (3.58)	294.46 (14.72)
(vii) योजना के प्रारम्भ से प्रदत्त दावे ^	5,118	5,199	5,763	14,278	15,031

* निगम की सामान्य निधि के तहत है।

@ 4 फरवरी, 2020 से जमा बीमा कवर ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया।

वर्ष 2019-20 के लिए, ₹5 लाख के जमा बीमा कवर के लिए बीमित जमा और पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या क्रमशः ₹68,71,500 करोड़ और ₹231 करोड़ होने का अनुमान किया गया है।

^ इसमें आरबीआई द्वारा “सर्व समावेशी निदेशों” (2021-22 से आगे) के तहत रखे गए बैंकों और परिसमाप्त बैंकों के दावे शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर का प्रतिशत हैं।

विशेषताएं

परिचालनात्मक विशेषताएं- II : निक्षेप बीमा

(राशि ₹ करोड़ में)


विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व विवरण					
प्रीमियम आय	12,043 (8.22)	13,234 (9.89)	17,517 (32.36)	19,491 (11.27)	21,381 (9.70)
निवेश आय	7,245 (12.89)	8,532 (17.76)	9,650 (13.10)	10,496 (8.77)	11,908 (13.45)
निवल दावे	-152	54	993	8,121	730
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	19,147	15,486	26,555	20,566	33,391
कर के बाद राजस्व अधिशेष	11,931	10,302	19,332	15,239	24,559
तुलन पत्र					
निधि शेष (बीमांकिक)	5,756	12,087	12,275	13,974	12,174
निधि शेष	87,995	98,297	1,17,629	1,32,868	1,57,427
दावे संबंधी बकाया देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निष्पादन मैट्रिक्स					
1ए परिसमाप्त बैंकों के लिए दावे की प्राप्ति और दावा निपटान के बीच दिनों की औसत संख्या [@]	11	11	7	3	-
1बी.एआईडी के तहत बैंकों के लिए दावे की प्राप्ति और दावा निपटान के बीच दिनों की संख्या #				45	45
2. बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावा निपटान (प्रथम दावा) के बीच दिनों की औसत संख्या [@]	1,425	508	500	184	-
3. कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत (इसमें से: कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में कर्मचारी लागत)	0.30 0.12	0.29 0.10	0.20 0.10	0.14 0.06	0.16 0.08

@ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृति की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकली गई है।


डीआईसीजीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिसमापन के तहत बैंकों के लिए मुख्य दावे का निपटान नहीं किया है। तथापि, सर्वसमावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत बैंकों के संबंध में, विभाग ने डीआईसीजीसी द्वारा भुगतान के लिए उत्तरदायी होने और भुगतान की वास्तविक तारीख अर्थात् 90 दिनों से अधिक न होने के बीच सांविधिक समय-सीमा का पालन किया है।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर का प्रतिशत हैं।

विशेषताएं - III




विशेषताएं - IV



विशेषताएं - V

चार्ट III: बीमाकृत बैंकों की जमाराशि की तुलना में बीमा कवरेज का विस्तार

(31 मार्च 2023)



- टिप्पणियाँ:**
1. आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।
 2. ₹ 5 लाख जमा बीमा कवर से संबंधित आंकड़े ₹ 83,89,470 करोड़ हैं।

1.

डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन

1. परिचय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के कार्य, डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 और उक्त अधिनियम की धारा 50 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार की गई “निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961” के प्रावधानों के जरिए शासित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही थी, अतः अप्रैल 2003 में इस योजना का संचालन बंद कर दिया गया और निक्षेप बीमा ही निगम का प्रधान कार्य है।

2. इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमा राशियों का बीमा करने का विचार सामने आया। इसके बाद 1949 में यह मामला पुनः विचार हेतु प्रस्तुत हुआ परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को स्थगित रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में नए सिरे से ध्यान दिया गया। निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी, 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा योजना कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की गई। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं तथा अन्य वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं। निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत “पात्र सहकारी बैंकों” [पैरा 3 (ii) देखें] का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करते हुए भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान

करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा पारिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं अर्थातः निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) और क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को डीआईसीजीसी अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुनः इसे ‘निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961’ का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए गारंटी सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया। तथापि ऋण गारंटी योजना को अप्रैल 2003 से बंद कर दिया गया।

3. संस्थागत कवरेज

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्य बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

इसके अलावा, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 2 (जीजी) के तहत परिभाषित सभी पात्र सहकारी बैंक जमा बीमा योजना के तहत कवर किए गए हैं। इनमें भारत में कार्यरत सभी राज्य, जिला केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने डीआईसीजीसी अधिनियम के

अंतर्गत यथा अपेक्षित अपने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है। यह संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंक की प्रबंधन समिति को भंग करने का अधिकार देता है और यह अपेक्षा करता है कि सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनर्निर्माण के लिए कोई भी कार्रवाई केवल आरबीआई की लिखित पूर्व मंजूरी के साथ की जा सकती है। वर्तमान में, सभी सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। तीन संघशासित क्षेत्रों लक्षद्वीप, दमण एवं दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली और लद्दाख में कोई भी बीमाकृत/पंजीकृत सहकारी बैंक नहीं है।

4. बैंकों का पंजीकरण

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 11ए के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

सभी पात्र सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 13 (ए) के अंतर्गत प्राथमिक क्रेडिट समिति के प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाने के बाद लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन से तीन माह के भीतर निगम उसका पंजीकरण करेगा।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे अर्थात्,

निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के ब्यौरे आदि शामिल होने चाहिए।

5. बीमा कवरेज

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता, उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर 'समान क्षमता और समान अधिकार' में, मूलतः ₹1500/- तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है (तालिका 1) :

तालिका 1 : जमा बीमा कवरेज

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
4 फरवरी 2020	₹ 5,00,000/-
1 मई 1993	₹1,00,000/-
1 जुलाई 1980	₹30,000/-
1 जनवरी 1976	₹20,000/-
1 अप्रैल 1970	₹10,000/-
1 जनवरी 1968	₹5,000/-
1 जनवरी 1962	₹1,500/-

6. सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निगम (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियों; (ii) केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियों; (iii) अंतर बैंक जमाराशियों; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियों तथा (v) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त किसी राशियों को छोड़कर सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

7. बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है (तालिका 2)। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष (छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें।

प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से

8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अगस्त 2021 में किए गए डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15 (1) में संशोधन के अनुसार, डीआईसीजीसी अपनी वित्तीय स्थिति और देश में समग्र बैंकिंग क्षेत्र के हितों को देखते हुए, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से बीमा प्रीमियम पर प्रति ₹100 की जमा राशि पर 15 पैसे प्रति वर्ष की सीमा बढ़ा सकता है ;

तालिका 2 : ₹100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1 अप्रैल 2020	0.12
1 अप्रैल 2005	0.10
1 अप्रैल 2004	0.08
1 जुलाई 1993	0.05
1 अक्टूबर 1971	0.04
1 जनवरी 1962	0.05

8. पंजीकरण रद्द करना

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से बहाल किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जाएगा :- (i) नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो ; (ii) रिजर्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो ; (iii) स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यतः उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो ; और (iv) इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो ; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द हो जाता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने

की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

9. बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 35 के अनुसार निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार निगम के अनुरोध पर रिजर्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

10. दावों का निपटान

किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन आदेश की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1)] के साथ पठित 16(3). भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है तो योजना के अनुरूप निगम जमाकर्ताओं को इस समय तक लागू जमा बीमा योजना तक भुगतान करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] किया जाता है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा डीआईसीजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निगम को प्रस्तुत की जानी है। (अनुबंध चार्ट 1 में दी गई है)

ऐसे बैंक / बैंकों के संबंध में जिसके / जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या

बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है। [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18(1)]।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण/सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से करवाता है।

सामान्यतः निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र दावा राशि का भुगतान परिसमाप्त बैंक के परिसमापक/अंतरिती/बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम पर एजेंसी बैंक में खोले गए खाते में क्रेडिट करता है। तथापि, अनट्रेसेबल जमाकर्ताओं को देय राशि तब तक जारी नहीं की जाती जब तक इसके संबंध में परिसमापक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत न किए जाएँ।

इसके अलावा, अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम में किए गए संशोधन की धारा 18 ए के अनुसार, निगम आरबीआई द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा की सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है (अनुबंध चार्ट 2)। भुगतान आरबीआई द्वारा एआईडी लागू करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। बीमित बैंक को एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करनी होती है और निगम को 30 दिनों के भीतर दावों की वास्तविकता और प्रामाणिकता का सत्यापन करना होता है और अगले 15 दिनों के भीतर सम्मति प्रस्तुत करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करना होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक को समामेलन/समझौता या व्यवस्था/पुनर्निर्माण की योजना लाना उचित लगता है, तो निगम की देयता अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। एआईडी के अंतर्गत दावों के भुगतान की प्रक्रिया डीआईसीजीसी सामान्य विनियमों के विनियम 21ए के अनुसार है।

11. निपटाए गए दावों की वसूली

डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि और हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से किए गए व्यय

की राशि निकालने के उपरांत डीआईसीजीसी को चुकौती करें। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21 (3) के अनुसार निगम अपने बोर्ड के अनुमोदन से, डीआईसीजीसी के प्रति अपनी देयता का निर्वहन करने के लिए बीमित बैंक के लिए चुकौती अवधि को स्थगित या बदल सकता है। वर्तमान में एआईडी के तहत बैंक जिन्हें डीआईसीजीसी अधिनियम 18ए के तहत भुगतान किया गया है के लिए अपेक्षित है कि वे 5 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान करें। इसी अधिनियम की धारा 21 (4) के अनुसार निपटाए गए दावों के भुगतान में देरी के मामले में रेपो दर पर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत तक का दंडात्मक ब्याज वसूल कर सकता है।


12. निधियाँ, लेखा और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : अर्थात् (i) निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ); (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमशः बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹50 करोड़ है, जो पूर्णतः रिजर्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसके अतिरिक्त डीआईसीजीसी अधिनियम तीनों निधियों के बीच अंतरण की अनुमति देता है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्य पद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के 3 महीनों के अंदर रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। निगम प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है जबकि निपटाए गए दावों के पुनर्भुगतान के मामले में प्राप्ति आधार होता है।


निगम वित्तीय वर्ष 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। 1 अक्टूबर 2011 से निगम प्रीमियम आय पर सेवाकर के अधीन है और 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर के लिए उत्तरदायी है।

अनुबंध चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया



1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है/लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकार कर देता है और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस)/सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और डीआईसीजीसी को इसकी सूचना देता है। डीआईसीजीसी भी संबंधित आरसीएस/सीआरसीएस को परिसमापक की शीघ्र नियुक्ति के लिए लिखता है।
2. आरसीएस/सीआरसीएस परिसमाप्त बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा डीआईसीजीसी को सूचित करता है।
3. डीआईसीजीसी बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और नियुक्ति के 3 महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है।
4. परिसमाप्त बैंक के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के अनुपालन सहित दावा सूची और खाता बहियों का सत्यापन निगम के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों द्वारा किया जाता है। डीआईसीजीसी दावा सूची और बैंक के रिकॉर्ड की पुस्तकों के ऑनसाइट सत्यापन के लिए सीए के लिए एक परिचय पत्र आयोजित करता है।
5. परिसमापक दो भागों में दावा सूची तैयार करता है (भाग – क ट्रेस करने योग्य/केवाईसी अनुपालित और भाग-ख अनट्रेसेबल/केवाईसी अनुपालित नहीं) और जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सॉफ्ट फॉर्म में डीआईसीजीसी को प्रस्तुत करता है।
6. सीए को दावा सूची और इसे तैयार करने में प्रासंगिक परिसमाप्त बैंकों के अभिलेखों पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है।
7. मुख्य दावे के भाग क को प्रोसेस किया जाता है और पात्र बीमित जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करने के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है। भाग- ख सूची के संबंध में जब भी जमाकर्ताओं का पता लगाया जाता है/केवाईसी का अनुपालन किया जाता है परिसमापक अनुपूरक दावे के रूप में भुगतान के लिए भाग-ख सूची से दावे प्रस्तुत करते हैं।
8. नामित बैंक से लागू मुख्य दावा निपटान राशि एजेंसी बैंक के साथ रखे गए परिसमापक के खाते के नाम पर जारी की जाती है।
9. नामित बैंक संबंधित परिसमापक द्वारा प्रस्तुत किए गए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खाते के विवरण के आधार एनईएफटी/डीडी/एनएसीएच के माध्यम से जमाकर्ताओं को भुगतान जारी करता है।

अनुबंध चार्ट 2 : दावा निपटान प्रक्रिया - सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंक (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत)



1. भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत सर्व समावेशी निर्देश (एआईडी) लगाता है और डीआईसीजीसी, जहां बैंक जमा बीमा के लिए पंजीकृत है, को एक पृष्ठांकन के साथ जमा/निकासी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में एआईडी के तहत संबंधित बैंक को सूचित करता है।
2. डीआईसीजीसी, एआईडी के तहत रखे गए संबंधित बैंक को दिशा-निर्देश जारी करता है कि निर्देश लगाए जाने की तारीख को प्रत्येक जमाकर्ता की बकाया जमा राशि (सभी ऋणों/अग्रिमों को सेट ऑफ करने के बाद समान क्षमता और समान अधिकार में) को दर्शाने वाली विस्तृत सूची तैयार करे।
3. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के अनुसार, एआईडी के तहत रखे गए बैंकों को बैंक पर एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर निगम को संपूर्ण जमाकर्ता सूची प्रस्तुत करनी होती है। सूची में भाग ए सूची शामिल होनी चाहिए अर्थात्, जमाकर्ताओं की सूची जिनके दावा सम्मति फार्म 45 वें दिन तक प्राप्त हुए हैं और भाग बी सूची, अर्थात्, जमाकर्ताओं की सूची जिनके दावा सम्मति फार्म 45वें दिन तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन जमाकर्ताओं के लिए निर्धारित अवधि के भीतर दावा सम्मति फार्म प्राप्त हो जाते हैं उन्हें 90 वें दिन भुगतान के लिए विचार किया जाता है।
4. परिसमाप्त बैंक के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के अनुपालन सहित दावा सूची और खातों की पुस्तकों का सत्यापन निगम के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों द्वारा किया जाता है। सीए फर्म को डीआईसीजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों और अधिनियम प्रावधानों के अनुसार दावे का ऑन-साइट सत्यापन करना आवश्यक है।
5. सीए दावा सूची और जमा बीमा दावे के निपटान के लिए प्रासंगिक बैंक के ऐसे किसी भी रिकॉर्ड पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं।
6. सीए रिपोर्ट प्राप्त होने पर, डीआईसीजीसी द्वारा दावा संसाधित किया जाता है और अपनी सम्मति व्यक्त करने वाले जमाकर्ताओं को पात्र दावों के भुगतान के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है।
7. तब डीआईसीजीसी एजेंसी बैंक के माध्यम से दावे के संवितरण के लिए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक खाते का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ संबंधित बैंक के साथ भुगतान की जाने वाली सूची साझा करता है।
8. बैंक तब विधिवत भरी हुई सूची को डीआईसीजीसी को सूचित करते हुए एजेंसी बैंक से साझा करता है।
9. तब एजेंसी बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली सूची और एआईडी के तहत बैंक द्वारा दिए गए मंडेट के अनुसार दावों का वितरण किया जाता है।

2.

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

1. परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2022 के बाद से भू-राजनीतिक तनाव के कारण अनिश्चित समय का सामना कर रही है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान पैदा हो रहा है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है। 2022¹ में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई में गिरावट के साथ 2023² में 2.1 से 3.0 प्रतिशत के दायरे में कम रहने का अनुमान है। वैश्विक विकास परिदृश्य में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण है और 2022 और 2023 में 4 प्रतिशत वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर 2023 से संकेत मिलता है कि 2022 में "कई दशक के उच्च" से, वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति ने 2023 में नरमी के संकेत दिखाए हैं। हालांकि, कोर मुद्रास्फीति में गिरावट अब भी धीमी है। पिछले दो वर्षों की उच्च मुद्रास्फीति अपेक्षित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है, बदले में, भविष्य में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि संचार रणनीतियों सहित मौद्रिक नीति ढांचे में सुधार, एजेंटों की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से सूचित करने और मुद्रास्फीति को उनके लक्ष्यों तक वापस लाने में मदद कर सकता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति-रोधी मौद्रिक नीति अपनाने से ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से बैंकिंग जोखिम में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग संस्थानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप उनकी जिनका लीवरेज अधिक है, थोक जमा पर निर्भर हैं या उनकी बैलेंस शीट में अंतर्निहित परिसंपत्ति देयता बेमेल है।

सख्त मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों ने मार्च 2023 में अमेरिका और यूरोप में कुछ बैंकों के लिए जोखिम पैदा किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल 2023 में *अन्य बातों* के साथ-साथ कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क के सिग्नेचर बैंक की विफलताएं और क्रेडिट सुईस

में विश्वास की कमी सख्त मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के बीच संपर्क और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से कमजोरियों के निर्माण से उत्पन्न चुनौतियों की गहन याद दिलाती है। इसके अलावा, सख्त मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों का प्रभाव विभिन्न कारकों के कारण बढ़ सकता है, जिसमें वित्तीय लीवरेज के साथ-साथ परिसंपत्ति और देयता तरलता में बेमेल शामिल हैं। ऐसी कमजोरियों के सामने आने के मद्देनजर एक सुरक्षा-कवच प्रदाता के रूप में जमा बीमा हुई की भूमिका मजबूत हुई है। आने वाले समय में नीतिगत दरों पर कार्रवाई 2023 में अलग-अलग प्रकार से की जाने की उम्मीद है। कुछ केंद्रीय बैंकों ने दरों में बढ़ोतरी के आकार को कम किया है, कुछ ने रोक दिया है और अभी भी अन्य ने नए आंकड़ों के आगमन के आधार पर 'डेटा निर्भर दृष्टिकोण' अपनाया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स द्वारा समर्थित है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2022-23³ के दौरान 7.2 प्रतिशत और 2023-24⁴ में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24⁵ की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही और दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत। तीसरी तिमाही में यह 6.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में यह 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जुलाई और अगस्त 2023 में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति का स्तर काफी हद तक खाद्य मूल्य दबाव के कारण था। जुलाई-अगस्त 2023 के दौरान कोर मुद्रास्फीति नरम होकर 4.9 प्रतिशत पर आ गई। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है और 2023-24 में 5.4 प्रतिशत होने का अनुमान है (दूसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं⁶।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मार्च 2023 में अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे और इनकी परिसंपत्तियों और इक्विटी पर रिटर्न में वृद्धि हुई। उनकी सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (जीएनपीए) अनुपात में गिरावट जारी रही और मार्च 2023 में यह 10 साल

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का 'विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट', जुलाई 2023
2. आईएमएफ, विश्व बैंक और ओईसीडी ।
3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का 31 मई, 2023 का प्रेस नोट ।
4. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 6 अक्टूबर, 2023 का प्रस्ताव ।
5. एनएसओ का 31 अगस्त, 2023 का प्रेस नोट ।
6. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 6 अक्टूबर, 2023 का प्रस्ताव ।

के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर आ गया और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) अनुपात घटकर 1.0 प्रतिशत रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक के मई 2023 के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से पता चला है कि घरेलू प्रणालीगत जोखिम में योगदान करने वाले अधिकांश श्रेणियों में जोखिम कम हो गया है।⁷

इस अध्याय के शेष भाग को आगे बताये अनुसार संरचित किया गया है। अगले खंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल-मार्च) के दौरान डीआईसीजीसी (निगम) के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीति और रणनीतिक पहलों और भविष्य के लिए एक रूपरेखा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। खंड 3 निगम के जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को रेखांकित करता है, और खंड 4 जमा बीमा निधि के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय अनुभव पर चर्चा करता है। खंड 5 निष्कर्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है।

2. प्रबंधन नीति और रणनीति

2022-23 के दौरान, निगम के प्रबंधन (निदेशक मंडल) ने निगम के मिशन और विज़न के साथ संरेखित अपने नीतिगत निर्णयों को जारी रखा। निगम ने महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा-कवच प्रदाताओं में से एक के रूप में अपने मेंडेट को पूरा करने के लिए अपने प्रदर्शन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने की रणनीति शुरू की। निगम का ध्यान निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों पर रहा है : (क) निवेश रणनीति को कैलिब्रेट करना और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना, विशेष रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों के दौरान; (ख) सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ प्रथाओं को बेंचमार्क करना; (ग) संचार कार्यनीति और आउटरीच को सुदृढ़ करना; (घ) निगम के पूर्ण डिजिटल परिवर्तन को प्राप्त करना; (ङ) हितधारकों के साथ निकट संपर्क को सक्षम बनाना; और (च) डेटा एनालिटिक्स को बढ़ाना। इन उपायों से जनता की अपेक्षाओं और चुनौतियों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। भविष्य में निगम की भूमिका को आकार देने वाले उपायों और अपनाई गई रणनीतियों को संक्षेप में नीचे दिया गया है।

2.1 निवेश और जोखिम प्रबंधन रणनीति

निगम के ट्रेजरी विभाग ने धन का परिनियोजन करने के लिए सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार के विशिष्ट खंडों में लेनदेन किया, जिससे दावा भुगतान और वैधानिक कराधान सहित निगम के बकाया भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। इस तरह के लेनदेन में प्राथमिक

और द्वितीयक जी-सेक बाजार में और तरलता प्रबंधन उद्देश्यों के लिए बाजार रिवर्स रेपो सेगमेंट में किए गए सौदे शामिल थे। निवेश रणनीति ने एक साथ पोर्टफोलियो की तरलता प्रोफाइल को बनाए रखने और प्रतिकूल प्रतिफल गति से उत्पन्न ब्याज दर जोखिमों के कम होने पर ध्यान केंद्रित किया।

भारत में दरों में बढ़ोतरी शुरू होने के साथ ही ब्याज दरों में जोखिम काफी बढ़ गया था। मई 2022 से नीतिगत दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि के साथ, भारत सरकार के प्रतिभूति बाजारों में प्रतिफल वर्ष के दौरान बढ़ गया था, जिससे डीआईसीजीसी के निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य पर प्रतिकूल मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) प्रभाव पड़ा। नतीजतन, प्रतिकूल एमटीएम प्रभाव को कम करने के लिए, निगम ने 14 साल तक की अधिकतम परिपक्वता के साथ कम अवधि की प्रतिभूतियों में धन लगाने की रणनीति अपनाई। मौजूदा निवेश रणनीति में पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि को कम करना और इसे निचले स्तर पर बनाए रखना शामिल है। चूंकि ब्याज दर चक्र के संभावित शिखर पर पहुंचने के संकेत सामने आए, तरलता पहलुओं पर भी विचार करते हुए अपेक्षाकृत लंबी अवधि की प्रतिभूतियों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा, निधियों का परिनियोजन मुख्य रूप से तरल प्रतिभूतियों में किया गया था जो निगम को ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अपेक्षाकृत आसानी से धन जुटाने में सक्षम बनाएगा, जिससे पोर्टफोलियो के लिए तरलता जोखिम कम हो जाएगा। अंत में, ट्रेजरी विलों में निवेश निर्धारित कर भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया, इस प्रकार विशेष रूप से प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में दिनांकित प्रतिभूतियों को बेचने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।

पोर्टफोलियो के आकार में कई गुना वृद्धि और ट्रेजरी संचालन की जटिलता के साथ, प्रबंधन ने निगम की उभरती जरूरतों को पूरा करने में इसे और अधिक मजबूत और कुशल बनाने के लिए ट्रेजरी संचालन की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की। तदनुसार, तरलता और ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन, संचालन के लिए भौतिक अवसंरचना, एमआईएस आवश्यकताओं और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं सहित ट्रेजरी संचालन के कई पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आरबीआई और डीआईसीजीसी के विशेषज्ञों के साथ डीआईसीजीसी ट्रेजरी के लिए जोखिम प्रबंधन पर एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत होने पर, इसकी सिफारिशों की जांच की जाएगी ताकि ट्रेजरी संचालन की मजबूती में सुधार किया जा सके और निगम की निधियों की दक्षता और विवेकपूर्ण प्रबंधन में वृद्धि की जा सके।

निगम के ट्रेजरी मिड-ऑफिस (टीएमओ) ने ट्रेजरी संचालन के जोखिम मापदंडों की निगरानी जारी रखी। निगरानी किए गए मैट्रिक्स में तरलता और बाजार जोखिम, एकाग्रता अनुपात, वैल्यू-एट-रिस्क (वीएआर), स्ट्रेड वीएआर और तरलता पर्याप्तता अनुपात (एलएआर) शामिल थे। इसके अलावा, वीएआर पद्धति को बैंक टेस्ट किया गया। आगे चलकर, टीएमओ डीआईसीजीसी पोर्टफोलियो (संवेदनशीलता और परिदृश्य विश्लेषण) का तनाव परीक्षण करेगा ताकि प्रतिफल में बदलाव और डीआईसीजीसी पोर्टफोलियो पर परिणामी प्रभाव का पता लगाया जा सके। निगम द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर खंड 3 में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.2 बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करते हुए सिस्टम की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, डीआईसीजीसी ने अपने संचालन के पूर्ण डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की है। यह बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग पाँच प्रमुख ब्लॉक- डेटा मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, पब्लिक अवेयरनेस और साइबर सिक््योरिटी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करके किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ बाजार प्रौद्योगिकियों और सुरक्षा प्रथाओं के माध्यम से, मैनुअल हस्तक्षेप के बिना सीधे प्रसंस्करण और विभिन्न मॉड्यूल के निर्बाध एकीकरण की परिकल्पना की गई है। एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई), वर्कफ्लो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग करके, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग निगम की दक्षता में सुधार करेगी और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगी।

2.3 जमा बीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्किंग

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई)⁸ और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति

(बीसीबीएस) ने जून 2009 में प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए कोर अठारह सिद्धांत बनाए। इसके बाद दिसंबर 2010 में आईएडीआई और बीसीबीएस ने कोर सिद्धांतों (सीपी) के लिए एक अनुपालन मूल्यांकन पद्धति बनाई। कोर सिद्धांतों की 2013 में समीक्षा की गई थी, जिसके अनुसार नवंबर 2014⁹ में सीपी को घटाकर 16 कर दिया गया था। निगम ने आईएडीआई कोर सिद्धांतों के अनुपालन पर एक आंतरिक मूल्यांकन किया और डीआईसीजीसी की प्रक्रियाओं को सीपी के साथ संरेखित करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है। निगम ने, शासन पर सीपी-3, अन्य सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों के साथ संबंधों पर सीपी-4 और जन जागरूकता पर सीपी-10 के साथ संरेखित करने के उपाय शुरू किए हैं।

2.4 संचार नीति

जन जागरूकता पर आईएडीआई सीपी में उल्लिखित उपायों के अनुरूप, बोर्ड का विचार था कि निगम के पास बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए एक संचार नीति होनी चाहिए, जिसे अब तैयार किया गया है। निगम के लिए संचार रणनीति बनाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई, डीआईसीजीसी के सदस्यों और बाहरी विशेषज्ञों के साथ तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। निगम ने इसकी संचार नीति के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और जमाकर्ताओं की जागरूकता के स्तर का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण करने की योजना शुरू की है। 2022-23 के दौरान निगम ने जमा बीमा पर जमाकर्ताओं की जागरूकता के लिए, डीआईसीजीसी से दावों का लाभ उठाने के लिए एक स्थानीय मैसेजिंग ऐप का उपयोग शुरू किया, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां बैंकों को आरबीआई के 'सभी समावेशी निर्देशों' (एआईडी) के तहत रखा गया है या लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सार्वजनिक पहुंच को अधिकतम करने के लिए जमा बीमा पर संदेश स्थानीय संचार माध्यमों का उपयोग करके क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। निगम व्यापक कवरेज और जनता तक पहुंचने के लिए, चरणों में, अन्य सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करने के लिए नीति और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है। एक बड़े कदम के तहत सभी वीमित बैंकों

8. आईएडीआई को दुनिया के साथ जमा बीमा विशेषज्ञता साझा करने के मिशन के साथ 06 मई, 2002 को बेसल, स्विट्जरलैंड में शामिल किया गया था। वर्तमान में, आईएडीआई में 95 सदस्य, 12 सहयोगी और 17 भागीदार हैं (जैसा कि 01 अगस्त, 2023 को आईएडीआई की वेबसाइट से एक्सेस किया गया है) और प्रमुख वैश्विक मानक-सेटिंग निकायों में से एक है, जो सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है, जैसे कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी)। आईएडीआई ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यक मानदंड (ईसी) के साथ 2014 में प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए सोलह आईएडीआई कोर सिद्धांतों (सीपी) की स्थापना शामिल है।

9. आईएडीआई (2014), 'प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए मुख्य सिद्धांत', नवंबर।

को सलाह दी गई है कि 1 सितंबर 2023 से वे अपने वेब पेज पर डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि जमा बीमा पर जानकारी का प्रसार किया जा सके। इससे जमाकर्ताओं के बीच यह विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी कि बैंक मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी जमा राशियों की सुरक्षा के लिए डीआईसीजी में पंजीकृत है।

2.5 सूचना सुरक्षा नीति

वर्ष के दौरान, प्रबंधन ने 2021 में तैयार डीआईसीजीसी की सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति की समीक्षा की। चूंकि जमा बीमा (डीआई) रिटर्न और अन्य रिटर्न के रूप में बीमित बैंकों से प्राप्त आंकड़ों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए डीआईसीजीसी के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आईएस नीति में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सीआईएसओ कार्यालय को निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यात्मक बनाया गया है।

2.6 डेटा विश्लेषिकी (एनालिटिक्स)

2022-23 के दौरान, निगम ने बैंकों द्वारा आकलन योग्य जमा की गणना को सत्यापित करने और प्रीमियम के भुगतान में त्रुटियों को दूर करने के लिए एक डेटा एनालिटिक्स सेल की स्थापना की है। इन डेटा सेट को बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के अनुसंधान और मॉडलिंग के लिए सांविधिक रिटर्न और बैंकों की ऑडिट की गई बैलेंस शीट के आधार पर आरबीआई से प्राप्त डेटा के साथ एकीकृत किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए, बीमाकृत बैंकों के प्रीमियम भुगतान के ऐतिहासिक और अनुमानित रुझानों का विश्लेषण करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा सकता है; निगम के समेकित अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर एक समग्र निधि प्रदर्शन सूचकांक तैयार करना; और डीआईसीजीसी में संभावित जोखिमों की पहचान करने और संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

3. डीआईसीजीसी में जोखिम प्रबंधन प्रथाएं

डीआईसीजीसी भारत में वित्तीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961¹⁰ के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है। डीआईसीजीसी 4 फरवरी, 2020 से निम्न मामलों में पात्र जमाकर्ताओं को समान क्षमता और समान अधिकार

में रखी गई जमा राशियों के लिए ₹ 500,000 तक का जमा बीमा प्रदान करता है: (क) परिसमाप्त बैंकों, (ख) बैंक जहां जमा राशि की निकासी पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं (उदाहरण के लिए, शहरी सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के सर्व समावेशी निदेश, सितंबर 2021 से प्रभावी)। (ग) ऐसे बैंक जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय/समामेलन/पुनर्गठन योजना तैयार की जाती है जिसमें बीमित सीमा तक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी दावा भुगतान के प्रावधान हैं।

2021 में एक संशोधन के साथ, डीआईसीजीसी अधिनियम में धारा 18ए जोड़ी गई थी, जो बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध के 90 दिनों (बैंकों और लेखा परीक्षकों द्वारा की गई प्रक्रियाओं सहित) के भीतर जमाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करने का आदेश देती है।

निगम सुरक्षा, नकदी प्रवाह (तरलता) के व्यवस्थित प्रबंधन और रिटर्न के उद्देश्यों के साथ तीन निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) का प्रबंधन करता है, जिसमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है इसके बाद तरलता और फिर रिटर्न को। डीआईसीजीसी अधिनियम केवल भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देता है, जिनसे सुरक्षा पहलू का ध्यान रखा जाता है।

आम तौर पर, जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) को उनके जनादेश के अनुसार पेबॉक्स, पेबॉक्स प्लस, लॉस मिनिमाइजर और रिस्क मिनिमाइजर¹¹ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार, डीआईसीजीसी के पास सीमित पेबॉक्स प्लस मेंडेट है। पेबॉक्स प्लस मेंडेट में, बीमित जमा की प्रतिपूर्ति के अलावा, डीआई के पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि कुछ समाधान कार्य (जैसे, वित्तीय सहायता)। फिर भी, यह उस मेंडेट की पूर्ति से जुड़े विभिन्न जोखिमों का सामना करता है, जैसा कि नीचे बताया गया है।

3.1 डीआईसीजीसी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम

दावा निपटान के लिए वैधानिक समय सीमा और घरेलू जी-सेक बाजार¹² की विशेषताओं के कारण डीआईसीजीसी को पर्याप्त तरलता जोखिम सहित वित्त पोषण जोखिम का सामना करना

10. https://www.dicgc.org.in/pdf/DICGC_Act.pdf पर उपलब्ध है

11. स्रोत: आईएडीआई

12. द्वितीयक बाजार ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ प्रतिभूतियों में केंद्रित होते हैं, आमतौर पर 5, 10 और 14 साल की परिपक्वता के साथ ऑन-द-रन जी-सेक में।

पड़ता है।

इसके अलावा, फिक्स्ड इनकम सिक्क्योरिटीज में पूरा पोर्टफोलियो होने से निवेश पोर्टफोलियो को ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रीमियम के संग्रह, ट्रेजरी संचालन, दावों के निपटान और दावों की वसूली के संबंध में परिचालन प्रक्रिया और प्रणालियां परिचालन जोखिम, कानूनी जोखिम और साइबर सुरक्षा जोखिम सहित विभिन्न जोखिम पैदा करती हैं। 24*7 आधार पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव सहित संचार प्रौद्योगिकी में विकास के परिणामस्वरूप निधियों की गतिशीलता तत्काल और तेज हुई है। गैर-बीमाकृत जमा में वृद्धि फंड के गतिशीलता जोखिम को और बढ़ाती है। इन जोखिमों को अगर संबोधित नहीं किया जाता है, तो इसमें बैंक की विफलता को ट्रिगर करने की क्षमता है जैसा कि अमेरिका में हाल के बैंकिंग संकट में देखा गया है। निगम ने इन जोखिमों से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

3.2 जोखिम शासन

बोर्ड निवेश प्रचालनों के लिए निवेश प्रबंधन दिशानिर्देश और जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करता है। कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति, ढांचे के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी प्रक्रियाओं और प्रचालनों की देखरेख शाखा स्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है और समय-समय पर बोर्ड को सूचित की जाती है। ट्रेजरी प्रमुख वर्तमान और वांछित पोर्टफोलियो विशेषताओं (तरलता और अवधि सहित) सहित विभिन्न बाजार विकास के आधार पर दिन-प्रतिदिन के संचालन में निर्णय लेता है और तदनुसार, निवेश संचालन के लिए ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस डीलरों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

जोखिमों की विकसित प्रकृति और जोखिम प्रबंधन कार्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डीआईसीजीसी बाहरी विशेषज्ञों के साथ बोर्ड की एक अलग जोखिम प्रबंधन समिति गठन करने की प्रक्रिया में है।

3.3 लेखा वर्गीकरण

वर्तमान में, डीआईसीजीसी में तीन फंडों में से प्रत्येक के तहत निवेश पोर्टफोलियो को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और मासिक अंतराल पर मार्क-टू-मार्केट के अधीन के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। हालांकि निवेश को बुक वैल्यू पर

दिखाया जाता है, प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान निवेश आरक्षित खाते (आईआरए) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के साथ डीआईएफ में परिवर्तनशीलता होती है।

निगम की वर्तमान व्यावसायिक कार्यनीति के परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो का पर्याप्त हिस्सा परिपक्वता और संविदात्मक नकदी प्रवाह (अर्थात् ब्याज और परिपक्वता भुगतान) की प्राप्ति तक रखा जाता है। निवेश पोर्टफोलियो मूलधन और ब्याज के निर्दिष्ट भुगतान की शर्त को भी पूरा करता है। निगम के मौजूदा व्यवसाय मॉडल को ध्यान में रखते हुए, पोर्टफोलियो के एक हिस्से को होल्ड-टू-मैच्योरिटी (परिशोधन लागत) के रूप में वर्गीकृत करने के मुद्दे की जांच की जा रही है। संयोग से, डीआई के बीच लेखांकन प्रथाएं किसी भी निश्चित रणनीति के लिए वरीयता का सुझाव नहीं देती हैं (तालिका 1)।

तालिका 1 : चुनिंदा जमा बीमाकर्ताओं द्वारा लेखांकन प्रक्रियाएँ

देश	निवेश पोर्टफोलियो के लिए लेखा पद्धति
यूएस	एएफएस (उचित मूल्य पर दिखाया गया)। अन्य व्यापक आय के रूप में अप्राप्य लाभ/हानि।
कनाडा	परिशोधन लागत पर (प्रभावी ब्याज विधि)।
दक्षिण कोरिया	मुख्य रूप से अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर।
मलेशिया	परिशोधन लागत पर
ब्राजील (एफजीसी-निजी गैर-लाभकारी संगठन)	वित्तीय निवेश और प्रतिभूतियां जो एफजीसी की तरलता बनाती हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी भी परिसंपत्ति/प्रतिभूति धारिता को अन्य व्यापक आय (एएफएस) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
सिंगापुर	वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वर्गीकरण केवल तभी बदला जाता है जब और केवल तभी जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।

स्रोत : जमा बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों पर उपलब्ध संबंधित वार्षिक रिपोर्ट।

3.4 जोखिम प्रबंधन उपकरण और प्रथाएं

3.4.1 विविधीकरण

एकल परिसंपत्ति वर्ग पोर्टफोलियो के भीतर, डीआईसीजीसी निम्नलिखित रणनीति अपनाकर संकेन्द्रण जोखिम को कम करता है :

1. शीर्ष प्रतिभूति का संकेन्द्रण अनुपात : एकल प्रतिभूति का संकेन्द्रण अनुपात बाजार मूल्य के संदर्भ में कुल पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. शीर्ष 4 प्रतिभूतियों का संकेन्द्रण अनुपात : शीर्ष चार प्रतिभूतियों का संकेन्द्रण बाजार मूल्य के संदर्भ में कुल पोर्टफोलियो के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. एकल वर्ष परिपक्वता संकेन्द्रण अनुपात : पुनर्निवेश जोखिम को कम करने के इरादे से, किसी भी एक वर्ष में परिपक्वता बाजार मूल्य के संदर्भ में दीर्घकालिक पोर्टफोलियो के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.4.2 तरलता जोखिम

प्रतिभूतियों की तरलता प्रोफाइल

निगम क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)¹³ के प्रकाशनों के अनुसार आवधिक आधार पर सुरक्षा होल्डिंग्स को तरल, अर्ध-तरल और गैर तरल श्रेणियों में वर्गीकृत करके पोर्टफोलियो की तरलता प्रोफाइल की सक्रिय रूप से निगरानी करता है। सीसीआईएल जी-सेक में काम करने और ओवर द काउंटर (ओटीसी) सौदों की रिपोर्टिंग के लिए आरबीआई के स्वामित्व वाली अनाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, यानी एनडीएस-ओएम¹⁴ का प्रबंधन करता है, और भारत में जी-सेक में द्वितीयक बाजार ट्रेडों के लिए एक केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है। ट्रेजरी प्रबंधन की जानकारी के लिए निगम के पोर्टफोलियो की तरलता प्रोफाइल का आवधिक मूल्यांकन करता है।

तरलता पर्याप्तता अनुपात

निगम ने गणना पद्धति में उचित संशोधनों के साथ वाणिज्यिक बैंकों¹⁵ के लिए बासेल III मानदंडों के तहत लागू तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) के समान तरलता पर्याप्तता अनुपात (एलएआर) अपनाया है। एलएआर एक निर्दिष्ट अवधि में अपेक्षित बहिर्वाह को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए एक लंगर प्रदान करता है। निगम तरल परिसंपत्तियों पर तनाव घटक और मूल्य में कमी के अनुप्रयोग पर विचार करके कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में है।

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन विवरण

निगम कोषागार प्रचालनों के लिए आवधिक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) विवरण तैयार करने पर विचार कर रहा है ताकि निधि प्रवाह में नकारात्मक असंतुलन का प्रबंधन किया जा सके, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू है। यह विवरण नकारात्मक बेमेल की पहचान करने में सक्षम होगा, जिसे विभिन्न उपचारात्मक उपायों के माध्यम से प्रबंधित करने की आवश्यकता हो सकती है। आने वाले समय में चुनौती बैंकों की विफलताओं के कारण संभावित बहिर्वाह का मॉडल तैयार करने की होगी। सांख्यिकीय रूप से कोन्फिडेंस की एक निश्चित डिग्री के साथ विफलता की संभावना को मॉडल करने के लिए, जीवन बीमा कंपनियों या सामान्य बीमा कंपनियों के विपरीत, बैंक विफलताओं पर डेटा बहुत कम है।

3.4.3 वित्तपोषण जोखिम

तरलता सहायता / बैकस्टॉप फंडिंग

प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए आईईडीआई कोर सिद्धांतों (सीपी -6 और सीपी -9) में जमा बीमाकर्ताओं के लिए संकट की तैयारी और सुनिश्चित तरलता वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है। चुनिंदा जमा बीमाकर्ताओं के एक सर्वेक्षण ने विभिन्न तरलता वित्तपोषण व्यवस्था दिखाई (तालिका 2)।

13. सीसीआईएल की स्थापना अप्रैल, 2001 में की गई थी ताकि मुद्रा, जी-सेक, विदेशी मुद्रा और व्युत्पादन बाजारों में लेन-देन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य प्रदान किया जा सके। सीसीआईएल को 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (क्यूसीसीपी) के रूप में भी मान्यता दी गई थी।

14. नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग सिस्टम।

15. आरबीआई (2014), 'तरलता मानकों पर बासेल III। क्रैमवर्क - तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), तरलता जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक', नवंबर।

तालिका 2 : चुनिंदा जमा बीमाकर्ताओं की तरलता वित्तपोषण व्यवस्था

अधिकार-क्षेत्र	तरलता व्यवस्थाएं
अर्जेंटीना	बाजार में उधार लेना और उन्नत प्रीमियम भुगतान का संग्रह
ब्राज़ील	विशेष प्रीमियम, अग्रिम, निजी क्षेत्रों से ऋण लेना
कनाडा	सरकार या बाजार से उधार लेना
फ्रांस	बाजार में उधार लेना और अतिरिक्त प्रीमियम
जर्मनी	बाजार में उधार लेना, संस्थानों से असाधारण योगदान
हांग कांग	एक्सचेंज फंड से स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा
संयुक्त राज्य अमेरिका	ट्रेजरी, फेडरल फाइनेंसिंग बैंक, फेडरल होम लोन बैंकों और बीमाकृत डिपॉजिटरी संस्थानों से उधार लेना
इंडोनेशिया	सरकारी ऋण सुविधा और पुनर्पूजीकरण सुविधा
जापान	केंद्रीय बैंक से उधार लेना, बाजार में, या सरकारी गारंटी के साथ बांड जारी करना
कोरिया	सरकार, केंद्रीय बैंक या बाजार से उधार लेना, बांड जारी करना
मेक्सिको	सरकार, केंद्रीय बैंक या बाजारों से उधार लेना, असाधारण प्रीमियम लगाना, बांड जारी करना
रूस	बांड जारी करना, प्रीमियम बढ़ाना, असीमित सरकारी सहायता
सिंगापुर	निजी स्रोत या सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण
तुर्की	ट्रेजरी या केंद्रीय बैंक से उधार लेना, बैंकों द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाना

स्रोत : आईएडीआई (2015), 'प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए उन्नत मार्गदर्शन : पूर्व वित्त पोषण, मार्गदर्शन पत्र', जून

हालांकि, निगम के पास अधिकतम 5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को छोड़कर तरलता वित्त पोषण का कोई पूर्व-व्यवस्थित और सुनिश्चित स्रोत नहीं है, जिसे यदि आवश्यक हो तो डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 26 (1) के प्रावधानों के तहत आरबीआई से मांगा जा सकता है। इसके अलावा, डीआईसीजीसी अधिनियम में बाजार से अल्पकालिक उधार के लिए सक्षम प्रावधान नहीं हैं।

जमा बीमा निधि की पर्याप्तता के अनुभव और मूल्यांकन के आधार पर, उपलब्ध तरलता सामान्य परिस्थितियों में दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, एक प्रणालीगत संकट या वित्तीय स्थिरता के मुद्दे से उत्पन्न जमा बीमा दावों के भुगतान में डीआईएफ में रखी गई प्रतिभूतियों को कम करने या गंभीर रूप से खराब करने की क्षमता हो सकती है और सभी सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों से समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। संयोग से, आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन में डीआई भूमिका पर आईएडीआई के सीपी -6 से पता चलता है कि सिस्टम-व्यापी संकट तैयारी रणनीतियों और प्रबंधन नीतियों का विकास सभी सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा, जैसा की हाल ही में कुछ उन्नत देशों देखा गया है, धन की तत्काल हस्तांतरणीयता के उभरते जोखिम जिसमें बैंक विफलताओं (हालांकि अन्यथा सोल्वेंट बैंकिंग संस्थानों) को बढ़ाने की क्षमता है, के कारण निगम वर्तमान में सीपी -6 में उल्लिखित अपनी आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन क्षमताओं की समीक्षा कर रहा है।

3.4.4 ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर संवेदनशीलता

निगम निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता के अनुसार निवेश संचालन करता है। ब्याज दर चक्र के आकलन के आधार पर, उच्च या निम्न ब्याज दर संवेदनशीलता (जैसे अवधि या संशोधित अवधि) का अनुसरण किया जाता है।

बेंचमार्किंग

डीआईसीजीसी के पास विशिष्ट विशेषताओं के कारण एक अनूठा पोर्टफोलियो है जिसमें प्रवाह निश्चित है लेकिन दावा बहिर्वाह अनिश्चित है। इसलिए, पोर्टफोलियो में आसानी से उपलब्ध और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य बेंचमार्क नहीं है। सीसीआईएल अखिल सॉवरेन बांड इंडेक्स (सीएसबीआई)¹⁶ एक बेंचमार्क है जिसमें न्यूनतम तीन कूपन चक्रों से लेकर सबसे लंबी उपलब्ध सरकारी सुरक्षा (वर्तमान में भारत में 40 वर्ष) तक की प्रतिभूतियां हैं। इस प्रकार, डीआईसीजीसी पोर्टफोलियो के कुल रिटर्न की तुलना वर्तमान में सीएसबीआई के साथ की जाती है। अधिदेश (मैडेट) के अनुसार, यद्यपि हालांकि निगम के लिए अपने पोर्टफोलियो पर

रिटर्न सबसे निम्न प्राथमिकता है, लेकिन आगे चलकर, जोखिम समायोजित रिटर्न सहित पोर्टफोलियो रिटर्न की उचित तुलना की सुविधा के लिए एक बेंचमार्क वांछनीय माना जाता है।

वैल्यू-एट-रिस्क

एक ही दिन में पोर्टफोलियो में उच्चतम संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए 99% कॉन्फिडेंस स्तर और एक दिन के होरइजन पर ऐतिहासिक सिमुलेशन विधि का उपयोग करके वैल्यू-एट-रिस्क (वीएआर) अनुमान लगाया जाता है। इसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए वीएआर पद्धति का भी परीक्षण किया जाता है। बासेल फ्रेमवर्क के तहत बाजार जोखिम पूंजी आवश्यकता के लिए उन्नत दृष्टिकोण के आधार पर 10-दिवसीय क्षितिज के लिए 99% कॉन्फिडेंस स्तर पर स्ट्रेस्ड वीएआर का अनुमान लगाया जाता है। पिछले 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर स्ट्रेस की एक प्रतिनिधि अवधि की पहचान की जाती है, और फिर पैरामीट्रिक दृष्टिकोण का उपयोग करके वर्तमान पोर्टफोलियो पर इसी तरह के आघात दोहराए जाते हैं।

निवेश रिजर्व

फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड¹⁷ द्वारा प्रदान की गई दरों के आधार पर मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन पर पोर्टफोलियो में निवल मूल्यहास के मामले में, निगम निवेश रिजर्व खाते के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाता है। हालांकि, एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व

निगम द्वारा वर्ष 2000 से एक निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) का रख-रखाव किया गया है। आईएफआर भविष्य के नुकसान के लिए भंडार जमा करके खातों में अधिक पारदर्शिता लाता है। प्रारंभ में, प्रतिभूतियों में मूल्यहास प्रदान करने के बाद निवेश आरक्षित खाते में अधिशेष को आईएफआर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, 2005-06 से आईएफआर को भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में कमी के कारण उत्पन्न होने वाले बाजार जोखिम को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है। आईएफआर की पर्याप्तता का आकलन बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाजार जोखिम के आधार पर किया जाता है। कमी को अधिशेष के विनियोजन द्वारा

पूरा किया जाता है, जबकि अतिरिक्त, यदि कोई हो, को बनाए रखा जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। निगम मानकीकृत अवधि विधि का उपयोग करके बाजार जोखिम का आकलन करता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि निगम बाजार जोखिम के लिए आईएफआर का रखरखाव करता है, जबकि भारत में बैंकों द्वारा बनाए गए इसी नाम का आरक्षित खाता एक प्रतिक्रिय बफर है।

3.4.5 स्ट्रेस परीक्षण

हाल की घटनाओं ने धन की त्वरित गतिशीलता और उस गति को सामने लाया है जिस पर बैंक संभावित रूप से विफल हो सकते हैं। इस प्रकार, संभावित दावा देनदारियों को देखने और इससे निपटने के लिए डीआई की तत्परता का आकलन करने के लिए बैंक परस्पर संबंध, संक्रामकता, गैर-बीमित जमा की सीमा और थोक जमा जैसे तत्वों का उपयोग करके डीआईएफ के स्ट्रेस परीक्षण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में स्ट्रेस परीक्षण में i) "कम आवृत्ति उच्च गंभीरता" घटनाओं के मामले में धन की पर्याप्तता का आकलन और ii) ब्याज दर के आघात (बाजार का दृष्टिकोण) के मामले में निवेश पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में कमी का आकलन शामिल है। नए जोखिमों का लेखांकन करते हुए दावा भुगतान का मॉडलिंग एक चुनौती है जैसा कि बाद में दिए गए 'टारगेट रिजर्व फंड' खंड के तहत उल्लेख किया गया है। बाजार (ब्याज दर) के दृष्टिकोण से, निगम सेंसिटिविटी (संवेदनशीलता) परीक्षण और सिनारियो (परिदृश्य) विश्लेषण की परिकल्पना कर रहा है।

सेंसिटिविटी (संवेदनशीलता) और सिनारियो (परिदृश्य) विश्लेषण

संभावित और महत्वपूर्ण जोखिम कारकों और परिणामों के लिए प्रतिगमन (रिग्रेशन) विश्लेषण के आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता का आकलन मध्यम और उच्च तनाव परिदृश्यों के तहत व्यक्तिगत रूप से इन जोखिम कारकों के आघात के आधार पर एक मॉडल विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। परिदृश्य (सिनारियो) विश्लेषण के तहत, पहचाने गए जोखिम कारकों को सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर और कम किया जाएगा, और मध्यम और उच्च तनाव परिदृश्यों के तहत एक साथ पहचाने गए जोखिम कारकों के आघात के आधार पर परिदृश्य परिणामों को मॉडल करने के लिए मल्टीपल रिग्रेशन का उपयोग किया जा सकता है।

17. <https://www.fbiil.org.in/#/home>

3.4.6 परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम पूंजी की आवश्यकता

परिचालन जोखिम अन्य बातों के साथ-साथ विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों से उत्पन्न होता है। प्रमुख मुद्दे जोखिम का परिमाणीकरण और जीएफ की पूंजी पर्याप्तता का आकलन करना है। वर्तमान में, डीआईसीजीसी के जीएफ में रिज़र्व बैंक से ₹ 50 करोड़ का इक्विटी योगदान और अन्य भंडार हैं और यह अधिशेष आय या डीआईएफ और सीजीएफ जैसे अन्य फंडों से हस्तांतरण से बनाया गया है। परिचालन जोखिम के लिए अलग पूंजी/आरक्षित को वांछनीय माना जा सकता है, अन्यथा, परिणामी नुकसान जमा बीमा निधि (डीआईएफ) को प्रभावित कर सकता है और असफल बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के मुख्य जमा बीमा कार्य के लिए उपलब्ध निधियों में परिवर्तनशीलता का कारण बन सकता है।

उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) - जोखिम रजिस्टर

निगम, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, रिज़र्व बैंक के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के तहत कवर किया गया है। जोखिम प्रबंधन संरचना में व्यवसाय के स्वामी, केंद्रीकृत जोखिम निगरानी और निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रक्रिया शामिल हैं। एक जोखिम रजिस्टर एक व्यावसायिक क्षेत्र में पहचाने गए जोखिमों का संग्रह है। जोखिम रजिस्टर में दर्ज और मूल्यांकन किए गए जोखिमों के आधार पर, जोखिम प्रोफाइल और गंभीर क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है i) उच्च जोखिम का क्षेत्र, ii) महत्वपूर्ण जोखिम का क्षेत्र, और iii) स्वीकार्य जोखिमों का क्षेत्र। संग्रह बनाने के लिए "नुकसान" और "निकट-चूक" प्रसंगों/घटनाओं के मामले में किए गए उपचारात्मक उपायों के साथ-साथ घटनाओं की भी सूचना दी जाती है।

लोगों से संबन्धित जोखिम

ट्रेजरी डीलिंग ऑपरेशंस जैसी विशेष भूमिकाओं के लिए विशेष कर्मियों के होने से और उचित ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करने और विशिष्ट कर्मियों पर निर्भरता कम करने के लिए कर्मचारियों के रोटेशन से लोगों से संबंधित जोखिम को कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ट्रेजरी में संचालन की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, डीलरों को विवेकपूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में हर साल 10 दिनों की अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जाता है।

व्यापार निरंतरता योजना और आपदा बहाली अभ्यास

संकट की स्थिति से निपटने के लिए बिजनेस कंटीन्यूटी प्लानिंग के हिस्से के रूप में, डीआईसीजीसी वैकल्पिक डीलिंग रूम परिसरों से मासिक आधार पर आपदा रिकवरी (डीआर) अभ्यास आयोजित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रॉडक्शन साइट की अनुपलब्धता के दौरान भी निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक साइट तैयार और कार्यात्मक है।

3.4.7 रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में लेखा परीक्षा : आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा व्यापार स्तर प्रबंधन और अनुपालन/ जोखिम प्रबंधन कार्यों के बाद रक्षा का तीसरा स्तर है। डीआईसीजीसी कर्मचारियों द्वारा नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसएए), निगम के सभी विभागों को नियमित लेखा परीक्षा करने और कमजोरियों का आकलन करने में सक्षम बनाता है, ताकि समय पर समीक्षा की जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, वित्तीय खातों की समवर्ती लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा लेन-देन की घटना के साथ-साथ की जाती है।

जोखिम आधारित निरीक्षण/लेखा परीक्षा (आरबीआईए)

रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग प्रबंधन को स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ राय कि क्या व्यावसायिक प्रक्रियाओं और जोखिमों को ठीक से प्रबंधित किया जा रहा है, प्रदान करने के लिए सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित जोखिम आधारित निरीक्षण/लेखा परीक्षा (आरबीआईए) आयोजित करता है।

सांविधिक लेखा परीक्षा

निगम के कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा नियुक्त योग्य लेखा परीक्षकों की एक फर्म द्वारा वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा के अधीन होते हैं। खातों को दो सांविधिक लेखा परीक्षा के बीच एक अर्धवार्षिक सीमित समीक्षा भी की जाती है।

जमा बीमा दावों की विशेष लेखा परीक्षा

निगम सर्वसमावेशी निदेशों के तहत परिसमापक/बैंकों द्वारा तैयार जमाकर्ता बीमा दावा सूची की ऑन-साइट जांच करने के लिए एक योग्य लेखा परीक्षक भी नियुक्त करता है।

3.5 लक्ष्य आरक्षित निधि

लक्ष्य आरक्षित निधि जमा बीमा निधि (डीआईएफ) के आकार को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर मूल्यांकन आधार (जैसे, कुल या बीमित जमा) के अनुपात के रूप में मापा जाता है जो अपेक्षित भविष्य के दायित्वों को पूरा करने और जमा बीमाकर्ता की परिचालन और संबंधित लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। निगम की निधि के आकार का अनुमान प्रीमियम, कूपन आय, वसूली (पहले भुगतान किए गए दावों से) और दावों, आयकर और अन्य भुगतानों जैसे बहिर्वाह जैसे विभिन्न प्रवाहों का अनुमान लगाने के बाद लगाया जाता है। डीआईएफ की पर्याप्तता को बैंक विफलताओं की संभावना और परिणामस्वरूप संभावित दावा भुगतान को ध्यान में रखते हुए इन-हाउस विकसित एक मॉडल का उपयोग करके तैयार किया गया है। लक्ष्य डीआईएफ आकार पर एक विस्तृत चर्चा अगले खंड में प्रस्तुत की गई है।

4. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) लक्ष्य आकार - भारतीय अनुभव

एक अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए वित्तीय सुरक्षा-कवच ढांचे पर निर्भर करती है। विवेकपूर्ण विनियमन, पर्यवेक्षण, आपातकालीन तरलता सुविधा और प्रभावी समाधान तंत्र के अलावा जमा बीमा इस वित्तीय सुरक्षा-कवच के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। जबकि विनियमन और पर्यवेक्षण सामान्य रूप से वित्तीय स्थिरता के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, अंतिम उपाय (एलओएलआर) के ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक से बैंकों को आपातकालीन तरलता और बैंक जमा का बीमा बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है।

आईएडीआई के अनुसार, जमा बीमा प्रणालियों के दो प्रमुख सार्वजनिक नीति उद्देश्य बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं की रक्षा करना है और इस प्रकार वित्तीय स्थिरता¹⁸ में योगदान देना है। जमा बीमा प्रणाली को प्रशासित करने के लिए कानून द्वारा अनिवार्य जमा बीमाकर्ता (डीआई), बैंक रन रोकने के लिए या तो पूरी जमा राशि या एक निश्चित कवरेज सीमा तक बीमा कर सकता है। इस मेंडेट को पूरा करने के लिए, जमा बीमाकर्ता को पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है।

4.1 निक्षेप बीमा प्रणालियों में वित्तपोषण तंत्र

आमतौर पर एक जमा बीमा प्रणाली के लिए तीन

वित्तपोषण तंत्र उपलब्ध होते हैं, अर्थात् पूर्व-वित्त पोषण, एक्स पोस्ट और दोनों का संयोजन (हाइब्रिड मोड)। पूर्व-वित्त पोषण तंत्र में, जमा बीमाकर्ता एक डीआईएफ बनाता है और बनाए रखता है जिसका उपयोग बैंक की विफलता की स्थिति में जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए किया जाता है। डीआईएफ मुख्य रूप से बीमाकृत वित्तीय संस्थानों (बैंकों और / या अन्य जमा लेने वाले वित्तीय संस्थानों) से अग्रिम में एकत्र किए गए प्रीमियम और इन फंडों के निवेश से अर्जित रिटर्न द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। पश्च- वित्त पोषण तरीके के तहत, बैंक विफलता की घटना के बाद पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए बैंक आवश्यक धन का योगदान करते हैं।

वैश्विक स्तर पर, 2022 में 80 प्रतिशत से अधिक जमा बीमा प्रणालियां पूर्व-वित्त पोषण प्रणाली हैं।¹⁹ सामान्य दृष्टिकोण यह है कि पूर्व- वित्त पोषण के लाभ पश्च- वित्त पोषण से अधिक हैं। सबसे पहले, पूर्व तंत्र जमाकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करता है। दूसरा, पूर्व-वित्तपोषण में, सभी बीमित बैंक, जिनमें असफल होने की संभावना वाले बैंक भी शामिल हैं, अपनी आकलन योग्य जमा राशियों पर प्रचलित दरों पर प्रीमियम का योगदान करते हैं। यह क्रॉस सब्सिडी को कम करता है और सिस्टम को अपेक्षाकृत समान अवसर बनाता है; जबकि पश्च- वित्त पोषण मोड में, सबसे जोखिम वाले बैंक, जिनके विफल होने की अधिक संभावना है, फंड में कभी योगदान नहीं करते हैं। तीसरा, पूर्व वित्त पोषण, वित्त पोषण प्रणाली की प्रो-चक्रीयता को कम करती है क्योंकि सामान्य रूप से बनाए गए फंड को संकट के दौरान खींचा जा सकता है और अतिरिक्त धन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, पश्च- वित्त पोषण में, बैंक विफलता के दौरान धन जुटाने में किसी भी देरी या अनिश्चितता से प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में देरी हो सकती है। अंत में, यह महसूस किया जाता है कि पूर्व वित्त पोषण तरीका विभेदक प्रीमियम प्रणाली को अपनाने में सक्षम बनाता है, जिससे नैतिक खतरे की समस्या को कम किया जाता है, क्योंकि उच्च जोखिम की भरपाई उच्च प्रीमियम द्वारा की जाती है। हालांकि, दूसरा पक्ष यह है कि पूर्व वित्त पोषण तंत्र में एक अवसर लागत शामिल है, क्योंकि भुगतान किए गए प्रीमियम का उपयोग बैंकों द्वारा उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को उधार देने के लिए किया जा सकता है जो उच्च रिटर्न उत्पन्न करते हैं। डीआईसीजीसी अपने डीआईएफ के लिए पूर्व वित्त पोषण प्रणाली का अनुसरण करता है।

18. आईएडीआई (2014), "प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए मुख्य सिद्धांत।

19. वैन रुसेवेके, वी, और डेफिना, आर (2023)। 2023 में जमा बीमा: वैश्विक रुझान और प्रमुख मुद्दे।

4.2 डीआईएफ की पर्याप्तता का निर्धारण : कार्यप्रणाली और चुनौतियाँ

हालांकि, एक पूर्व-वित्त पोषण जमा बीमा प्रणाली में प्रमुख चुनौतियों में से एक, जमाकर्ताओं के लिए भविष्य के बीमा दावा दायित्वों को पूरा करने के लिए डीआईएफ के "पर्याप्त" स्तर को निर्धारित करना है। आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि जमा बीमा प्रणाली के नीतिगत उद्देश्यों और मंडेट (अधिदेश) को देखते हुए, डीआईएफ बैंकिंग क्षेत्र में गंभीर कठिनाइयों से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, ना कि प्रणालीगत बैंकिंग संकट जैसा कि मार्च 2008²⁰ में वित्तीय स्थिरता मंच में प्रस्तुत आईएडीआई कोर सिद्धांतों में दर्शाया गया है। यदि जमा बीमा प्रणाली को एक प्रणालीगत संकट को हल करना होता, तो बीमित जमा की कुल मात्रा को कवर करने के लिए डीआईएफ की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र की जमा देयता में गतिशील परिवर्तन के लिए डीआईएफ पर्याप्तता की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि डीआईएफ पर्याप्तता की जांच एक परिवर्तनशील लक्ष्य के संदर्भ में की जानी चाहिए।

लक्ष्य निधि की स्थापना को मुख्य रूप से निर्धारित करने वाले कारक हैं: i) वित्तीय प्रणाली की संरचना और इसकी विशेषताएं; ii) कानूनी ढांचा; iii) विवेकपूर्ण विनियमन, पर्यवेक्षण और समाधान व्यवस्था; iv) समष्टि आर्थिक स्थितियाँ; v) आपातकालीन/बैकअप वित्तपोषण की उपलब्धता और पहुंच; और vi) लेखा और प्रकटीकरण व्यवस्था की स्थिति। लक्षित निधि आकार निर्धारित करने में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जैसे, विवेकाधीन विधि, जमा बीमा एजेंसियों (डीआईए) के हानि वितरण के अनुमान की सांख्यिकीय विधि और दोनों का संयोजन। आईएडीआई ने डीआईएफ पर्याप्तता के मूल्यांकन के दो बुनियादी तरीकों की पहचान की है: पहला विशेषज्ञ राय के आधार पर (सदस्य बैंकों की चूक संभाव्यता (पीडी) के अनुमान के बिना) और दूसरा जोखिम विश्लेषण के आधार पर (सदस्य बैंकों के पीडी के आकलन के आधार पर)।²¹

एक कुशल जमा बीमा प्रणाली में डीआईएफ के इष्टतम स्तर का आकलन करने के लिए विभिन्न मैट्रिक्स अपनाए जाते हैं। जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति के लिए डीआईएफ की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए आमतौर पर निगरानी किया जाने वाला एक संकेतक आरक्षित अनुपात (आरआर) है, जिसे लक्ष्य अनुपात

के रूप में भी जाना जाता है, जिसे बीमित जमा के लिए डीआईएफ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

4.3 अंतरराष्ट्रीय अनुभव

2018 के एक क्रॉस-कंट्री सर्वेक्षण²² से पता चलता है कि 69 उत्तरदाताओं में से 64 के पास पूर्ववित्त पोषण तंत्र था, जिनमें से 44 (यानी, 69 प्रतिशत) के पास फंड लक्ष्य हैं। इन 44 डीआईए में, लक्ष्य निधि या तो वैधानिक रूप से निर्धारित (28 डीआईए) या शासी निकाय (16 डीआईए) द्वारा निर्धारित की जाती है। शेष 20 डीआईए जिनके पास फंड लक्ष्य नहीं हैं, उनमें से 19 के पास लक्ष्य निर्धारित करने की योजना है। इसके अलावा, 44 डीआईए में से जिनके पास फंड लक्ष्य है, दो देश, अर्थात् बहामास और जापान, फंड लक्ष्य के रूप में एक लक्ष्य राशि का उपयोग करते हैं। जमैका, कोसोवो, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ अधिकार क्षेत्र लक्ष्य अनुपात को एक सीमा के रूप में निर्धारित करते हैं।

आईएडीआई द्वारा 2022 के वार्षिक सर्वेक्षण से चुनिंदा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना से पता चला है कि विभिन्न डीआईए का आरक्षित अनुपात हांगकांग में 0.23 प्रतिशत और लीबिया में 12.20 प्रतिशत के बीच था (तालिका 1)। कुछ अधिकार क्षेत्रों में, आरआर संबंधित विधियों में तय किया जाता है।

तालिका 1 : देश-वार जमा बीमा कवरेज अनुपात और आरक्षित अनुपात

(31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार)

(प्रतिशत)			
	भूक्षेत्र	कवरेज अनुपात	आरक्षित अनुपात
1	लीबिया	100.00	12.20
2	फिलिपींस	19.52	7.68
3	अल्बानिया	58.50	6.66
4	पोलैंड	68.70	2.74
5	बल्गारिया	71.93	2.02
6	भारत	49.00	1.81
7	मेक्सिको	55.98	1.40
8	संयुक्त राज्य	53.35	1.27

20. आईएडीआई (2009), "जोखिम विश्लेषण के आधार पर जमा बीमा निधि पर्याप्तता का मूल्यांकन", चर्चा पत्र, वासेल।

21. आईएडीआई (2009), "जोखिम विश्लेषण के आधार पर जमा बीमा निधि पर्याप्तता का मूल्यांकन", चर्चा पत्र, वासेल।

22. आईएडीआई (2018), "जमा बीमा निधि लक्ष्य अनुपात", शोध पत्र, जुलाई।

(प्रतिशत)			
	भूक्षेत्र	कवरेज अनुपात	आरक्षित अनुपात
9	कनाडा	35.50	0.71
10	दक्षिण कोरिया	50.00	0.62
11	हंगरी	58.00	0.58
12	जापान	70.28	0.57
13	नीदरलैंड	55.00	0.55
14	फिनलैंड	56.00	0.51
15	मलेशिया	34.60	0.49
16	इटली	60.84	0.36
17	हांगकांग एसएआर, चीन	20.00	0.23

नोट : भारत के लिए डेटा 31 मार्च, 2022 तक है। 31 मार्च, 2023 तक कवरेज अनुपात 46.3 प्रतिशत और आरक्षित अनुपात 2.02 प्रतिशत है। स्रोत : आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2022।

4.4 भारतीय परिप्रेक्ष्य


भारत में, जमा बीमा योजना का मुख्य नीतिगत उद्देश्य उन बैंकों के 'छोटे जमाकर्ताओं' की रक्षा करना है, जिनके पास "समान क्षमता और समान अधिकार" में 5 लाख रुपये की कवरेज सीमा तक जमा है। यह योजना देश में काम कर रहे सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रशासित है।

निगम परिसमापन/समामेलन/ रिज़र्व बैंक के सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) में लिए गए बैंकों, जहां जमाकर्ताओं की निकासी पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए एक पूर्व-वित्त पोषित डीआईएफ रखता है। निधि मुख्य रूप से सदस्य बैंकों से बीमा प्रीमियम के माध्यम से संचित की जाती है, जिसे निगम को जी-सेक में निवेश करने के लिए अनिवार्य किया गया है। नतीजतन, निगम का डीआईएफ शुद्ध अधिशेष प्रवाह द्वारा संचित होता है, अर्थात्, नकदी बहिर्वाह का शुद्ध नकदी प्रवाह। पांच प्रमुख नकदी प्रवाह हैं: i) बीमा प्रीमियम, ii) निवेश पोर्टफोलियो में जी-सेक से कूपन भुगतान, iii) परिपक्व जी-सेक का मोचन, iv) परिसमापकों / प्रशासकों / हस्तांतरणी बैंकों से विफल बैंकों की परिसंपत्तियों से वसूली, और v) बाजार रिवर्स रेपो में उधार देने से ब्याज आय। प्रमुख नकदी बहिर्वाह, अन्य बातों के साथ-साथ, जमाकर्ताओं के दावों के भुगतान और संबंधित व्यय,

करों के निवल के माध्यम से व्यय है।

वर्ष 2010 से 04 फरवरी, 2020 तक, जब जमा बीमा कवरेज सीमा ₹1 लाख थी, मार्च के अंत में भारत के लिए आरक्षित अनुपात (आरआर), मार्च के अंत 2010 में 1.20 प्रतिशत से बढ़कर मार्च के अंत 2019 में 2.78 प्रतिशत हो गया (चार्ट 1)। 04 फरवरी, 2020 को, जमा कवरेज सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के साथ, आरआर मार्च 2020 के अंत में घटकर 1.61 प्रतिशत हो गई और बाद में मार्च 2023 के अंत में बढ़कर 2.02 प्रतिशत हो गया।

फरवरी 2020 से बीमा सीमा को पांच गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले जमा बीमा प्रीमियम में 1 अप्रैल, 2020 से 10 पैसे प्रति 100 रुपये से बढ़कर 12 पैसे हो गया। वर्तमान में डीआईसीजीसी एक समान दर पर प्रीमियम एकत्र करता है। वर्तमान में अधिकतम सीमा 15 पैसे है। तथापि, हाल के संशोधन के बाद निगम अपनी वित्तीय स्थिति और बैंकिंग प्रणाली के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से सीमा बढ़ा सकता है।



4.5 डीआईसीजीसी में लक्ष्य डीआईएफ (मध्यम अवधि अनुमान)

मध्यम अवधि के लिए यानी 2027-28 तक लक्ष्य डीआईएफ का मूल्यांकन करने के लिए, डीआईसीजीसी दो पद्धतियों का उपयोग करके आरआर का अनुमान लगाता है: (ए) डीआईएफ का अनुमान और परिणामी आरआर; और (बी) बैंकों की जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर अपेक्षित आरआर का आकलन।

4.5.1 मध्यम अवधि में डीआईएफ और अपेक्षित आरक्षित अनुपात का अनुमान

डीआईएफ का अनुमान वर्ष 2027-28 तक लगाया गया था, जो फंड में अंतर्वाह, जैसे प्रीमियम आय, कूपन आय और वसूली; और फंड से बहिर्वाह, जैसे दावा भुगतान और आयकर व्यय के बहिर्वेशन (एक्स्ट्रापोलेशन) पर आधारित था। यह बहिर्वेशन (एक्स्ट्रापोलेशन) 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए कम से कम वर्ग प्रतिगमन (लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन) के माध्यम से अनुमानित प्रवृत्ति पर आधारित है। इसी प्रकार, बैंकिंग प्रणाली में बीमित जमा राशियों का भी बहिर्वेशन (एक्स्ट्रापोलेशन) किया जाता है और मध्यम अवधि में अपेक्षित आरआर का अनुमान विस्तारित बहिर्वेशित (एक्स्ट्रापोलेटेड) डीआईएफ और बहिर्वेशित (एक्स्ट्रापोलेटेड) बीमाकृत जमा राशियों के अनुपात के रूप में लगाया जाता है। यह अभ्यास हर छह महीने में किया जाता है ताकि पहले के अनुमानों का परीक्षण किया जा सके और ताजा आंकड़ों के मद्देनजर अनुमानों को संशोधित किया जा सके। डीआईसीजीसी के अध्यक्ष ने कहा था कि 5 लाख रुपये के बीमा कवर और प्रीमियम, निवेश और दावों की वसूली आय के पैटर्न और आयकर के पैटर्न के साथ, 2027-28 तक आरक्षित अनुपात को 95 प्रतिशत कोन्फिडेंस इंटरवल के साथ कम से कम 2.50 प्रतिशत तक बढ़ाना संभव है। इस उद्देश्य की दिशा में प्रगति की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि (निगम) दृढ़तापूर्वक²³ निरंतर कार्य करता रहे। उन्होंने कहा, पिछले रुझान के आधार पर आंतरिक अनुमानों के अनुसार, हम उपरोक्त आरआर को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

4.5.2 बैंकों की जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर अपेक्षित आरक्षित अनुपात का आकलन

गणना मर्टन-वासिकेक मॉडल पर आधारित है, जिसमें, सामान्य परिस्थितियों में अपेक्षित नुकसान की गणना चूक की संभाव्यता²⁴ (प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट) (पीडी), एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी)²⁵, और लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी)²⁶ का उपयोग करके की जाती है। जोखिम वाली राशि की गणना

अनुमानित पीडी, बीमित जमा और विभिन्न जोखिम श्रेणियों के लिए लॉस गिवेन डिफॉल्ट के आधार पर की गई थी। इसके अतिरिक्त, दो मध्यम आकार के मध्यम जोखिम वाले बैंकों की बीमित जमा को स्ट्रेस सिनरियो को शामिल करने के लिए एक रुढ़िवादी अनुमान के रूप में माना जाता था। संयोग से, आईएडीआई शोध पत्र²⁷ में दी गई निधि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विवेकाधीन विधि से पता चलता है कि जमा बीमाकर्ता को सभी छोटे बैंकों और कुछ मध्यम आकार के बैंकों के लिए अपने संभावित जोखिम को कवर करने के लिए निधि लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आंतरिक अनुमानों और पिछले अनुभव के आधार पर, सामान्य व्यवसाय की स्थितियों के अंतर्गत पर्याप्त निधियाँ हैं और आरक्षित अनुपात साथी डीआई के साथ तुलनीय है। हालांकि, बड़े बैंकों की विफलता, प्रणालीगत संकट या वित्तीय स्थिरता के मुद्दे सहित ब्लैक स्वान घटना के मामले में, सभी वित्तीय सुरक्षा-कवच प्रदाताओं से समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। संयोग से, आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन में डीआई भूमिका पर आईएडीआई सीपी 6 का सुझाव है कि सिस्टम-व्यापी संकट तैयारी रणनीतियों और प्रबंधन नीतियों का विकास सभी सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए। बैंकों के जोखिम प्रोफाइल में संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, आरक्षित अनुपात का मूल्यांकन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाना अपेक्षित है।

5. निष्कर्ष अवलोकन

दुनिया के कुछ हिस्सों में हाल ही में बैंक विफलताओं ने ऐसी विफलताओं के प्रभाव को कम करने में जमा बीमाकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। जबकि पर्याप्त जोखिम शासन संरचना के रूप में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की निगरानी *अनिवार्य* है, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, विशेष रूप से तरलता जोखिम के प्रबंधन, बाजार जोखिम और डीआईएफ के तनाव परीक्षण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

निगम, एक जमा बीमाकर्ता के रूप में सीमित पेबॉक्स प्लस में डेट होने के बावजूद, सक्रिय रूप से विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन

23. पात्र, एमडी (2022), "भारत में जमा बीमा - यात्रा; मील का पत्थर; चुनौतियाँ", आरबीआई बुलेटिन, जुलाई।

24. पीडी राशि भारत राशि है यानी बैंकों की बीमित जमा में चूक / कुल बीमित जमा, द्वारा गणना की जाती है

25. बीमित जमा को ईएडी माना जाता है।

26. वसूली (पिछले 5 वर्षों के डेटा) पर विचार करने के बाद वास्तविक नुकसान की गणना करके गणना की जाती है।

27. आईएडीआई (2018), "जमा बीमा निधि लक्ष्य अनुपात", शोध पत्र, जुलाई।

करता है। जोखिम प्रबंधन एक निरंतर विकसित क्षेत्र है और प्रगतिरत कार्य है। निगम ने उत्पन्न होने वाली अनिश्चित स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जबकि विभिन्न जोखिमों को निर्धारित करके और विवेकपूर्ण भंडार को अलग करके उपलब्ध निधियों में अपारदर्शिता को भी कम किया है। वर्तमान में निगम की जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक और डीआईसीजीसी के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जा रही है और यह परिकल्पना की गई है कि आने वाले समय में निगम नई चुनौतियों से निपटने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने में सक्षम होगा।

वैश्विक स्तर पर, डीआईएफ के लक्षित आकार पर चर्चा भारत सहित अन्य देशों में जोर पकड़ रही है, खासकर मार्च 2023 की शुरुआत में अमेरिका में बैंक विफलताओं के बाद से। 24*7 आधार पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और सोशल मीडिया के प्रभाव सहित संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास के परिणामस्वरूप बैंक से संबंधित किसी भी प्रतिकूल समाचार की थोड़ी सी भी जानकारी होने पर जमा राशि यों की तत्काल आवाजाही हुई है, जिसने कुछ लोगों को सोशल मीडिया को वित्तीय 'सामूहिक विनाश का हथियार (डब्ल्यूएमडी)'²⁸ कहने के लिए भी प्रेरित किया है। उभरते शोध अध्ययनों में अमेरिकी बैंकिंग संकट²⁹ और यूरोपीय और जी-7 बाजारों³⁰ में इसके त्वरित संचरण पर सोशल

मीडिया के नकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव के सबूत मिलते हैं। जैसा कि हाल की बैंक विफलताओं में देखा गया है, कुछ बैंक जो अन्यथा शोधक्षम (सोल्वेंट) थे, परिसंपत्तियों को तरल रूप में बदलने और मोचन दबाव को पूरा करने में विफल रहे, जो धन की तत्काल गतिशीलता और प्रतिकूल सोशल मीडिया प्रचार³¹ से बढ़ गया।

एक बैंकिंग संकट जो संभावित रूप से वित्तीय स्थिरता को पटरी से उतार सकता है, को हल करने के लिए सभी वित्तीय सुरक्षा-नेट प्रतिभागियों से समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। तथापि, हाल ही में बैंक विफलताओं की पृष्ठभूमि में, किसी भी डीआई के लिए यह विवेकपूर्ण हो सकता है कि वह न केवल आवधिक रूप से अपनी आकस्मिक योजना और संकट तैयारी रणनीति की जांच करे, बल्कि अन्य बातों बैंक के विशिष्ट जोखिम (जैसे, मॉडल जोखिम और गैर-बीमाकृत/थोक जमा का स्तर), संक्रामक जोखिम और वित्तीय प्रणाली का परस्पर संबंध, 24*7 बैंकिंग और सोशल मीडिया के प्रभाव की सीमा के साथ-साथ डीआईएफ और मापदंडों की पर्याप्तता का भी आकलन करे। हालांकि इनमें से कुछ जोखिमों को मॉडल करना एक चुनौती है, लेकिन जमा बीमाकर्ताओं को देनदारियों को पूरा करने के लिए संरक्षित और अच्छी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है।

28. ग्रेडर, कैरोलीन (2023) 'सोशल मीडिया अब एक वित्तीय डब्ल्यूएमडी है', विदेश नीति पत्रिका, मई, <https://foreignpolicy.com/2023/05/01/social-media-banks-bank-run-credit-suisse-silicon-valley-first-republic/>

29. कुकसन, जे.ए., फॉक्स, सी., गिल-वाजो, जे., इग्नेट, जे.एफ., और शिलर, सी. (2023). बैंक रन उल्लेख के रूप में सोशल मीडिया। एसएसआरएन 4422754 पर उपलब्ध है।

30. डोसुमु, ओ.ई., सकारियाहू, आर., ओएकोला, ओ., और लावल, आर. (2023). पैनिक बैंक रन, वैश्विक बाजार संक्रमण और सोशल मीडिया के वित्तीय परिणाम। अर्थशास्त्र पत्र, 228, 111170।

31. फेडरल रिजर्व बोर्ड (2023), "सिलिकॉन वैली बैंक के फेडरल रिजर्व के पर्यवेक्षण और विनियमन की समीक्षा", बताता है कि सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी के संयोजन ने बैंक रन की गति को मौलिक रूप से बदल दिया होगा। सोशल मीडिया ने जमाकर्ताओं को बैंक रन के बारे में चिंताओं को तुरंत फैलाने में सक्षम बनाया, और प्रौद्योगिकी ने धन की तत्काल निकासी को सक्षम किया।

3.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I : परिचालन और कार्यपद्धति

31 मार्च, 2023 तक निगम के साथ पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,026 थी, जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक [6 भुगतान बैंक (पीबी), 12 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और 2 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और 1,887 सहकारी बैंक (परिशिष्ट सारिणी 1) शामिल थे। पंजीकृत संस्थानों के संदर्भ में सहकारी बैंक प्रमुख बने रहे। वर्ष के दौरान 14 बैंकों का पंजीकरण रद्द किया गया, जिनमें से 12 सहकारी बैंक थे। वर्ष के दौरान, कोई भी नया बैंक बीमित बैंक के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था (परिशिष्ट सारिणी 3)।

I.1 निक्षेप बीमा योजना

वर्तमान में, जमा बीमा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) और सहकारी बैंकों को कवर करता है।

I.1.1 बीमाकृत जमाराशियाँ


मार्च 2023 के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या 294.45 करोड़ थी (अर्थात ₹5 लाख तक जमा शेष राशि वाले खाते) और यह बैंकिंग प्रणाली में खातों की कुल संख्या (300.10 करोड़) का 98.12 प्रतिशत थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 80 प्रतिशत (चार्ट 1) है। ₹83,39,470 करोड़ की बीमित जमा राशि ₹1,81,14,550 करोड़ की निर्धारणीय जमाराशियों का 46.31 प्रतिशत है, जबकि बीमा संरक्षण के तहत कवर की गई जमाओं का अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 20-30 प्रतिशत (सारिणी 1) का है। जमा बीमा सुरक्षा के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उच्चतम हिस्सेदारी 81.85 प्रतिशत है इसके बाद एलएबी 74.22 प्रतिशत, सहकारी बैंक 64.93 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक 53.80 प्रतिशत, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 49.82 प्रतिशत, एसएफबी 40.34 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के बैंक 36.60 प्रतिशत और विदेशी बैंक की 7.15 प्रतिशत है (परिशिष्ट सारिणी 5)।

सारिणी 1 : बीमाकृत जमाराशियाँ *

विवरण	निम्न तिथियों के अनुसार स्थिति	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
1 खातों की कुल सं. (करोड़)	262.19	300.10
2 पूर्णतया संरक्षित खाते (करोड़)^	256.67	294.45
3 1 की तुलना में 2 (%)	97.90	98.12
4 निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़)	1,65,49,630	1,81,14,550
5 बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़)	81,10,431	83,89,470
6 4 की तुलना में 5 (%)	49.01	46.31

* सितंबर 2021 और सितंबर 2022 के जमा आधार के आधार पर यानी संदर्भ तिथि से छह महीने पहले।

^ जमा बीमा द्वारा कवर किए गए खातों को संदर्भित करता है।



1.1.2 जमा बीमा प्रीमियम

2022-23 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम ₹21,381 करोड़ था, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 94.03 प्रतिशत और शेष 5.97 प्रतिशत का योगदान सहकारी बैंकों का था (सारणी 2)।

सारणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एलएवी और आरआरबी सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2022-23	20,104	1,277	21,381
2021-22	18,248	1,243	19,491
2020-21	16,341	1,176	17,517
2019-20	12,311	923	13,234

1.1.3 चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर


डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा (सारणी 3)। 2022-23 के लिए, निगम ने बैंकों से जुमाने के रूप में 1.16 करोड़ रुपये की वसूली की है।

सारणी 3 : बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर में उतार-चढ़ाव (प्रतिशत)

से	तक	बैंक दर	दंड स्वरूप ब्याज दर	चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर
01.04.2022	03.05.2022	4.25	8	12.25
04.05.2022	07.06.2022	4.65	8	12.65
08.06.2022	04.08.2022	5.15	8	13.15
05.08.2022	29.09.2022	5.65	8	13.65
30.09.2022	06.12.2022	6.15	8	14.15
07.12.2022	07.02.2023	6.50	8	14.50
08.02.2023	31.03.2023	6.75	8	14.75

1.2 निक्षेप बीमा निधि



निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) बीमित बैंकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों¹ में निवेश पर प्राप्त कूपन आय से बनाया गया है। डीआईएफ को परिसमापकों/प्रशासकों/अंतरिती बैंकों से की गई वसूली से भी अंतर्वाह प्राप्त होता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन/पुनर्निमाण/समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2023 तक यह निधि ₹1,69,602 करोड़ थी, और आरक्षित अनुपात (आरआर)² 2.02 प्रतिशत (चार्ट 2) था।



1. निगम ने 1 अप्रैल, 2020 से पहले की 10 पैसे की दर से निर्धारणीय जमा राशि के प्रीमियम दर को बढ़ाकर 12 पैसे प्रति 100 कर दिया।
2. बीमाकृत जमा राशियों और डीआईएफ का अनुपात।

1.3 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

2022-23 के दौरान, निगम ने परिसमाप्त बैंकों, विलय की गई संस्थाओं के बैंकों और एआईडी के तहत रखे गए बीमित जमाकर्ताओं को ₹751.78³ करोड़ रुपये की राशि के दावों का निपटान किया, जिसमें से ₹105.77⁴ करोड़ रुपये परिसमाप्त और विलय किए गए बैंकों के दावों से संबंधित थे (परिशिष्ट सारिणी 6, और चार्ट 3 बी) और ₹649.92 करोड़ रुपये एआईडी (परिशिष्ट सारिणी 6 ए और चार्ट 3 ए) के तहत बैंकों से संबंधित थे। वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा नहीं किया गया।




निगम के पास ₹44.70 करोड़ का प्रावधान है, जो अप्राय

जमाकर्ताओं (दावा स्वीकृत लेकिन जमाकर्ता पता लगाने योग्य नहीं) के कारण परिसमाप्तकों द्वारा वापस की गई राशि को दर्शाता है और भविष्य के दावों, यदि कोई हो, के निपटान के लिए अज्ञात जमाकर्ताओं के लिए ₹180.85 करोड़ का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 23 के दौरान 9 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए और तथापि 7 बैंकों के लिए ₹357.25 करोड़ की आकस्मिक देयता सृजित की गई। (परिशिष्ट सारिणी 7 और परिशिष्ट सारिणी 7ए)

निगम ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान परिसमाप्तन के तहत बैंकों के किसी भी मुख्य दावे को मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा, एआईडी के अंतर्गत बैंकों के संबंध में, निगम ने ऐसे बैंकों को एआईडी जारी करने की तारीख से जमा बीमा दावे के निपटान के लिए 90 दिनों की सांविधिक समय-सीमा का पालन किया है।

1.4 निपटाए गए दावे / प्राप्त चुकौतियाँ



जमा बीमा की शुरुआत से 31 मार्च, 2023 तक 27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त दावों की संचयी राशि ₹295.85 करोड़ थी। ₹10,631.80 करोड़ 374 परिसमाप्त सहकारी बैंकों के दावों के लिए (वर्ष के दौरान निपटाए गए ₹105.77 करोड़ सहित) (चार्ट 4 और परिशिष्ट सारिणी 8) और एआईडी के तहत रखे गए 36 सहकारी बैंकों के दावों के लिए ₹4,103.45 करोड़ (परिशिष्ट सारिणी 8ए) प्रदत्त दावों की संचयी राशि है।



वाणिज्यिक बैंकों के परिसमाप्तकों/हस्तांतरणकर्ताओं से प्राप्त संचयी वसूली वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹1.62 करोड़


- 751.78 करोड़ रुपये में परिसमाप्तन/विलय किए गए बैंकों के दावों के लिए स्वीकृत 105.77 करोड़ रुपये शामिल हैं, जैसा कि परिशिष्ट सारिणी 6 में दर्शाया गया है।
- इसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 के प्रावधानों के अनुसार निपटाए गए पीएमसीबीएल के दावे के संबंध में स्वीकृत 59.29 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सहित कुल ₹157.54 करोड़ रही। सहकारी बैंकों के मामले में, परिसमापक/हस्तांतरणी बैंकों से संचयी वसूली वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹626.72 करोड़ (सहकारी और परिसमाप्त एआईडी बैंक) सहित कुल ₹4,602.26 करोड़ (परिसमाप्त गैर - एआईडी और एआईडी सहकारी बैंक) थी, जबकि एआईडी बैंकों के मामले में, वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त कुल संचयी वसूली ₹233.17 करोड़ थी। वर्ष के दौरान सोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड के संबंध में ₹0.99 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। (परिशिष्ट तालिका 8 और चार्ट 5 ए और 5 बी)।



1.5 कोर्ट मामले

31 मार्च, 2023 तक, विभिन्न राज्यों और अन्य में लंबित निगम की जमा बीमा गतिविधि से संबंधित अदालती मामलों की संख्या 31 मार्च, 2022 को 55 की तुलना में 56 थी। वर्ष के दौरान 16 मामले बंद कर दिए गए, जबकि 17 नए मामले दर्ज किए गए। 56 लंबित मामलों में से, 6 मामले निगम (वसूली) द्वारा दायर किए गए थे, जबकि 50 मामले निगम को पक्षकार या प्रतिवादी बनाते हुए दायर किए गए थे।



1.6 ऋण गारंटी योजनाएं

वर्तमान में निगम द्वारा कोई भी ऋण (क्रेडिट) गारंटी योजना नहीं चलाई जा रही है। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹0.49 लाख की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2.61 लाख की वसूली प्राप्त हुई। हालांकि, 2019-20 से लघु ऋण गारंटी योजना, 1981 के तहत कोई वसूली नहीं हुई।

भाग II : अन्य महत्वपूर्ण पहल / प्रगति

II.1 डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18 ए के तहत दावों का निपटान - वैधानिक समय सीमा के भीतर एआईडी के तहत बैंकों द्वारा दावों को प्रस्तुत करना

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के प्रावधानों के अनुसार, जब भी किसी बैंक को एआईडी के तहत रखा जाता है, तो निगम के लिए अपेक्षित है कि बैंक पर एआईडी लागू करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर बैंक के जमाकर्ताओं के जमा बीमा दावों का निपटान करे। तथापि, यह जमाकर्ताओं की एक सूची प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है जिसमें कट-ऑफ तिथि को प्रत्येक जमाकर्ता की बकाया जमा राशियों को निगम द्वारा यथा निर्धारित रूप और रीति से, ऐसी तिथि से 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है।

जुलाई 2022 में एआईडी के तहत कुल बैंकों में से 10 बैंक, निगम द्वारा त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, वैधानिक समय सीमा के भीतर जमाकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने में विफल रहे। इसके बाद, कानूनी राय के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि निगम इन बैंकों के जमा बीमा दावों का निपटान नहीं करेगा। इसकी सूचना बैंकों को उपयुक्त रूप से दी गई थी। इसके अलावा,

यह निर्णय लिया गया है कि, आगे चलकर, निगम 45 दिनों की वैधानिक समय सीमा के बाद बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को स्वीकार नहीं करेगा या उन पर कार्रवाई नहीं करेगा।

II.2 वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय :

एआईडी के तहत सभी बैंक जिनके लिए धारा 18ए के तहत दावों का निपटारा किया गया है, उन्हें सूचित किया गया है कि 31 दिसंबर, 2022 के बाद शुरू होने वाली पांच समान किश्तों में निगम को चुकौती की जानी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में परिसमापन के अधीन विभिन्न यूसीबी के परिसमापकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ताकि उन्हें उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। पुनर्भुगतान के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य मुक्त अंतरण वर्ष के दौरान 3 बैंकों के संबंध में ₹88.97 करोड़ की राशि के लिए किया गया है।

II.3 संचार नीति और रणनीति

निगम ने जमा बीमा पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक संचार नीति तैयार की है। निगम के लिए संचार रणनीति तैयार करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। निगम ने डीआईसीजीसी की संचार नीति के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और जमाकर्ताओं की जागरूकता के स्तर का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण करने की योजना शुरू की है। निगम ने जमा बीमा पर जमाकर्ताओं की जागरूकता के लिए और डीआईसीजीसी से दावों का लाभ उठाने के लिए एक स्थानीय मैसेजिंग ऐप का उपयोग भी शुरू किया, इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां बैंकों को आरबीआई के 'सर्व समावेशी निदेश' (एआईडी) के तहत रखा गया है या लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। निगम संचार रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

II.4 जोखिम प्रबंधन

पोर्टफोलियो आकार और ट्रेजरी संचालन की जटिलता में कई गुना वृद्धि के साथ, निगम ने ट्रेजरी संचालन की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की है ताकि इसे निगम की उभरती जरूरतों को पूरा करने में अधिक मजबूत और कुशल बनाया जा सके। तदनुसार, चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन, प्रचालनों से निपटने के लिए भौतिक अवसंरचना, एमआईएस आवश्यकताओं और जोखिम प्रबंधन पद्धतियों सहित ट्रेजरी प्रचालनों के विभिन्न

पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

भाग III : लेखा-विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, राजस्व खाता और नकदी प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए मुख्य परिचालन संबंधी विवरण, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित प्रपत्र में, तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के लिए तैयार किए गए हैं। अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में निगम के मामलों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई है और यह अलग से संलग्न है।

III.1 बीमा देयताएं

- (क) निगम ने 2022-23 के दौरान ₹729.63 करोड़ के दावों को संसाधित किया है। 2022-23 के दौरान ₹751.78 करोड़ (₹8,474.04 करोड़)⁵ का भुगतान बीमा दावों के लिए किया गया इसमें पिछले वर्ष की क्रिस्टलीकृत देयता से भुगतान किया गया ₹39.27 करोड़ शामिल था।
- (ख) बीमांकिक द्वारा अनुमानित निगम के जमा बीमा निधि (डीआईएफ) के लिए बीमांकिक देयता वर्ष के अंत में ₹12,174.47 करोड़ (₹13,974.03 करोड़) थी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करती है।
- (ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई दावा देयता नहीं है।

III.2 वर्ष के दौरान राजस्व

- (क) डीआईएफ में अधिशेष ₹33,391.31 करोड़ (₹20,566.21 करोड़) था, जो साल-दर-साल आधार पर ₹12,825.10 करोड़ (62.36 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करता है, मुख्य रूप से प्रीमियम आय में ₹1,890.31 करोड़ की वृद्धि, निवेश से आय में ₹1,411.90 करोड़ की वृद्धि, भुगतान किए गए दावों की वसूली में ₹483.84 करोड़ रुपये की वृद्धि, निवल दावों में ₹7,391.19 करोड़ की कमी और बीमांकिक देयता में ₹1,799.56 करोड़ की कमी है। हालांकि, निवेश पर मूल्यहास में ₹1,850.46 करोड़ रुपये की वृद्धि से इसकी आंशिक भरपाई हो गई।

5. वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से आसन्न कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी स्थिति को दर्शाते हैं।

(ख) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में अधिशेष ₹48.01 करोड़ (₹44.9 करोड़) था जिसका श्रेय निवेश से आय में ₹3.02 करोड़ की वृद्धि को दिया गया।

(ग) सामान्य निधि (जीएफ) में अधिशेष ₹179.36 करोड़ (₹36.02 करोड़) था, जिसका मुख्य कारण ₹164 करोड़ के आयकर रिफंड पर ब्याज था। मुख्य रूप से कर्मचारियों की लागत, स्थापना, यात्रा और ठहराव भत्ते, कानूनी शुल्क, पेशेवर शुल्क और कार्यालय संपत्ति/जड़ वस्तु स्टॉक की मरम्मत में वृद्धि के कारण व्यय में ₹7.78 करोड़ की वृद्धि हुई। निवेश से आय में ₹5.16 करोड़ की वृद्धि हुई।

III.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2023 तक डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ में संचित अधिशेष/भंडार (कर के बाद) क्रमशः ₹1,57,427 करोड़ (₹1,32,868 करोड़), ₹612 करोड़ (₹576 करोड़) और ₹719 करोड़ (₹585 करोड़) था।

III.4 निवेश

तीन फंडों डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के निवेश का बुक (लागत मूल्य) 2022-23 के अंत में क्रमशः ₹1,73,738 करोड़ (₹1,48,747), ₹637 करोड़ (₹589 करोड़) और ₹774 करोड़ (₹616 करोड़) था। इन तीनों फंडों में वृद्धि दर्ज की गई और इन निधियों निवेश का बाजार मूल्य क्रमशः ₹1,71,887 करोड़, ₹649 करोड़ और ₹781 करोड़ रहा।

III.5 कराधान

III.5.1 आयकर

31 मार्च, 2023 तक डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के संबंध में अग्रिम आयकर (एआईटी) खाते में संचित शेष राशि (बकाया) क्रमशः ₹8,853 करोड़ (₹17,578 करोड़), ₹12 करोड़ (₹42 करोड़) और ₹44 करोड़ (₹11 करोड़) थी। कराधान के लिए प्रावधान में संचित शेष राशि क्रमशः ₹8,404 करोड़ (₹15,757 करोड़), ₹12 करोड़ (₹33 करोड़) और ₹45 करोड़ (₹13 करोड़) थी।

III.5.2 माल एवं सेवा कर

निगम बैंकों को प्रदान की गई जमा बीमा सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

है और निगम ने जीएसटी दायित्व का निर्वहन किया और इसके अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹3848.72 करोड़ का भुगतान किया गया। इसे बीमित बैंकों से एकत्रित किया गया था।

भाग IV : खजाना परिचालन

IV.1 डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार 31 मार्च, 2023 को ₹1,75,149 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 को ₹1,49,952 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2022 को ₹1,51,837 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2023 को ₹1,73,318 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2022 को 1.01 गुना की तुलना में 14.15 प्रतिशत और बुक वैल्यू का 0.99 गुना अधिक है। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो रिटर्न⁶ 5.49 प्रतिशत रहा, जो 2021-22 में 3.66 प्रतिशत था, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान उच्च दरों पर प्रीमियम आय और कूपन/परिपक्वता प्रवाह है। वर्ष के दौरान मौजूदा और नए निवेशों का बाजार मूल्य, प्रतिफल में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, जिससे निवेश पोर्टफोलियो में शुद्ध मूल्यहास हुआ।

IV.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिमडा) द्वारा प्रकाशित मॉडल कीमतों पर किया जाता है। निवेश संबंधी लेखा नीति के संदर्भ में निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, को मान्यता दी जाती है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है। 31 मार्च, 2023 तक, डीआईएफ ने शुद्ध मूल्यहास दर्ज किया, जबकि सीजीएफ और जीएफ ने शुद्ध वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, निगम बाजार जोखिम के खिलाफ एक सहारे के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) रखता है। 31 मार्च, 2023 को आईएफआर 31 मार्च, 2022 को ₹6,536.38 करोड़ की तुलना में ₹6,966.97 करोड़ का था जिसकी गणना मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा की गई थी।

IV.3 वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई (31 मार्च, 2023 को 10 साल का बेंच मार्क यील्ड 7.32 प्रतिशत था, जो

6. कुल भारित रिटर्न की गणना डाइट्रज विधि का उपयोग करके की जाती है, अर्थात् टीडब्ल्यूआर = [एमवीई-एमवीबी+आई -सी] / [एमवीबी + (0.5 X सी)], जहां एमवीई / बी = अंत / शुरुआत में बाजार मूल्य, आई = प्राप्त आय, सी = ताजा प्रवाह / बहिर्वाह का योगदान।

31 मार्च, 2022⁷ को 6.84 प्रतिशत था)। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही से प्रतिफल बढ़ना शुरू हो गया था क्योंकि आरबीआई एमपीसी ने उच्च मुद्रास्फीति के आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए मई 2022 एमपीसी नीति बैठक में घोषित पहली वृद्धि के साथ दरों में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू की थी। अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े करीब 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की। वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कई बार वृद्धि की गई, जिससे प्रतिफल पर दबाव बढ़ा और मार्केट टू मार्केट होने पर बॉन्ड होल्डिंग्स पर अवास्तविक नुकसान हुआ। बढ़ते प्रतिफल के कारण निगम के निवेश पोर्टफोलियो पर शुद्ध मूल्यहास 31 मार्च, 2023 को ₹1831.52 करोड़ था। निगम ने निवेश पोर्टफोलियो पर बढ़ते प्रतिफल के प्रभाव को रोकने के लिए पोर्टफोलियो अवधि को कम करने का दृष्टिकोण अपनाया। इनकमिंग प्रीमियम और कूपन/प्रिंसिपल इनफ्लो की का प्रयोग 14 साल तक परिपक्व होने वाली तरल प्रतिभूतियों में की गई थी, जिससे तरल प्रतिभूतियों की होल्डिंग बनाने में भी मदद मिली। वर्ष के दौरान दावों के भुगतान को समय पर नकदी प्रवाह का उपयोग करके सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया था। निगम ने चुनिंदा रूप से नीलामी में भी भाग लिया और तदनुसार तरल प्रतिभूतियों की बहियों का निर्माण किया।

भाग V : संगठनात्मक मामले

V.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी अधिकारों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है, जो निगम कर सकता है। डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यतः प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

V.1.1 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 1 अप्रैल, 2022 से डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 6 (1) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी)

के तहत नियुक्त नाबार्ड के अध्यक्ष श्री गोविंद राजुलु चिंतल सेवानिवृत्ति के कारण 12 जुलाई, 2022 से निगम के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे। नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के. वी. को 15 फरवरी, 2023 से डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 6 (1) (डी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

V.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2023 के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति निम्नानुसार है :

1. श्री शाजी के. वी. अध्यक्ष
2. श्री पंकज शर्मा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. डॉ. दीपक कुमार निदेशक

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

V.3 आंतरिक नियंत्रण

निगम ने तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन निधियों के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बजट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसे बीमित बैंकों के दावों का भुगतान करने के लिए तरलता लागत, आईटी विक्रेता की प्रोजेक्ट अनुरक्षण लागत, विधिक व्यय, विज्ञापन व्यय और स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक छमाही के अंत तक की स्थिति के आधार पर बजट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/प्राप्ति की मध्यकालिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

V.3.1 समवर्ती लेखापरीक्षा

मेसर्स देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स को वर्ष 2022-23 के लिए निगम के समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। मासिक लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखे जाते हैं।

V.3.2 नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा

नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसए) के अंतर्गत

7. 6.54 जीएस 2032 31 मार्च, 2022 तक 10 साल की बेंचमार्क प्रतिभूति थी, जिसे बाद में 22 अगस्त, 2022 को 7.26% जीएस 2032 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 7.26% जीएस 2033 06 फरवरी, 2023 से बेंचमार्क प्रतिभूति बन गया है।

एक प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें निगम के अधिकारी छमाही आधार पर ऐसे क्षेत्रों का जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। दिसंबर 2022 को समाप्त छमाही के लिए सीएसएए किया गया है और रिपोर्ट को प्रबंधन टीम के समक्ष रखा गया।

V.3.3 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

डीआईसीजीसी की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा की गई।

V.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

निगम अपने कर्मचारियों को कौशल उन्नयन की दृष्टि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में नियुक्त करता है। ये कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत के साथ-साथ विदेशों में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ और अन्य विदेशी जमा बीमा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2022-23 के दौरान, 28 अधिकारियों, 18 श्रेणी III और 1 श्रेणी IV कर्मचारियों (ऑनलाइन मोड में 4 अधिकारी और 1 तृतीय श्रेणी कर्मचारी सहित) को नामित किया गया था। इसके अलावा आईएडीआई, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) सम्मेलन, सामरिक प्राथमिकताओं और कार्य योजना फिलीपींस आदि पर संयुक्त कार्य बल द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 17 अधिकारियों को नामित किया गया था। (ऑनलाइन मोड में 8 अधिकारियों सहित)।

V.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ भा.रि.वै. से प्रतिनियुक्ति पर है। 31 मार्च 2023 को निगम के कुल स्टाफ की संख्या 31 मार्च 2022 के 59 की तुलना में 67 है। (सारणी 4)।

सारणी 4 : 31 मार्च 2023 के अनुसार स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	जिसमें		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	38	5	3	13.2	7.9
श्रेणी III	25	4	2	16.0	8.0
श्रेणी IV	4	0	1	0.0	25.0
कुल	67	9	6	13.4	9.0

अजा -अनसूचित जाति

अजजा - अनुसूचित जनजाति

V.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, निगम सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 60 आरटीआई अनुरोध और तीन अपील प्राप्त हुईं और निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलीय प्राधिकरण आदेश जारी किया गया। एक सीआईसी अपील सुनवाई में निगम ने भाग लिया और इसके बारे में सीआईसी के निर्देशों का पालन किया गया। आरटीआई प्रश्न मुख्य रूप से जमाकर्ताओं की सुरक्षा में आरबीआई और डीआईसीजीसी की भूमिका, दावा निपटान पर जानकारी, जमा बीमा कवर को बढ़ाने के बारे में प्रश्न, असफल बैंकों, एआईडी के तहत बैंकों और वितरित राशि आदि के बारे में जानकारी से संबंधित थे।

V.7 हिंदी का प्रयोग

राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए निगम हिंदी के उपयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक तिमाही में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। वर्ष 2022-23 में निगम का हिन्दी पत्राचार 96.92 प्रतिशत रहा। निगम हर साल 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन करता है। हिंदी दिवस समारोह का आयोजन 12 अक्तूबर 2022 को किया गया।

V.8 निगम में ग्राहक सेवा कक्ष

निगम के खिलाफ जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम में एक ग्राहक सेवा कक्ष का संचालन किया जाता है। ग्राहक सेवा कक्ष दावा निपटान के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी के प्रभार में है। निदेशों/परिसमाप्त बैंकों के अंतर्गत बैंकों से दावा राशि प्राप्त न होने, बैंकों द्वारा दावा सम्पत्ति फार्म को स्वीकार न किए जाने आदि से संबंधित शिकायतें निगम द्वारा संभाली जा रही हैं। शिकायतों का निपटान एआईडी बैंकों के परिसमाप्तकों/नोडल अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों के समन्वय से समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। शिकायतों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को निपटान के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर कार्यबल की उप-समिति (टीएफसीयूबी) के साथ भी उठाया जाता है।

V.9 जन जागरूकता

जन जागरूकता के एक भाग के रूप में, निगम बीमित बैंकों, इसकी वेबसाइट, ब्रोशर और पुस्तिकाओं के माध्यम से जनता

को जमा बीमा के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। बैंकों/जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 18 ए के तहत डीआईसीजीसी भुगतान के संबंध में जानकारी शामिल करने के लिए एआईडी बैंकों पर आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति को अपडेट किया गया है। निगम ने एआईडी बैंकों पर लक्षित स्थानीय संदेश और सामान्य रूप से डीआईसीजीसी पर जानकारी के लिए पब्लिक ऐप को अपनाया है, जिसे उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है। मौजूदा प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जन जागरूकता पर सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा रही है।

V.10 अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ में भूमिका

V.10.1 आईएडीआई बैठकें, कार्यशालाएं और अन्य मामले

निगम के अधिकारियों ने आईएडीआई द्वारा आयोजित 5 व्यक्तिगत बैठकों और सम्मेलनों में भाग लिया, जिसमें 6-7 सितंबर, 2022 के दौरान आयोजित आईएडीआई 20 वीं वर्षगांठ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बेसल में 21-24 फरवरी, 2023 के दौरान आयोजित 75 वीं कार्यकारी परिषद की बैठक शामिल है। निगम के अधिकारियों ने आईएडीआई द्वारा आयोजित कई वर्चुअल कार्यशालाओं और वेबिनार में भी भाग लिया। इसके अलावा, निगम ने आईएफआरएस 17 पर आईएडीआई सर्वेक्षण में भाग

लिया। कार्यकारी परिषद समिति के लिए एपीआरसी और अन्य बैठकों के लिए सामग्री की समीक्षा की गई और टिप्पणियां अग्रेषित की गईं। बाहरी संबंधों पर आईएडीआई प्रश्नावली प्रस्तुत की गई। निगम की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को आईएडीआई के सदस्यों के बीच वितरित किया गया था। आईएडीआई से संबंधित संपर्क कार्य में भाग लिया गया।

V.10.2 आईएडीआई की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति

14 जून, 2022 को जापान के जमा बीमा निगम के गवर्नर के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एपीआरसी वार्षिक बैठक में कवर किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई और संबंधित अधिकार क्षेत्रों में जमा बीमा और समाधान पर हाल के विकास पर जानकारी का आदान-प्रदान किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी को रणनीतिक प्राथमिकताओं और कार्य योजना पर एपीआरसी टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।


V.11 लेखापरीक्षक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से मेसर्स एन.बी.एस. एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, को वर्ष 2022-23 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई

दिनांक : 21 जून 2023



(एम डी पात्र)

अध्यक्ष

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 1: निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक — स्थापना के बाद से प्रगति

वर्ष/अवधि	अवधि के प्रारंभ में	अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2022-23	2,040	0	9	5	14	2,026
2021-22	2,058	3	11	10	21	2,040
2020-21	2,067	2	6	5	11	2,058
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	7	16	13	29	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 2-ए: बीमाकृत बैंक - श्रेणीवार

वर्ष (मार्च माह की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	आरआरबी	एलएबी	सहकारी बैंक	कुल
2022-23	94	43	2	1,887	2,026
2021-22	96	43	2	1,899	2,040
2020-21	94	43	2	1,919	2,058
2019-20	96	45	3	1,923	2,067
2018-19	103	51	3	1,941	2,098

आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

एलएबी: स्थानीय क्षेत्रों के बैंक

परिशिष्ट सारिणी 2-बी: बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार

(मार्च 2023 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	1	22	46	69
2.	असम	1	0	8	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1
4.	बिहार	1	23	4	28
5.	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6.	गोवा	1	-	4	5
7.	गुजरात	1	18	213	232
8.	हरियाणा	1	19	7	27
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	8
10.	झारखंड	1	1	1	3
11.	कर्नाटक	1	21	256	278
12.	केरल	1	1	60	62
13.	मध्य प्रदेश	1	38	47	86
14.	महाराष्ट्र	1	31	476	508
15.	मणिपुर	1	0	3	4
16.	मेघालय	1	0	3	4
17.	मिजोरम	1	0	1	2
18.	नागालैंड	1	0	0	1
19.	उड़ीसा	1	17	9	27
20.	पंजाब	1	20	4	25
21.	राजस्थान	1	29	35	65
22.	सिक्किम	1	0	1	2
23.	तमिलनाडु	1	24	129	154
24.	तेलंगाना	1	0	51	52
25.	त्रिपुरा	1	0	1	2
26.	उत्तर प्रदेश	1	50	60	111
27.	उत्तराखंड	1	10	5	16
28.	पश्चिम बंगाल	1	17	42	60
सभी राज्य		28	349	1,483	1,860
संघशासित क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
2.	चंडीगढ़	1	0	0	1
3.	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
4.	एनसीटी दिल्ली	1	0	14	15
5.	पुडुचेरी	1	0	1	2
सभी संघशासित क्षेत्र		5	3	19	27
कुल		33	352	1,502	1,887

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 3: वर्ष 2022-23 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

क. पंजीकृत (0)

बैंक का प्रकार	क्रम सं.	बैंक का नाम
-	-	-

ख. विपंजीकृत (14)

बैंक प्रकार	राज्य/श्रेणी	क्रम सं.	बैंक का नाम
वाणिज्यिक बैंक (2)	विदेशी बैंक	1.	अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड
		2.	क्रुंग थाई बैंक पीसीएल
सहकारी बैंक (12)	मध्य प्रदेश	1.	गढ़ा सहकारी बैंक लिमिटेड
	गुजरात	1.	कच्छ सहकारी बैंक लिमिटेड (भुज मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
		1.	अक्कामहादेवी महिला सहकारी बैंक नियमिता (डॉ. अम्पासाहेब उर्फ सारे पाटिल जयसिंहपुर उदगांव सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
	कर्नाटक	2.	मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड
		3.	मिलथ सहकारी बैंक लिमिटेड
		4.	डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	महाराष्ट्र	1.	श्री आनंद सहकारी बैंक लिमिटेड
		2.	लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड
		3.	सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड
		4.	रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड
		5.	श्री शारदा सहकारी बैंक लि. (कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
		6.	बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 4: जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : स्थापना के बाद से

वर्ष	पूर्णतः संरक्षित खाते (संख्या करोड़ में)*	कुल खाते (करोड़ में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णतः संरक्षित खातों का प्रतिशत	बीमित जमाराशियाँ* (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	कुल जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2022-23	294.5	300.1	98.1	83,89,470	1,81,14,550	46.3
2021-22	256.7	262.2	97.9	81,10,431	1,65,49,630	49.0
2020-21	247.8	252.6	98.1	76,21,251	1,49,67,770	50.9
2019-20	216.1	235.0	92.0	36,96,100	1,34,88,910	27.4
2018-19	200.0	217.4	92.0	33,70,000	1,20,05,100	28.1
2017-18	177.5	194.1	91.4	32,75,300	1,12,02,000	29.2
2016-17	173.7	188.5	92.1	30,50,900	1,03,53,100	29.5
2015-16	155.3	168.1	92.3	28,26,400	94,05,300	30.1
2014-15	134.5	145.6	92.3	26,06,794	84,75,154	30.8
2013-14	126.7	137.0	92.4	23,79,152	76,16,640	31.2
2012-13	139.3	148.2	94.0	21,58,365	66,21,060	32.6
2011-12	99.6	107.3	92.8	19,04,300	57,67,400	33.0
2010-11	97.7	105.2	92.9	17,35,800	49,52,427	35.1
2009-10	126.7	142.4	89.0	16,82,397	45,87,967	36.7
2008-09	120.4	134.9	89.3	19,08,951	33,98,565	56.2
2007-08	96.2	103.9	92.6	18,05,081	29,84,800	60.5
2006-07	68.3	71.7	95.3	13,72,597	23,44,351	58.5
2005-06	50.6	53.7	94.1	10,52,988	17,90,919	58.8
2004-05	62.0	65.0	95.4	9,91,365	16,19,815	61.2
2003-04	51.9	54.4	95.4	8,70,940	13,18,268	66.1
2002-03	57.8	60.0	96.3	8,28,885	12,13,163	68.3
2001-02	46.4	48.2	96.4	6,74,051	9,68,752	69.6
2000-01	43.2	44.6	96.9	5,72,434	8,06,260	71.0
1999-00	43.0	44.2	97.4	4,98,558	7,04,068	70.8
1998-99	45.4	46.4	97.9	4,39,609	6,09,962	72.1
1997-98	37.1	41.1	90.4	3,70,531	4,92,280	75.3
1996-97	42.7	43.5	98.2	3,37,671	4,50,674	74.9
1995-96	48.2	48.7	99.0	2,95,575	3,92,072	75.4
1994-95	49.6	49.9	99.2	2,66,747	3,64,058	73.3
1993-94	35.0	35.3	99.1	1,68,405	2,49,034	67.6
1992-93	34.0	35.4	95.8	1,64,527	2,44,375	67.3
1991-92	31.7	32.9	96.4	1,27,925	1,86,307	68.7
1990-91	29.8	30.9	96.5	1,09,316	1,56,892	69.7
1962	0.6	0.7	78.5	392	1,694	23.1

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500, 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000, 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000, 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000, 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹30,000, 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 और 4 फरवरी 2020 के बाद से ₹5,00,000 से अधिक नहीं थीं।

टिप्पणी: 1. 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

2. 4 फरवरी, 2020 से जमा बीमा कवर को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया। चूंकि 30 सितंबर, 2019 से संबंधित जमा बीमा रिटर्न डेटा में वर्ष 2019-20 के लिए ₹5 लाख के जमा बीमा कवर के लिए ₹3,00,000 से अधिक के लिए ग्रेन्यूलर जानकारी उपलब्ध नहीं है, बीमित जमा और पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या क्रमशः ₹68,71,500 करोड़ और 231 करोड़ होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप कुल खातों में पूर्ण रूप से संरक्षित खातों का अनुपात 92.0% से बढ़कर 98.3% हो गया है और बीमित जमा राशि और कुल जमा अनुपात भी 27.4% से 50.9% हो गया है।

परिशिष्ट सारिणी 5: बैंकवार श्रेणी : बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष	बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)*	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)*	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2022-23	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	139	77,00,667	1,70,53,688	45.2
	i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	51,32,083	1,00,01,096	51.3
	ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	20,11,253	54,94,669	36.6
	iii) विदेशी बैंक	43	63,387	8,85,929	7.2
	iv) लघु वित्त बैंक	12	56,129	1,39,142	40.3
	v) भुगतान बैंक	6	9,791	9,842	99.5
	vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,27,216	5,21,921	81.9
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	808	1,089	74.2
	II. सहकारी बैंक (i से iii)	1,887	6,88,803	10,60,862	64.9
	i) शहरी सहकारी बैंक	1,502	3,62,101	5,21,203	69.5
	ii) राज्य सहकारी बैंक	33	62,256	1,36,208	45.7
	iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	2,64,446	4,03,451	65.5
	कुल (I+II)	2,026	83,89,470	१,81,14,550	46.3
2021-22	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	141	74,21,789	1,55,14,476	47.8
	i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	50,05,209	92,53,975	54.1
	ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	18,70,980	48,60,092	38.5
	iii) विदेशी बैंक	45	86,728	8,00,107	10.8
	iv) लघु वित्त बैंक	12	43,113	1,00,066	43.1
	v) भुगतान बैंक	6	6,265	6,289	99.6
	vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,08,744	4,92,966	82.9
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	750	981	76.4
	II. सहकारी बैंक (i से iii)	1,899	6,88,642	10,35,154	66.5
	i) शहरी सहकारी बैंक	1,514	3,74,965	5,26,366	71.2
	ii) राज्य सहकारी बैंक	33	60,862	1,32,048	46.1
	iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	2,52,815	3,76,739	67.1
	कुल (I+II)	2,040	81,10,431	1,65,49,630	49.0

* बीमित जमा और निर्धारणीय जमा से संबंधित आंकड़े पिछली छमाही के 30 सितंबर तक के हैं।

टिप्पणी: राउंड ऑफ के कारण बीमित जमा राशि और निर्धारणीय जमाराशि के अनुपात का मिलान नहीं हो सकता है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 6: 2022-23 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे
(परिसमाप्त/विलय किए गए बैंक)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहकारी बैंक				
	महाराष्ट्र (7)			
1	कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	4,662	18.43
2	शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	54	0.30
3	शिवाजीराव भोसले एसबीएल	अनुपूरक	275	2.19
4	करनाला एनएसबीएल	अनुपूरक	317	3.66
5	पीएमसी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	20,756	59.29
6	नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	396	1.92
7	सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	2,180	12.52
कुल (महाराष्ट्र)		अनुपूरक (7)	28,640	98.31
	पश्चिम बंगाल (1)			
1	कसुनदिया सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	93	0.42
कुल (पश्चिम बंगाल)		अनुपूरक (1)	93	0.42
	राजस्थान (2)			
1	भीलवाड़ा महिला यूसीबीएल, राजस्थान	अनुपूरक	179	0.48
2	अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	261	0.65
कुल (राजस्थान)		अनुपूरक (1)	440	1.13
	गोवा (1)			
1	मापुसा यूसीबीएल	अनुपूरक	922	5.92
कुल (गोवा)		अनुपूरक (1)	922	5.92
कुल (सभी राज्य)		अनुपूरक (11)	30,095	105.77

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 6ए: 2022-23 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे
(सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत बैंक

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहकारी बैंक				
1	महाराष्ट्र श्री आनंद सीबीएल लिमिटेड	अनुपूरक	40	0.08
2	मराठा एसबीएल	अनुपूरक	484	3.07
3	सिटी सीबीएल	अनुपूरक	20	0.52
4	पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल सीबीएल	अनुपूरक	78	1.22
5	कपोल सीबीएल	अनुपूरक	3,339	18.84
6	सेवा विकास सीबीएल	अनुपूरक	लागू नहीं	1.08
7	बाबाजी दाते महिला एसबीएल	अनुपूरक	4,354	41.03
8	लक्ष्मी सीबीएल	अनुपूरक	4160	0.99
9	मल्कापुर यूसीबीएल	अनुपूरक	1,711	18.82
10	नगर यूसीबीएल	अनुपूरक	7,807	113.14
11	द्वारकादास मंत्री एनएसबीएल	मुख्य	2,834	44.92
12	शंकरराव पुजारी नूतन एसबीएल	मुख्य	4,121	41.61
13	हरिहरेश्वर एसबीएल	मुख्य	4,208	57.24
14	सांगली एसबीएल	मुख्य	1,492	28.67
15	साईबाबा जनता एसबीएल	मुख्य	1,019	18.83
16	जयप्रकाश नारायण एनएसबीएल	मुख्य	1,187	22.20
17	नासिक जिला गिरना एसबीएल	मुख्य	1,353	16.27
कुल (महाराष्ट्र)		मुख्य (7) और अनुपूरक (10)	38,207	428.54
कर्नाटक				
1	डेक्कन यूसीबीएल	अनुपूरक	लागू नहीं	0.07
2	मिलथ सीबीएल	अनुपूरक	101	0.61
3	श्री गुरु राघवेंद्र एसबीएल	अनुपूरक	99	3.49
4	सुश्रुति सौहार्द एसबीएल	मुख्य	1,821	54.16
5	श्री शारदा महिला सीबीएल	मुख्य	530	12.95
6	श्री मल्लिकार्जुन पट्टना एसबीएल	मुख्य	510	5.89
कुल (कर्नाटक)		मुख्य (3) और अनुपूरक (3)	3,061	77.17
राजस्थान				
1	सीकर यूसीबीएल	अनुपूरक	185	1.99
2	सुमेरपुर मर्केटाइल यूसीबीएल	मुख्य	3,714	44.32
कुल (राजस्थान)		मुख्य (1) और अनुपूरक (1)	3,899	46.31
उत्तर प्रदेश				
1	द इंडियन मर्केटाइल यूसीबीएल	अनुपूरक	136	2.91
कुल (उत्तर प्रदेश)		अनुपूरक (1)	136	2.91
केरल				
1	थोडुपुझा अर्बन सीबीएल	मुख्य	3,735	85.14
कुल (केरल)		मुख्य (1)	3,735	85.14
आंध्र प्रदेश				
1	दुर्गा सहकारी यूबीएल	मुख्य	290	9.84
कुल (आंध्र प्रदेश)		मुख्य (1)	290	9.84
कुल (सभी राज्य)		मुख्य (13) और अनुपूरक (15)	49,328	649.92

टिप्पणी: निगम को ₹3.91 करोड़ का रिफंड प्राप्त हुआ जो डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे बैंकों के पंजीकरण रद्द किए जाने के समय यह राशि अवितरित पड़ी थी।

लागू नहीं : लागू नहीं क्योंकि जमाकर्ताओं को मुख्य दावे में गिना गया है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 7: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान
(31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	विपंजीकरण की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
क	10 वर्ष और ऊपर		
	-	-	-
	कुल (क)	-	-
ख	5 वर्ष और 10 वर्ष से कम		
	-	-	-
	कुल (ख)	-	-
ग	1 वर्ष और 5 वर्ष से कम		
1	24 दिसंबर 2022	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक (यू/एल)*	7.75
2	11 जनवरी 2021	यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यू/एल) बगनान, पबं#	2.23
3	3 फरवरी 2022	इंडिपेंडेंस सीबीएल (यू/एल)	2.70
4	16 फरवरी 2022	मंथा यूसीबीएल (यू/एल)	26.11
5	2 मार्च 2022	सरजेराव दादा नाइक शिराला एसबीएल (यू/एल)\$	22.54
	कुल (ग)	(5 बैंक)	61.33
घ	1 वर्ष से कम		
1	8 जून 2022	मुधोल सीबीएल	5.20
2	18 जून 2022	मिलथ सीबीएल	3.54
3	7 जुलाई 2022	श्री आनंद सीबीएल	5.45
4	18 अगस्त 2022	डेक्कन यूसीबीएल	3.13
5	22 सितंबर 2022	लक्ष्मी सीबीएल	16.69
6	10 अक्तूबर 2022	सेवा विकास सीबीएल	1.84
7	31 अक्तूबर 2022	रूपी सीबीएल	321.40
	कुल (घ)	(7 बैंक)	357.25
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	(12 बैंक)	418.58

*31 मार्च, 2022 तक परिसमापक की नियुक्ति नहीं की गई। मामला न्यायाधीन है।

परिसमापक से दावा सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है।

\$ वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में बैंकों का परिसमापन किया गया है।

टिप्पणी: गढ़ा सीबीएल (यू/एल) और बाबाजी दाते महिला एसबीएल (यू/एल) के लिए आकस्मिक देयता 31 मार्च, 2023 तक बुक नहीं की गई है।

**परिशिष्ट सारिणी 7ए: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान - एआईडी के तहत बैंक
(31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार)**

क्रमांक	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़)
1	श्री महालक्ष्मी मर्केटाइल यूसीबीएल	46.77
2	शिमशा एसबीएन	16.11
3	हिरियूर यूसीबीएल	3.58
4	डिफेंस अकाउंट्स सीबीएल	18.48
5	शंकरराव मोहिते पाटिल सीबीएल	63.34
6	फैज मर्केटाइल सीबीएल	12.43
7	आदर्श महिला एनएसबीएल	263.83
8	पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड	10.34
9	इंपीरियल यूसीबीएल	19.20
10	मुसीरी यूसीबीएल	2.32
11	बनारस मर्केटाइल सीबीएल	9.09
12	एचसीबीएल सीबीएल	36.69
13	नेशनल मर्केटाइल सीबीएल	5.03
कुल		507.22

टिप्पणी: बैंकों द्वारा दावा प्रस्तुत करने की नियत तिथि अप्रैल 2023 में आती है। इसलिए दावा सूची की प्राप्ति लंबित रहने तक निगम ने इन बैंकों के संबंध में 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक देयता रखी है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 8: निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ - 31 मार्च 2023

तक परिसमापित / समापित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	वाणिज्यिक बैंक				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (क)				
1	बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)		925.00	925.00	-
2	कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*		704.06	704.06	-
3	लेती क्रिश्चियन बैंक लि., एर्णाकुलम (1964)*		208.50	208.50	-
4	श्री जड़ेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*		11.51	11.51	-
5	बैंक ऑफ बेहार लि., पटना (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
6	नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लिमिटेड, दिल्ली (1970)*		968.92	968.92	-
7	बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन (1986)*		1,16,278.09	1,16,278.46	(0.38)
8	मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
9	बैंक ऑफ कराड़ लि., मुंबई (1992)		3,70,000.00	3,70,000.00	-
	कुल 'क'		5,08,386.80	5,08,387.18	(0.38)
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ख)				
10	यूनिटी बैंक लि., चेन्नई (1963)*		253.35	137.79 (115.56)	-
11	बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-
12	उन्नाव कमर्शियल बैंक लि., उन्नाव (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
13	मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*		880.08	441.55 (438.53)	-
14	सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
15	हबीब बैंक लि., मुंबई (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
16	नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
17	चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
18	लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बेंगलूर (1985)*		3,34,062.25	91,358.30 (2,42,703.95)	-
19	परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-
20	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*		3,50,150.63	32,631.51 (3,17,519.12)	-
21	ट्रेडर्स बैंक लि., दिल्ली (1990)*		30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	पूर्वांचल बैंक लि., गुवाहाटी (1990)*		72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	कुल 'ख'		8,17,291.74	1,91,403.91 (6,25,887.83)	-
iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (ग)					
23	हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988)*		2,19,167.10	1,05,374.96	1,13,792.14
24	बैंक ऑफ तंजावुर लि., तंजावुर, तमिलनाडु (1990)*		1,07,836.01	1,03,755.98	4,080.04
25	बैंक ऑफ तमिलनाडु लि., तिरुनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
26	सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*		1,72,956.25	-	1,72,956.25
27	बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*		10,56,442.08	5,90,557.14	4,65,884.94
	कुल 'ग'		16,32,851.19	8,75,585.40	7,57,265.80
	कुल (क+ख+ग)		29,58,529.73	15,75,376.48 (6,25,887.83)	7,57,265.42
II कोऑपरेटिव बैंक					
i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (घ)					
1	बॉम्बे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1976)		573.33	573.33	-
2	मालवण कोऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)		184.00	184.00	-
3	बॉम्बे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)		1,072.00	1,072.00	-
4	रामदुर्ग अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)		218.99	244.99	(26.00)
5	दाधीच सहकारी बैंक लि., मुंबई (1984)		1,837.46	1,837.46	-
6	कुर्दूवाड़ी मर्चेन्ट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*		484.89	484.89	-
7	मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1992)		12,500.00	12,500.00	-
8	हिंदूपुर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)		121.97	121.97	-
9	बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1996)		2,413.42	2,413.43	(0.00)
10	धारवाड़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)^		915.79	915.79	-
11	त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (1999)		28,556.47	28,556.47	-
12	इचलकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)		5,068.09	5,068.09	-
(13)	माधवपुर मर्सेन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001, 2013@)#)	3,160	40,15,185.54	40,15,185.54	-
14	श्री लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		7,821.24	7,821.24	-
15	दी वीरावल रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		26,553.64	26,553.64	-
16	निज़ामाबाद कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		11,289.66	11,289.66	-
17	कुरनूल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		47,432.57	47,432.57	-
18	श्री भाग्यलक्ष्मी ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		34,033.48	34,033.48	-
19	अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		33,329.35	33,331.32	(1.97)

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	थेनी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)		33,177.94	33,177.94	-
21	अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		37,343.88	37,343.88	-
22	दी जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2003)		41,281.62	41,281.62	-
23	पीथमपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		7,697.97	7,697.97	-
24	पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		22,952.19	22,952.19	-
25	चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		20,65,143.58	20,65,143.58	-
26	सोलापूर मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		30,697.47	30,697.47	-
27	वसुंधरा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		629.80	629.80	-
28	श्री गंगानगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005) [^]		4,787.55	4,787.55	(0.00)
29	क्लासिक कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,725.86	5,725.86	-
30	मातृ नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		30,892.41	30,901.60	(9.20)
31	डायमण्ड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005) [^]		6,06,403.31	6,06,403.31	-
32	प्रगति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		1,30,437.03	1,30,437.03	-
33	उजवर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		15,706.37	15,706.37	-
34	दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)		18,999.84	18,999.84	-
35	पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		24,741.48	24,741.48	-
36	महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2006)		3,04,703.46	3,04,703.46	-
37	मदुरई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006) [^]		2,57,956.99	2,57,956.99	-
38	कावेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलूर, कर्नाटक (2006)		4,846.70	4,846.70	-
39	बड़ोदा मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		12,825.48	12,825.48	-
40	धनसुरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		58,798.44	58,811.81	(13.36)
41	पूडेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लि., सिक्ंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		7,55,959.06	7,55,959.06	-
42	श्रीराम सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र (2007)		3,23,215.02	3,23,215.02	-
43	यशवंत सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2007)		5,938.96	5,938.96	-
44	श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)		11,238.00	11,238.00	-
45	आनंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	1,84,558.65	1,84,558.65	-
46	चेतक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008) [^]	7,240	7,442.90	7,442.90	-
47	मराठा कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	1,85,521.69	1,85,521.69	-
48	इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	24,167.12	24,167.12	-
49	जय लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., दिल्ली (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	-
50	श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	79,008.26	79,008.26	-
51	श्री वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लि., भावनगर, गुजरात (2009)	13,521	51,821.99	51,821.99	-
52	श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009) [^]	1,892	20,818.79	20,818.79	-
53	चालिसगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	3,00,915.66	3,00,915.66	-
54	दी हलियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	43,375.25	43,375.25	-
55	फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	33,463.64	33,463.64	-

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकोतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
56	प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	70,182.85	70,182.85	-
57	सिटिजन कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2010)	27,123	2,32,261.93	2,32,261.93	-
58	कुपवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	12,948	1,14,105.43	1,14,105.43	-
59	राहुरी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	13,833	1,67,648.97	1,67,648.97	-
60	श्री चामराजा कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2011)	174	179.27	179.27	-
61	चोपड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	71,269.83	71,269.83	-
62	श्री बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-
63	मेमन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)*	85,990	2,37,520.12	2,37,520.12	-
64	भूसावल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	12,203	1,01,677.83	1,01,705.75	(27.93)
65	कृष्णा वेली कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	-
66	अभिनव सहकारी बैंक लि. (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
67	वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	40,373	7,27,615.26	7,27,615.26	-
68	श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	20,401	1,57,616.06	1,57,616.06	-
69	दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. (2015)	28,759	3,01,759.34	3,01,759.34	-
70	वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तेलंगाना (2015)	42,825	1,19,188.84	1,19,188.84	-
71	म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद (2015)&	29,343	1,56,382.66	1,56,382.66	-
72	वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान (2015)	3,191	41,382.47	41,382.47	-
73	मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014)	11,822	55,921.12	55,921.12	-
74	श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	6,592	21,888.06	21,888.60	(0.54)
75	विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.59)
76	जामखेड़ मर्चेंट्स सीबीएल, महाराष्ट्र (2020)	6,119	52,055.23	52,465.99	(410.76)
77	मिर्जापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिर्जापुर (मुख्य दावा)&	15,188	71,639.96	71,639.96	-
78	दी अर्बन सीबीएल, भुवनेश्वर, ओडिशा (2018) &	6,446	1,51,659.37	1,51,659.37	-
कुल 'घ'			1,29,17,552.73	1,29,18,061.07	(508.35)
ii) आंशिक चुकोती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ड.)					
79	घाटकोपर जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1977)		276.50	-	-
				(276.50)	
80	आरे मिल्क कॉलोनी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (1978)		60.31	-	-
				(60.31)	
81	रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*		4,642.36	1,256.95	-
				(3,385.41)	
82	भद्रावती टाउन कोऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)		26.10	-	-
				(26.10)	
83	आरमूर कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		708.44	527.64	-
				(180.80)	
84	दी नीलगिरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		2,114.71	549.18	-
				(1,565.53)	

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85	शोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2000)		27,494.76	17,600.00 (9,894.76)	-
	कुल 'ड.'		35,323.17	19,933.77 (15,389.41)	-
iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (च)					
86	विश्वकर्मा कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
87	प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		701.51	412.14	289.37
88	कलाविहार कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
89	वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लि., बंगलोर, कर्नाटक (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
90	कोल्लूर पार्वती कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)		1,395.93	707.86	688.08
91	आदर्श कोऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)		274.30	65.50	208.80
92	गडग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
93	मनिहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)		961.85	227.60	734.25
94	हिन्द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)		1,095.23	-	1,095.23
95	येल्लम्मनचिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)		436.10	51.62	384.48
96	वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्जाला, आंध्र प्रदेश (1991)		388.82	48.56	340.26
97	कुंदरा कोऑपरेटिव बैंक लि., केरला (1991)		1,736.62	963.02	773.59
98	मनोली श्री पंचलिंगेश्वर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
99	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
100	बेलगाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
101	भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
102	सिटिजेनस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
103	चेतना कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
104	पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)		36,545.52	29,279.79	7,265.73
105	स्वस्तिक जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		22,662.97	7,300.00	15,362.97
106	कोल्हापूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		80,117.45	-	80,117.45
107	दादर जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
108	विंकार सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		18,067.90	14,148.71	3,919.19
109	आवामी मर्सेटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
110	रविकिरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
111	गुदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
112	अन्नाकपाले कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
113	इंदिरा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		1,57,012.94	59,783.98	97,228.95
114	नांदगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		2,242.01	-	2,242.01
115	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
116	दी सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)		2,017.30	-	2,017.30

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
117	अहिल्या देवी महिला नागरिक सहकारी , कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)		1,696.09	0.24	1,695.85
118	नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर, मध्य प्रदेश (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
119	इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
120	नागरिक कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर, मध्य प्रदेश (2001)		26,135.83	15,704.50	10,431.33
121	परिषद कोऑपरेटिव बैंक लि, नई दिल्ली (2001)		3,946.61	3,939.70	6.91
122	कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)		2,32,429.22	73,116.30	1,59,312.92
123	सहयोग कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		30,168.26	12,765.43	17,402.83
124	जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत), मध्य प्रदेश (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
125	श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		1,40,667.57	62,046.41	78,621.16
126	मराठा मार्केट पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई , महाराष्ट्र (2002)		37,959.73	0.01	37,959.73
127	लातूर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)		3,048.95	302.00	2,746.95
128	फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई , महाराष्ट्र (2002)		48,456.66	147.03	48,309.63
129	भाग्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंजीकृत, आंध्र प्रदेश (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
130	अस्का कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)		7,032.61	3.32	7,029.29
131	श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		25,866.18	8,400.00	17,466.18
132	श्रव्य कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
133	मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
134	मीरा भायंदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)		22,448.41	4.16	22,444.25
135	श्री लाभ कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई , महाराष्ट्र (2003)		47,507.25	342.72	47,164.53
136	खेड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		46,368.34	1,028.84	45,339.50
137	जनता सहकारी बैंक मर्यादित., देवास, मध्य प्रदेश (2003)		71,741.71	68,141.14	3,600.57
138	दी मेगासिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
139	यमुना नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14
140	प्रजा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
141	चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#		14,32,344.30	9,46,695.05	4,85,649.26
142	राजमपेट कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,345.12	7,760.00	8,585.12
143	आर्यन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.50
144	दी फर्स्ट सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
145	कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23
146	दी मंदसौर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., मध्य प्रदेश (2003)		1,41,139.81	1,40,798.15	341.65
147	मदर टेरेसा हैदराबाद कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ., आंध्र प्रदेश (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
148	धन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		23,855.34	-	23,855.34

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
149	दी स्टार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		2,626.79	-	2,626.79
150	मणिकान्त कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
151	भावनगर वेल्फेयर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		35,508.21	18,626.44	16,881.77
152	नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)		22,272.99	3,038.47	19,234.52
153	श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		42,971.17	40,729.41	2,241.76
154	संतराम कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		1,15,872.42	27,318.21	88,554.21
155	नायक मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		25,531.20	-	25,531.20
156	जनरल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		7,15,200.69	4,25,756.90	2,89,443.79
157	वेस्टर्न कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2004)		44,086.21	82.94	44,003.27
158	प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)		34,192.33	26,848.87	7,343.46
159	विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		38,46,162.46	32,48,868.42	5,97,294.04
160	नरसरावपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		1,794.45	164.60	1,629.85
161	भंजनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., उड़ीसा (2004)		9,799.51	-	9,799.51
162	दी साई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		10,170.18	9,470.18	700.00
163	दी कल्याण कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.10
164	ट्रिनिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
165	गुलबर्ग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)		25,441.21	3,293.11	22,148.10
166	विजया कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
167	श्री सत्यसाई कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
168	सितारा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		3,741.01	4.74	3,736.27
169	महालक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74
170	माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि., अकोला, महाराष्ट्र (2005)		13,351.57	4,512.55	8,839.02
171	पारतुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		15,836.61	519.61	15,317.00
172	सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र (2005)		1,07,561.91	24,465.92	83,095.99
173	बड़ोदा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,84,048.60	4,18,791.83	1,65,256.77
174	दी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि., गुजरात (2005)		49,437.88	34,002.75	15,435.13
175	श्री पाटनी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		86,530.52	78,227.40	8,303.13
176	साबरमति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		3,18,925.24	2,47,133.24	71,792.00
177	पेटलाद कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		74,035.72	66,870.29	7,165.43
178	नाडियाद मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		2,99,340.86	58,849.32	2,40,491.54
179	श्री विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		2,23,150.28	67,681.19	1,55,469.09
180	टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.52
181	सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		17,573.42	729.55	16,843.88
182	संस्कारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27
183	सिटिज़न कोऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
184	बेल्लमपल्लि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
185	श्री विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		80,214.81	21,649.74	58,565.07
186	सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,79,896.95	55,781.74	5,24,115.21
187	श्री सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		10,898.73	190.09	10,708.63
188	रघुवंशी कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2005)		1,20,659.85	103.13	1,20,556.72
189	औरंगाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31
190	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. तेहरी, उत्तरांचल (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.69
191	श्रीनाथजी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		40,828.18	10,038.93	30,789.25
192	दी सेंचूरी कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		67,739.63	25,933.48	41,806.15
193	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि., रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		1,81,637.44	27,645.01	1,53,992.43
194	मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		65,053.51	0.38	65,053.14
195	नवसारी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		3,01,592.15	2,05,852.62	95,739.53
196	सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)		2,66,452.45	1,81,014.17	85,438.28
197	मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश (2006)		1,45,661.51	1,38,413.27	7,248.24
198	छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		82,529.98	3.29	82,526.70
199	श्री वीतरंग कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.50
200	श्री स्वामीनारायण कोऑपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा, गुजरात (2006)		4,34,251.94	3,37,993.29	96,258.66
201	जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., नाडियाद, गुजरात (2006)		3,23,292.67	2,16,629.70	1,06,662.97
202	नटपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., नाडियाद, गुजरात (2006)		5,52,716.70	2,18,566.92	3,34,149.78
203	मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		1,20,686.51	6,314.48	1,14,372.03
204	दी रॉयल कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.26
205	जय हिन्द कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2006)		1,18,895.88	1,08,619.17	10,276.71
206	कर्नाटक कॉन्ट्रेक्टरस सहकारी बैंक नियमित, बेंगलूर, कर्नाटक (2006)		29,757.64	6,157.56	23,600.09
207	आनंद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		3,71,586.77	2,17,086.25	1,54,500.52
208	कोटागिर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54
209	दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		11,614.90	4,767.09	6,847.81
210	दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		1,65,896.38	1,07,683.34	58,213.04
211	समस्त नगर कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		1,16,051.52	26,444.24	89,607.27
212	लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		6,606.11	1,702.99	4,903.12
213	नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, मध्य प्रदेश (2007)		20,393.50	21.68	20,371.83
214	सिंध मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		1,03,903.73	43,449.78	60,453.95
215	परभणी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		3,67,807.52	2,27,393.79	1,40,413.73
216	पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
217	दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एईडड सीयूबीएल, कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
218	महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोन, मध्य प्रदेश (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
219	करमसड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., आनंद, गुजरात (2007)		1,24,758.68	1,18,066.31	6,692.37
220	भारत मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.99
221	लॉर्ड बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		27,287.76	579.65	26,708.11
222	वसुंधरम महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		2,304.21	5.61	2,298.60
223	बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01
224	दत्तिया नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33
225	आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		12,974.81	5,446.71	7,528.11
226	उमरेठ पीपुल्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		22,078.93	3,562.98	18,515.95
227	सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., वीसनगर, गुजरात (2007)		1,60,286.13	73,518.98	86,767.15
228	श्री कोऑपरेटिव बैंक लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश (2007)		2,476.52	78.08	2,398.43
229	ओणेक ओबावा महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्गा, कर्नाटक (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86
230	दी विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		10,262.36	4,377.84	5,884.52
231	राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
232	सेवालाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., माण्डरूप, महाराष्ट्र (2008)	678	666.32	-	666.32
233	नगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
234	सर्वोदय महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	8,391.32	1,413.55	6,977.77
235	बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि., बसागंज, कर्नाटक (2008)	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
236	इण्डियन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
237	तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	24,522.91	2,559.37	21,963.53
238	चल्लाकेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
239	डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
240	जिला सहकारी बैंक लि., गोण्डा, उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	4,54,367.84	3,255.92	4,51,111.91
241	श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, राधानपुर, गुजरात (2008)	8,841	47,517.84	15,770.87	31,746.97
242	परिवर्तन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2008)	11,350	1,84,735.21	41,653.68	1,43,081.53
243	इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	1,64,573.59	34,173.51	1,30,400.08
244	किचूर रानी चेन्नम महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	22,849.90	10,946.41	11,903.49
245	भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	99,668.73	65,022.95	34,645.78
246	रवि कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	1,69,225.78	38,581.19	1,30,644.59
247	श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., कोपेरगांव, महाराष्ट्र (2008)	16,723	2,68,254.02	2,30,571.10	37,682.92

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
248	हरुगेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
249	वरद कोऑपरेटिव बैंक लि., हवेरी ,करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	25,242.02	8,395.14	16,846.88
250	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	1,12,933.28	56,063.28	56,870.00
251	श्री कमलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., होले - अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	25,288.48	16,701.67	8,586.82
252	दी लक्ष्मेश्वर एसएचवीआर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	67,660.45	66,092.12	1,568.33
253	प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर,महाराष्ट्र (2009)	11,129	65,792.83	36,584.83	29,208.00
254	श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तूर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
255	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., अलाहाबाद,उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
256	फिरोज़ाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उत्तर प्रदेश (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
257	सिद्धपुरी कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.07
258	नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	1,28,916.02	58,576.93	70,339.09
259	भावनगर मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,466	3,74,582.84	3,13,003.72	61,579.12
260	संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	1,01,964.31	35,540.70	66,423.61
261	श्री एस.के.पाटिल कोऑपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	1,33,059.30	6,988.16	1,26,071.14
262	ध्यानोपासक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
263	अचेलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	53,127.98	32,959.23	20,168.76
264	रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	3,70,674.45	72,341.14	2,98,333.31
265	साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2009)*	56,817	3,59,787.81	82,703.49	2,77,084.32
266	अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,368	2,38,318.86	2,21,485.48	16,833.38
267	अजीत कोऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	2,92,978.03	1,40,836.14	1,52,141.88
268	हीरेकरूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	1,37,345.44	1,32,644.11	4,701.33
269	श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार , महाराष्ट्र (2009)	67,791	5,66,073.61	35,805.32	5,30,268.28
270	दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
271	सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
272	वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि., सांगली , महाराष्ट्र (2009)	1,41,317	16,72,059.89	15,45,360.12	1,26,699.78
273	मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,764	4,20,307.60	3,99,698.93	20,608.67
274	डेल्टनगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
275	इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	1,25,438.26	94,084.87	31,353.39
276	दी आकोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	1,44,067.26	99,944.96	44,122.30
277	गोरेगांव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2010)	43,934	4,36,184.64	1,08,922.59	3,27,262.05
278	अनुभव कोऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण , कर्नाटक (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25
279	यशवंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	1,16,808.19	56,224.93	60,583.27
280	सुरेन्द्रनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	56,769	4,87,115.50	2,81,323.36	2,05,792.14

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
281	बेल्लाट्टी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	56	58.72	0.74	57.98
282	श्री परोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	5,289	51,243.07	15,721.26	35,521.81
283	साधना कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	3,386	15,629.02	5,615.61	10,013.41
284	प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	3,710	64,921.83	7,781.14	57,140.69
285	श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
286	यशवंत सहकारी बैंक लि., मिराज, महाराष्ट्र, (2010)	21,235	1,15,186.90	1,14,638.37	548.53
287	अर्बन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54
288	अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	36,652	4,48,117.96	3,45,548.61	1,02,569.35
289	सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	44,393	2,60,370.86	1,02,147.10	1,58,223.76
290	काटकोल कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	39,912	1,46,202.60	52,086.60	94,116.00
291	श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	35,219	4,03,741.10	3,57,859.76	45,881.34
292	नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	54,036	4,76,606.19	3,09,031.48	1,67,574.71
293	राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	3,424	25,845.79	20,063.13	5,782.66
294	बहदारपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	4,866	49,312.44	22,552.04	26,760.39
295	श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक, (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
296	विजयानगरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,980	71,482.68	60,959.22	10,523.46
297	अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
298	अन्नासाहेब पाटिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50
299	रायबाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
300	चंपावती अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	14,811	1,45,596.66	1,33,805.66	11,791.00
301	श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र, (2011)	9,208	84,041.98	69,438.22	14,603.76
302	रजवाड़े मण्डल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	26,422	1,33,960.02	1,00,299.93	33,660.09
303	अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	71,262	5,91,664.24	3,04,181.07	2,87,483.17
304	केमबे हिन्दू मर्सेटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	9,336	86,764.47	9,683.40	77,081.07
305	रबकावि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	67,393.38	45,288.02	22,105.36
306	श्री मौनेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
307	श्री चदचन श्री संगमेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00
308	दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	4,03,178.78	1,91,801.02	2,11,377.76
309	समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	4,22,834.49	50,467.79	3,72,366.70
310	हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	1,12,964.84	1,186.06	1,11,778.78
311	श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,337	35,973.20	8,067.23	27,905.97
312	दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	1,99,311.58	51,833.76	1,47,477.83
313	विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,322	1,60,023.77	77,571.28	82,452.49
314	इचालकरंजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,822	5,57,696.70	4,42,870.71	1,14,825.99
315	सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
316	आसनसोल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 8: (जारी)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
317	श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	22,002.44	3,545.78	18,456.66
318	रायचूर जिला महिला पाटन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94
319	दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
320	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	18,516	2,43,635.93	2,140.89	2,41,495.04
321	बोरियावी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,408	45,494.11	42,836.70	2,657.41
322	नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
323	भण्डारी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	5,48,927.62	5,28,927.62	20,000.00
324	भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	5,696	20,904.79	7,614.16	13,290.62
325	इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,958	32,042.29	24,042.29	8,000.00
326	श्री भद्रण मर्सेटाइल बैंक लि., गुजरात (2012)	6,599	45,780.63	43,405.89	2,374.74
327	ढेंकानल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., उड़ीसा (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
328	भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	4,102.06	1,464.14	2,637.92
329	सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,689	4,59,890.08	3,74,890.08	85,000.00
330	वासो कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)*	34,672	72,219.38	22,835.89	49,383.49
331	अग्रसेन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2013)*	19,631	52,967.42	7,208.00	45,759.42
332	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि. (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
333	अर्जुन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	3,530	61,654.61	34,801.30	26,853.31
334	विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
335	सिल्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
336	गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	1,30,638	28,77,206.83	8,45,716.81	20,31,490.02
337	दी श्रीकाकुलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
338	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2016)	14,190	77,816.31	38,211.72	39,604.59
339	बारानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता, पश्चिम बंगाल (2016)	19,137	1,52,079.54	59,588.31	92,491.23
340	तांदूर महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तेलंगाना ए पी (2016)	1,769	4,308.27	1,581.57	2,726.70
341	धनश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	3,639	20,783.40	15,309.67	5,473.73
342	राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	4,009	12,879.52	7,710.41	5,169.11
343	महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	7,398	1,09,302.97	12,931.83	96,371.14
344	कसुंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (2017)	21,045	2,46,373.71	1,67,801.58	78,572.13
345	लमका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मणिपुर (2017)	317	261.65	0.00	261.65
346	छतरपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, उड़ीसा (2017)	2,025	10,385.18	8,537.44	1,847.74
347	गोलाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, असम (2017)	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
348	पयोनियर अर्बन सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2019)	28,382	68,559.47	65,227.18	3,332.29
349	यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, कानपुर यूपी (2019)	24,684	2,47,534.55	1,66,492.73	81,041.82
350	मर्केटाइल यूसीबीएल मेरठ, यूपी (2019)	19,087	27,434.83	7,956.74	19,478.09
351	अलवर यूसीबीएल, राजस्थान (2018)	4,216	1,07,690.90	31,044.42	76,646.47
352	महामेधा यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2020)	33,004	3,01,398.79	20,755.49	2,80,643.29
353	सी के पी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2020)	50,883	32,17,834.05	23,84,576.42	8,33,257.63

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 8: (समाप्त)

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
354	नवोदय यूसीबीएल, नागपुर (2020)	2,125	1,53,640.88	10,000.00	1,43,640.88
355	श्री साई यूसीबीएल, मुखेड (2020)	449	9,372.57	1,671.30	7,701.27
356	भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2020)	12,723	2,96,052.00	1,86,770.00	1,09,282.00
357	मापुसा यूसीबीएल, गोवा (2021)	66,062	25,46,529.22	23,94,864.80	1,51,664.42
358	कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र (2021)	40,415	36,21,282.31	11,81,333.72	24,39,948.59
359	शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र (2021)	3,595	30,061.61	-	30,061.61
360	शिवाजीराव भोसले एसबीएल, महाराष्ट्र (2021)	60,798	28,98,743.94	2,45,904.82	26,52,839.12
361	करनाला एनएसबीएल, महाराष्ट्र (2022)	38,325	37,77,117.41	-	37,77,117.41
362	मडगाम यूसीबीएल, गोवा (2022)	32,221	13,60,410.47	11,48,885.93	2,11,524.55
363	पीएमसी सीबीएल महाराष्ट्र (2022) *	8,47,506	3,85,08,392.22	-	3,85,08,392.22
	कुल 'ब'		9,20,82,474.20	2,66,23,371.57	6,54,59,102.63
	कुल (घ + ड + च)		10,50,35,350.10	3,95,61,366.41 (15,389.41)	6,54,58,594.28
	कुल (क + ख + ग + घ + ड + च)		10,79,93,879.83	4,11,36,742.90 (6,41,277.24)	6,62,15,859.70

* सामेलन विलय की योजना

पुनर्निर्माण की योजना।

@ बैंक के परिसमापन पर निपटाए गए दावे

& तरल निधि समायोजन के तहत निपटाए गए दावे।

^ अन्य क्रियाविधि के तहत निपटाए गए।

नोट : 1. मूल दावों के निपटान का वर्ष कोष्ठक में दिया गया है।

2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े ३१ मार्च २०२३ तक बट्टेखाते डाले गई राशि है।

3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।

4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या २००८ से दी गई है।

5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

परिशिष्ट सारिणी 8ए: बीमा दावों का निपटारा और प्राप्त चुकौती - सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक, 31 मार्च, 2023 तक

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुधोल सीबीएल \$	1,155	1,66,937.15	70,000.00	96,937.15
2	गढ़ा सीबीएल \$	643	1,23,662.49	24,732.50	98,929.99
3	मंथा यूसीबीएल \$	28,946	4,48,883.72	-	4,48,883.72
4	इंडिपेंडेंस सीबीएल \$	269	23,570.22	-	23,570.22
5	डेक्कन यूसीबीएल \$	1,759	1,29,816.98	10,000.00	1,19,816.98
6	सीकर यूसीबीएल \$	1,186	1,82,361.28	-	1,82,361.28
7	पीपुल्स सीबीएल \$	872	71,998.85	-	71,998.85
8	श्री आनंद सीबीएल \$	10,971	90,568.55	-	90,568.55
9	मराठा एसबीएल	8,925	14,01,143.38	2,80,228.68	11,20,914.70
10	सिटी सीबीएल	12,563	23,09,917.07	-	23,09,917.07
11	मिलथ सीबीएल \$	2,460	1,08,929.25	10,000.00	98,929.25
12	सरजेरोदादा नाइक एसबीएल \$	10,888	6,81,199.86	2,50,000.00	4,31,199.86
13	पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल सीबीएल	290	42,799.01	8,559.80	34,239.21
14	कपोल सीबीएल	21,573	23,01,580.76	4,60,316.15	18,41,264.61
15	श्री गुरु राघवेंद्र एसबीएल	22,248	71,29,284.44	-	71,29,284.44
16	अदूर सीबीएल	252	62,934.00	62,934.00	-
17	सेवा विकास सीबीएल \$	13,344	15,12,751.64	4,54,355.79	10,58,395.85
18	बाबाजी दाते महिला एसबीएल \$	18,595	29,44,731.02	69,300.00	28,75,431.02
19	लक्ष्मी सीबीएल \$	20,565	19,36,111.38	3,87,600.00	15,48,511.38
20	मलकापुर यूसीबीएल	24,397	49,69,836.47	9,30,000.00	40,39,836.47
21	नगर यूसीबीएल	17,269	29,48,475.49	5,89,695.10	23,58,780.39
22	रूपी सीबीएल \$	64,024	69,98,052.69	25,34,933.90	44,63,118.79
23	इंडियन मार्केटाइल यूसीबीएल	136	29,086.32	-	29,086.32
24	द्वारकादास मंत्री एनएसबीएल	2,834	4,49,243.06	-	4,49,243.06
25	सुश्रुति सौहार्द एसबीएल, बेंगलुरु	1,821	5,41,574.79	-	5,41,574.79
26	शंकर राव पुजारी नूतन एसबीएल	4,121	4,16,052.71	-	4,16,052.71
27	हरिहरेश्वर एसबीएल	4,208	5,72,373.06	-	5,72,373.06
28	श्री शारदा महिला सीबीएल	530	1,29,510.42	-	1,29,510.42
29	सांगली एसबीएल	1,492	2,86,733.00	-	2,86,733.00
30	श्री मल्लिकार्जुन पट्टना सहकारी बैंक नियामिता	510	58,897.30	-	58,897.30
31	नासिक जिला गिरना एसबीएल	1,353	1,62,712.66	-	1,62,712.66
32	साईबाबा जनता एसबीएल	1,019	1,88,282.97	-	1,88,282.97
33	दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा	290	98,423.21	-	98,423.21
34	जयप्रकाश नारायण एनएसबीएल, बसमतनगर	1,187	2,21,990.82	-	2,21,990.82
35	थोडुपुझा अर्बन सीबीएल, केरल	3,735	8,50,855.69	-	8,50,855.69
36	सुमेरपुर मार्केटाइल यूसीबीएल, सुमेरपुर, पाली	3,714	4,43,204.64	-	4,43,204.64
कुल		3,10,144	4,10,34,486.35	61,42,655.91	3,48,91,830.44

\$ डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18(ए) के तहत दावों के भुगतान के बाद वित्तीय वर्ष 22 की चौथी तिमाही से परिसमाप्त बैंक ।

टिप्पणी : 1) 31 दिसंबर, 2022 के बाद शुरू होने वाली पांच किस्तों में निगम को पुनर्भुगतान किया जाना है।

2) निगम को ₹3.91 करोड़ का रिफंड प्राप्त हुआ जो डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे बैंकों के पंजीकरण रद्द किए जाने के समय यह राशि अवितरित पड़ी थी।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 8 बी: त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए बीमा दावे -
31 मार्च, 2023 तक

(राशि ₹ हजार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	दावों का निपटारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अजमेर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2016)*		3,18,602.37
2	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2018)		2,946.90
3	श्री छत्रपति यूसीबीएल, महाराष्ट्र (2018)		27,601.00
4	गोकुल यूसीबीएल आंध्र प्रदेश/तेलंगाना (2019)		13,579.00
5	भोपाल नागरिक एसबीएल, एमपी (2019)		84,394.67
6	ब्रह्मावर्त कमर्शियल सीबीएल, यूपी (2021)	26,425	2,51,000.00
7	गाजियाबाद यूसीबीएल, यूपी (2021)		1,16,856.00
8	हरदोई यूसीबीएल, यूपी (2021)	11,918	42,022.68
9	वसंतदादा एनएसबीएल उस्मानाबाद, महाराष्ट्र (2021)		3,28,300.00
10	भाग्योदय मित्र यूसीबीएल, महाराष्ट्र (2021)		80,463.93
11	डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, महाराष्ट्र (2021)		16,885.96
	कुल		12,82,652.51

* दावा राशि को प्राप्त पुनर्भुगतान माना जाता है।

टिप्पणी : निगम ने उपर्युक्त बैंकों के परिसमापकों द्वारा दावा सूची प्रस्तुत न किए जाने के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से दावों के शीघ्र निपटान के लिए दिनांक 06 जून, 2008 को नीति तैयार की थी। तदनुसार, डीआईसीजीसी का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, परिसमापक बैंक के पास उपलब्ध तरल निधियों में से डीआईसीजीसी अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमा तक बैंक के सभी जमाकर्ताओं के दावों का निपटान कर सकता है, यदि वे डीआईसीजीसी द्वारा बीमित सीमा तक सभी जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा, यदि बैंक के सभी जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी द्वारा बीमित सीमा तक भुगतान करने के लिए तरल निधि पर्याप्त नहीं है, तो भुगतान केवल ऐसे जमाकर्ताओं को किया जाएगा जो डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार पात्र हैं।

4.

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

Tel.: +91-22-22870588 / 0939 / 4140 / 22885229

Fax: +91-22-22884910

Email: admin@nbsandco.in

Web.: www.nbsandco.in

NBS & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

14/2, Western India Building,
Sir P. M. Road, Fort,
Mumbai - 400 001.

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का निदेशक मण्डल

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ("निगम") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उपरोक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 1961, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 ("अधिनियम") द्वारा यथासंशोधित द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2023 के अनुसार निगम की तीनों निधियों के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके अधिशेष और उनके नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के भाग "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" में उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम निगम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

NBS & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

14/2, Western India Building,
Sir P. M. Road, Fort,
Mumbai - 400 001.

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व निगम के निदेशक मण्डल का होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह देखना है कि अन्य जानकारियाँ वास्तविक रूप से वित्तीय विवरणों के और लेखा परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के अनुरूप हैं या नहीं या वे वास्तविक रूप से गलत बयानी प्रतीत होती हैं।

यदि, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी वास्तविक रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणों के नियमन हेतु प्रभारियों के दायित्व

निगम का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के लिए उत्तरदायी है जोकि भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में, निगम की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना; धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जोकि लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं, उनकी संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व है निगम की कार्यशील संस्था के रूप बने रहने की क्षमता का आकलन करना, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों का, जैसा भी लागू हो, प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए तब तक कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करना जब तक कि या तो प्रबंधन निगम के परिसमापन करने का या उसका परिचालन रोकने का निश्चय न कर ले या फिर इसके अलावा उसके पास यह करने के अतिरिक्त और कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देखरेख भी निदेशक मण्डल का दायित्व है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट भी जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद गलत बयानी का हमेशा पता लगा ले। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो

सकती है और यह तब वास्तविक मानी जाती है यदि इनसे एकल रूप से या सकल रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त:

- हम वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना और उनको निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक गलत बयानी के पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण का दमन शामिल हो सकते हैं।
- जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना के लिए हम लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।
- हम उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निगम द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- निगम द्वारा लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार के प्रयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी वास्तविक अनिश्चितता है जो निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संशय उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यह कि हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- हम वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का और यह कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं कि प्रस्तुति निष्पक्ष हो, इसका मूल्यांकन करते हैं।

NBS & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

14/2, Western India Building,

Sir P. M. Road, Fort,

Mumbai - 400 001.

नियमन के प्रभारियों को हम, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध व्यापकता और समयावधि के बारे में और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य ऐसे मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में बताने के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) मांगी गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं।
- (ख) हमारे विचार से हमारे द्वारा की गई निगम की लेखा बहियों की जांच से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।
- (ग) रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- (घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का, जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन करता है।



कृते एनबीएस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 110100W

सीए प्रदीप शेटी

भागीदार

एम. नं. 46940

यूडीआईएन : 22046940AJNCFY5238

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21 जून 2023

5.

तुलन-पत्र और लेखे

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -

31 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष		देयताएं	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
13,97,403.00	0.00	1. निधि (वर्ष के अंत में शेष)	12,17,447.00	0.00
1,17,62,903.41	54,235.83	2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष: वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,32,86,843.14	57,602.72
15,23,939.73	3,366.89	जोड़ें : राजस्व खाते से अंतरित	24,55,879.88	3,593.20
1,32,86,843.14	57,602.72	वर्ष के अंत में शेष	1,57,42,723.02	61,195.92
0.00	0.00	3. (क) निवेश रिज़र्व वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00	0.00
0.00	0.00	जोड़ें : राजस्व खाते से अंतरित	1,85,046.39	0.00
0.00	0.00	वर्ष के अंत में शेष	1,85,046.39	0.00
6,31,378.18	3,462.16	(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व	6,46,145.40	3,462.16
14,767.22	0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	43,059.01	0.00
6,46,145.40	3,462.16	वर्ष के अंत में शेष	6,89,204.41	3,462.16
20,318.85	0.00	4. सूचित और स्वीकृत परंतु अदा न किए गए दावे	18,084.91	0.00
0.00	0.00	5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं	0.00	0.00
0.00	0.00	6. विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ	0.00	0.00
4,452.61	0.00	7. दावा न की गई बीमित जमाराशियाँ	4,469.55	0.00
552.88	0.00	8. अन्य देयताएं	131.57	0.00
15,75,704.48	3,255.75	i. फुटकर लेनदार	8,40,392.50	1,208.49
19,198.25	0.00	ii. आयकर के लिए प्रावधान	1,08,221.75	0.00
135.98	0.00	iii. रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	99.17	0.00
0.01	0.00	iv. बैंकों को वापसी योग्य राशि	4.82	0.00
15,95,591.60	3,255.75	v. भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	9,48,849.81	1,208.49
1,69,50,754.60	64,320.63	कुल	1,88,05,825.09	65,866.57

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार


कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 110100 डबल्यू





सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम. सं. 46940)
मुंबई
21 जून 2023
यूडीआईएन: 22046940AJNCFY5238




डॉ. एम. डी. पात्र
अध्यक्ष


अनुप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक


डॉ. दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक


एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

तुलन-पत्र और लेखे

प्रत्यय गारंटी निगम

निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)


फार्म 'क')


की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष		आस्तियां	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
8.11	413.72	1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि	1,656.51	15.84
0.00	0.00	2. मार्गस्थ नकदी	0.00	0.00
		3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00	0.00	खजाना बिल	0.00	0.00
1,48,74,725.92	58,852.38	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	1,73,73,783.55	63,713.32
1,48,74,725.92	58,852.38		1,73,73,783.55	63,713.32
1,44,71,139.01	57,838.75	अंकित मूल्य	1,70,12,053.89	62,613.56
1,50,58,810.45	62,272.81	बाज़ार मूल्य	1,71,88,737.16	64,918.81
2,57,786.25	842.44	4. निवेशों पर उपचित ब्याज	3,09,569.55	910.40
		5. अन्य आस्तियां		
3,134.57	0.00	i. फुटकर देनदार	0.00	0.00
17,57,829.18	4,212.09	ii. अग्रिम आयकर	8,85,342.54	1,227.01
19,210.81	0.00	iii. रिवर्स रेपो आस्तियां/प्राप्य रिवर्स रेपो ब्याज	1,08,242.83	0.00
19,198.25	0.00	iv. रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	1,08,221.75	0.00
20.75	0.00	v. प्राप्य सेवा कर/सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी	167.60	0.00
18,840.76		vi. चुकाया गया विवादित सेवा कर (विरोध के अधीन)	18,840.76	
18,18,234.32	4,212.09		11,20,815.48	1,227.01
1,69,50,754.60	64,320.63	कुल	1,88,05,825.09	65,866.57


पंकज शर्मा
निदेशक


शाजी के. वी.
निदेशक

निकेप बीमा और
(फार्म)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष

I. निकेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष		व्यय	चालू वर्ष	
निकेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निकेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
1. दावे:				
8,09,381.59	0.00	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त	71,251.43	0.00
2,699.99	0.00	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए	1,692.97	0.00
		(ग) सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबन्धित अनुमानित देयताएं		
0.00	0.00	वर्ष के अंत में		
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	(घ) विपंजीकृत बैंकों के संबंध में बीमित जमाराशियाँ	0.00	0.00
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00
0.00	0.00	(ड.) घटाएँ पता न लगाए जाने योग्य जमकर्ताओं के संबंध में प्रावधान का प्रतिलेखन	18.44	0.00
8,12,081.58	0.00	निवल दावे	72,962.84	0.00
13,97,403.00	0.00	2. वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	12,17,447.00	0.00
0.00	0.00	3. निवेश रिज़र्व में क्रेडिट किए गए निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1,85,046.39	0.00
20,56,621.27	4,499.26	नीचे लाया गया निवल अधिशेष	33,39,131.04	4,801.69
42,66,105.85	4,499.26	कुल	48,14,587.27	4,801.69
कराधान के लिए प्रावधान				
5,17,610.44	1,132.37	चालू वर्ष	8,40,392.50	1,208.49
303.88	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	(200.35)	
0.00	0.00	आस्थगित कर	0.00	
14,767.22	0.00	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)	43,059.01	0.00
15,23,939.73	3,366.89	अधिशेष खाते में ले जाया गया शेष	24,55,879.88	3,593.20
20,56,621.27	4,499.26		33,39,131.04	4,801.69

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन 110100 डबल्यू

(हस्ताक्षर)

सीए प्रदीप शेठ्टी

भागीदार (एम. सं. 46940)

मुंबई

21 जून 2023

यूडीआईएन: 22046940AJNCFY5238



(हस्ताक्षर)

डॉ. एम. डी. पात्र
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)

अनुप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

(हस्ताक्षर)

डॉ. दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

(हस्ताक्षर)

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

तुलन-पत्र और लेखे

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')


के लिए राजस्व खाता

ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष		आय	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
12,27,527.00	0.00	1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा	13,97,403.00	0.00
19,49,081.80	0.00	2. निक्षेप बीमा प्रीमियम द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)	21,38,112.99	0.00
39,894.92	0.50	3. भुगतान/निपटान किए गए दावों के संबंध में वसूलियों द्वारा (अतिदेय पुनर्भुगतान पर ब्याज सहित)	88,278.97	2.61
		4. निवेशों से आय द्वारा		
10,53,530.27	4,498.76	(क) निवेशों पर ब्याज	11,79,615.50	4,799.08
(8,067.33)	0.00	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	1,467.72	0.00
4,139.19	0.00	ग) रिवर्स रेफों ब्याज आय खाता	9,709.09	0.00
10,49,602.13	4,498.76		11,90,792.31	4,799.08
		5. अन्य आय		
0.00	0.00	प्रतिलेखित निवेश का मूल्यहास	0.00	0.00
42,66,105.85	4,499.26	कुल	48,14,587.27	4,801.69
20,56,621.27	4,499.26	नीचे लाया गया निवल अधिशेष	33,39,131.04	4,801.69
20,56,621.27	4,499.26		33,39,131.04	4,801.69


पंकज शर्मा
निदेशक


शाजी के. वी.
निदेशक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च 2023 को को समाप्त वर्ष

II. सामान्य

पिछला वर्ष	देयताएं	चालू वर्ष
राशि		राशि
5,000.00	1. पूंजी: डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)	5,000.00
	2. रिज़र्व	
	क) सामान्य रिज़र्व	
55,819.36	वर्ष के प्रारंभ में शेष	58,514.84
2,695.48	राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष/(घाटा)	13,421.95
58,514.84		71,936.79
	ख) निवेश रिज़र्व	
0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00
0.00	राजस्व खाते से अंतरित	0.00
0.00		0.00
	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व	
4,030.06	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,030.06
0.00	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.00
4,030.06		4,030.06
	3. चालू देयताएं और प्रावधान	
201.08	बकाया व्यय	318.04
21.46	फुटकर लेनदार	23.00
1,343.87	आयकर के लिए प्रावधान	4,516.94
1.34	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी	1.28
1,567.75		4,859.26
69,112.64	कुल	85,826.11

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार


कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 110100 डबल्यू





सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम. सं. 46940)
मुंबई
21 जून 2023
यूडीआईएन: 22046940AJNCFY5238




डॉ. एम. डी. पात्र
अध्यक्ष


अनुप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक


डॉ. दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक


एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

तुलन-पत्र और लेखे

प्रत्यय गारंटी निगम

निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म 'क')


की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष	आस्तियां	चालू वर्ष
राशि		राशि
1. नकद		
0.00 i. हाथ में		0.00
19.73 ii. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास		72.63
19.73		72.63
2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00 खजाना बिल		0.00
16,437.67 दिनांकित प्रतिभूतियां		61,051.28
45,170.34 सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य ₹17,100)		16,361.70
61,608.01		77,412.98
62,121.94 अंकित मूल्य :		78,490.44
62,659.79 बाजार मूल्य :		78,102.26
1,113.41	3. निवेशों पर उपचित ब्याज	1,960.38
4. अन्य आस्तियां		
23.18 आईएसएस परियोजना पूंजीकृत		10.40
31.16 फर्नीचर, फिक्सचर और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)		51.22
0.00 लेखन सामग्री का स्टॉक		0.00
0.26 स्टाफ अग्रिम		5.37
5,035.00 सीसीआईएल के पास सीमांत जमा		1,825.00
1,058.73 अग्रिम आय कर/ टीडीएस		4,430.45
223.16 प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		57.23
0.00 फुटकर देनदार		0.45
6,371.49		6,380.12
69,112.64	कुल	85,826.11


पंकज शर्मा
निदेशक


शाजी के. वी.
निदेशक

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फार्म 'ख')

31 मार्च 2023 को को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष	व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	आय	चालू वर्ष
राशि		राशि	राशि		राशि
1,162.09	स्टाफ को भुगतान/प्रतिपूर्ति की लागत	1,690.07		निवेशों से आय	
0.00	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.00	4,539.59	(क) निवेशों पर ब्याज	5,045.02
0.36	निदेशकों/समिति के सदस्यों का यात्रा और व्यय	5.06	0.00	(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि)	10.20
347.96	किराया, कर, बीमा, बिजली की व्यवस्था आदि	331.99	4,539.59		5,055.22
369.25	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते	560.30			
24.13	मुद्रण, लेखन सामग्री और कम्प्यूटर उपभोग्य सामग्री	25.27	0.00	प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यह्रास	0.00
88.18	डाक, तार और टेलीफोन	92.89			
89.53	लेखापरीक्षकों का शुल्क	94.19		विविध प्राप्तियाँ	
43.62	विधि प्रभार	63.06	0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.00
9.33	विज्ञापन	15.67		जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ (निवल)	
			(0.73)		(0.15)
0.00	निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	1,792.34	आयकर वापसी पर ब्याज	16,399.98
0.00	विविध व्यय	0.00	0.01	अन्य विविध प्राप्तियाँ	0.00
7.00	व्यावसायिक प्रभार	25.02	1,791.62		16,399.83
369.75	सेवा करार / अनुरक्षण	364.76			
7.06	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	6.08			
2.19	पुस्तक अनुदान	4.81			
1.28	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	12.39			
118.37	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल	96.82			
72.83	अन्य	102.49			
578.48		612.37			
11.71	मूल्यह्रास	18.44			
4.53	आईएएस पर मूल्यह्रास	9.63			
3,602.04	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया	17,936.11			
6,331.21	कुल	21,455.05	6,331.21	कुल	21,455.05
	आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया		3,602.04	वर्ष में व्यय की तुलना में अधिक आय को नीचे लाया गया	17,936.11
	आयकर के लिए प्रावधान				
906.56	चालू वर्ष	4,514.16			
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	0.00			
0.00	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)	0.00			
2,695.48	सामान्य रिज़र्व खाता	13,421.95			
3,602.04	कुल	17,936.11	3,602.04	कुल	17,936.11

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार


कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 110100 डबल्यू




सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम. सं. 46940)
मुंबई
21 जून 2023
यूडीआईएन: 22046940AJNCFY5238






डॉ. एम. डी. पात्र
अध्यक्ष


शाजी के. वी.
निदेशक


डॉ. दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक


अनुप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक


पंकज शर्मा
निदेशक


एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

तुलन-पत्र और लेखे

निकेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
निकेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

31-03-2022 को समाप्त अवधि		31-03-2023 को समाप्त अवधि	
राशि	राशि	राशि	राशि
डीआईएफ	सीजीएफ	डीआईएफ	सीजीएफ
2,056,621.27	4,499.26	3,339,131.04	4,801.69
(1,057,669.46)	(4,498.77)	(1,189,324.58)	(4,799.08)
8,067.33	0.00	(1,467.72)	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	185,046.39	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
169,876.00	0.00	(179,956.00)	0.00
(879,726.13)	(4,498.77)	(1,185,701.91)	(4,799.08)
परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
व्यय की तुलना में अधिक आय		(क)	
परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में			
अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
निवेशों पर ब्याज			
प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)			
निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)			
निवेश रिजर्व में अंतरण			
प्राप्त धनवापसी पर ब्याज			
कर			
निधि शेष में प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)			
		(ख)	
परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
आस्तियाँ :			
कमी (वृद्धि)			
अग्रिम आयकर/स्त्रोत पर कर कटौती में वृद्धि			
फुटकर देनदार			
प्राप्य सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी			
अन्य आस्तियाँ			
विवादित सेवा कर/भुगतान किया गया ब्याज खाता			
		(ग)	
देयताएं :			
(कमी) वृद्धि			
सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं			
अदावी जमाराशियाँ			
फुटकर लेनदार			
फुटकर जमा खाता			
सेवाकर देय खाता			
रिवर्स रेपो खाते के तहत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ			
भुगतान योग्य स्वच्छ भारत			
भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी			
		(घ)	
(52,356.23)	0.00	86,353.18	0.00
626,417.02	(629.80)	1,361,697.03	(268.06)
परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग+घ)		(क)	
निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
प्राप्त निवेशों पर ब्याज			
प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन से लाभ/(हानि)			
सामान्य निधि में अंतरित			
कमी (वृद्धि)			
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि			
निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(ख)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		(ग)	
नकदी में निवल वृद्धि / कमी		(क+ख+ग)	
अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष			
वर्ष के अंत में नकदी शेष			
8.11	413.72	1,656.51	15.84

टिप्पणी: निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अतः इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया है।

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन 110100 डबल्यू

सीए प्रदीप शेट्टी

भागीदार (एम. सं. 46940)

मुंबई

21 जून 2023

यूडीआईएन: 22046940AJNCFY5238



डॉ. एम. डी. पात्र
अध्यक्ष

श्री. के. वी.
निदेशक

डॉ. वीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

अनुप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

पंकज शर्मा
निदेशक

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

निकेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

II. सामान्य निधि (जीएफ)

31 मार्च 2023 को को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष 31 मार्च 2022		31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि
राशि		राशि
3,602.04	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह व्यय की तुलना में अधिक आय शुद्ध नकदी के परिचालन से आय से अधिक व्यय का सामंजस्य करने के लिए समायोजन	(क) 17,936.11
11.71	मूल्यहास	18.44
4.53	आईएसएस पर मूल्यहास	9.63
(4,539.59)	निवेशों पर ब्याज	(5,045.02)
0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)	(10.20)
0.00	निवेश रिजर्व को अंतरण	0.00
0.00	अधिक प्रावधान प्रतिलेखित	0.00
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.00
0.73	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ / (हानि)	0.15
0.01	अन्य - विविध प्राप्तियाँ	0.00
0.00	आयकर	0.00
(4,522.62)		(ख) (5,027.00)
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन : आस्तियाँ :	
	कमी (वृद्धि)	
0.00	लेखन सामग्री/ अधिकारी लाउज कूपन का स्टॉक	0.00
(110.27)	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	165.93
10.80	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम	(5.11)
(587.43)	अग्रिम आयकर	(4,706.34)
(3,000.00)	सीसीआईएल के पास उपांत जमा	3,210.00
0.00	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज	0.00
0.00	फुटकर देनदार	(0.45)
(12.43)	परियोजना लागत	12.78
(3,699.33)		(ग) (1,323.19)
	देयताएं :	
	वृद्धि (कमी)	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक में	0.00
0.00	बकाया कर्मचारी लागत	0.00
(667.97)	बकाया व्यय	116.96
(1.14)	फुटकर लेनदार	1.55
6.99	अन्य जमा / स्त्रोत पर कर कटौती	(6.47)
1.16	भुगतान करने योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी	(0.06)
(660.96)		(घ) 111.98
(5,280.87)	परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(क) 11,697.90
3,883.16	निवेशों से प्राप्त ब्याज	4,198.05
0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)	10.20
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.00
(0.01)	डीआईएफ से प्राप्त निधि	0.00
0.00	अन्य	0.00
(12.66)	कमी (वृद्धि)	(48.28)
	अचल आस्तियाँ	
0.00	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश:	
28,630.76	खजाना बिल	0.00
(27,254.16)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	(44,613.61)
	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ	28,808.64
5,247.10	निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(ख) (11,645.00)
0.00	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(ग) 0.00
(33.77)	नकदी में निवल वृद्धि	(क+ख+ग) 52.90
	वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष	
53.49	हाथ में	0.00
19.73	भारिबैं के पास	19.73
	वर्ष के अंत में नकद शेष	72.63

टिप्पणी : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अतः इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. एफआरएन 110100 डबल्यू

[Signature]

सीए प्रदीप शेठ्टी

भागीदार (एम. सं. 46940)

मुंबई

21 जून 2023

यूडीआईएन: 22046940AJNCFY5238



[Signature]

डॉ. एम. डी. पात्र
अध्यक्ष

[Signature]

शाजी के. वी.
निदेशक

[Signature]

डॉ. दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

[Signature]

अनुप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

[Signature]

पंकज शर्मा
निदेशक

[Signature]

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार:

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में सामान्यतः प्रचलित लेखांकन पद्धति (भारतीय जीएएपी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और देश में सामान्य रूप से प्रचलित प्रथाओं के अनुसार हैं। **जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए** निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को आवश्यक है कि वे आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय का अनुमान और पूर्वानुमान करें और विशेषतः उस तारीख के वित्तीय विवरण के निक्षेप बीमा दावों से संबंधित आकस्मिक देयताएं प्रकट करें। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

3. राजस्व का निर्धारण

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

- क. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।
- ख. यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के जमा न किए गए प्रीमियम आय के लिए प्रावधान किया जाता है।
- ग. प्रीमियम भुगतान में देर के लिए दण्ड ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

- क. वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

- ख. बीमाकृत जमा की सीमा तक आकस्मिक देयता (उल्टे होने के कारण) बीमाकृत बैंक के रूप में विपंजीकरण पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा, डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश/निषेध के तहत रखे गए बीमित बैंकों के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा।
- ग. परिसमाप्त बैंकों के संबंध में जहां निगम डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के संदर्भ में दावे के निपटान के लिए उत्तरदायी है, ऊपर निर्दिष्ट पैरा (ख) में बनाई गई आकस्मिक देयता को उलट दिया है और मुख्य दावों के रूप में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत क्रिस्टलीकृत देयता के प्रावधान को निगम के बही खातों में लिया जाता है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, निगम द्वारा वास्तविक दावे का सम्पूर्ण निपटान अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, यह प्रावधान रखा जाता है।
- घ. इसके अलावा, डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18 ए के तहत दावा निपटान के लिए ऊपर उल्लिखित लेखा नीति समान है। बैंक द्वारा प्रस्तुत इच्छुक जमाकर्ताओं की पहली सूची के अनुसार देयता का प्रावधान तब तक रखा जाएगा जब तक कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 2021 की धारा 18 ए के संदर्भ में निगम द्वारा वास्तविक दावे का पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता है या निर्देश / विलय / समामेलन के अंत तक, जो भी पहले हो।
- ड. पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता या परिसमापन के बाद 10 वर्ष पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है। 6 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न निगम के निदेशक मंडल की 248 वीं बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार 10 वर्ष से पहले परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ताओं के संबंध में अज्ञात (खाता संख्या - 1070200) और अनुपलब्ध (खाता संख्या - 1060100) खाताशीर्षों को रिवर्स किया गया और बाद में (यदि दावे प्राप्त हों) राईट बैंक की गई राशि के लिए निगरानी और भुगतान करने हेतु एक अलग आकस्मिक देयता खाते में रखा गया। यह अभ्यास 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परिसमाप्त बैंकों के लिए प्रतिवर्ष किया जाना है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पुष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है।

इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है। डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18 ए के तहत भुगतान किए गए दावों के संबंध में पुनर्भुगतान की प्राप्ति बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बीमित बैंकों की क्षमता पर विचार करते हुए तय की गई समय सीमा पर निर्भर करेगी और इसे स्थगित किया जा सकता है (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (3) के अनुसार)। पुनर्भुगतान में निर्धारित समयावधि से अधिक देरी के मामले में, निगम को चुकाई जाने वाली राशि के लिए प्रति वर्ष रेपो दर से अधिकतम दो प्रतिशत अधिक की दर से दंडात्मक ब्याज निगम द्वारा लिया जाएगा (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (4) के अनुसार)।

- (i) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ii) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को सौदे के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश:

- i. सभी निवेश चालू निवेश हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से नियत आय मुद्रा बाज़ार (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट) और भारतीय व्युत्पन्न संघ (डेरिवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया) (फिमडा) द्वारा निर्धारित दरों को बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। खजाना बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।
- ii. श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि (एप्रैसिएशन), यदि कोई हो तो, उसे नजरंदाज कर दिया जाता है।
- iii. प्रतिभूतियों के मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु स्टेटमेंट आफ एकाउंट्स के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

- iv. भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाज़ार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय का विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) में जमा किया जाता है।
- v. प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण की तारीख को मूल्य पर किया जाता है।
- vi. रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन को सहमति की शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार / उधार संचालन के रूप में माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया नहीं जाता है। इसके साथ ही, जैसा कि मामला हो, लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय में हिसाब में लाया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ

- i. अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यहास को कम कर के दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी लागत शामिल है।
- ii. (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयर (₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यहास की दर
कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 %
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 %

- (ख) 180 दिनों तक की अवधि के दौरान किए गए परिवर्धनों पर मूल्यहास संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध है अन्यथा छमाही के लिए है। वर्ष के दौरान बेची गयी / निपटायी गयी आस्तियों पर कोई मूल्यहास उपलब्ध नहीं है।

- iii. ₹1 लाख से कम लागतवाली स्थायी आस्तियाँ (लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि जैसी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आस्तियाँ जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है को छोड़कर) को आस्ति अधिग्रहण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा।

6. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को उपचय आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, क्षतिपूर्त अनुपस्थिति, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

8. आय पर कराधान

चालू कर तथा आस्थगित कर व्यय में शामिल हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर चालू कर का आंकलन किया जाता है। समय के अंतराल की दूरदर्शिता पर विचार के अधीन, कर योग्य आय में तथा एक ही समयावधि में शुरू लेखा आय/व्यय जो एक या एक से अधिक आगामी वर्षों में पलटने में सक्षम हैं, के बीच अंतर होने के आधार पर आस्थगित कर को माना जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर उनके कैरिंग मूल्य के लिए आस्थगित करों की समीक्षा की जाती है।

9. आस्तियों की दुर्बलता

जब कभी परिस्थिति की माँग होती है कि किसी आस्ति से वसूल की जाने वाली राशि इसकी रख रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) से कम

है तो दुर्बलता के प्रयोजन से नियत आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति की रखरखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है। तो आस्ति की रखाव राशि की वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान यह माप कर लगाया जाता है कि आस्ति की रखाव राशि आस्ति के वर्तमान वसूली योग्य मूल्य की तुलना में कितनी अधिक है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

- एस 29, प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक आस्तियों के अनुरूप, निगम प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसकी वर्तमान बाध्यता होती है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।
- प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।
- प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।
- आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।
- आकस्मिक देयता संभावित देयता है जो भविष्य की अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। यदि आकस्मिकता संभव है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है तो आकस्मिक देयता को लेखा अभिलेख में रिकॉर्ड किया जाता है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया:

क. सेवा कर:

(₹ करोड़ में)

आकस्मिक देयता का स्वरूप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सेवा कर	175.51	175.51

स्पष्टीकरण टिप्पणी:

I. 1 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 तक (₹5,367.42 करोड़):

निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की गतिविधियों को “सामान्य बीमा व्यवसाय” की श्रेणी में रखते हुए सेवा कर विभाग ने 01 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए 10 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार ₹5,367.42 करोड़ (उक्त राशि पर ब्याज और दंड सहित) के सेवा कर की मांग की है। निगम ने 8 अप्रैल 2013 को सीईएसटीएटी में आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। सीईएसटीएटी ने 11 मार्च 2015 के आदेश में 20 सितंबर, 2011 से पहले की अवधि के लिए ₹5,367.42 करोड़ की मांग को रद्द करके निगम को राहत प्रदान की है। तथापि सीईएसटीएटी ने माना की निगम “सामान्य बीमा व्यवसाय” की श्रेणी में आता है और निगम निगम सेवाकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के 5,367.42 करोड़ रुपये की पूरी मांग को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। निगम ने 20 जुलाई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया है और मामला अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आया है। निगम ने 09 सितंबर, 2015 को माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष “सामान्य बीमा व्यवसाय” के तहत आने वाली गतिविधि के वर्गीकरण की पुष्टि के खिलाफ एक अपील दायर की है।

इस बीच, सेवा कर विभाग ने 01 अप्रैल, 2011 से 30 सितंबर, 2011 की अवधि के लिए दंड संहिता की धारा 78

के बजाय धारा 76 के तहत ₹283 करोड़ की राशि का अर्थदण्ड लगाए जाने के लिए सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसे 27 अप्रैल, 2017 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि 11 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा योग्यता के अनुसार निगम के पक्ष में निर्णय लिया गया है। (धारा 76 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहाँ सेवा कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहता है; धारा 78 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहाँ सेवा कर नहीं लगाया गया है या फिर जहाँ धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई गलत बयानी, दमन या मिलीभगत के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।) सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2016 के सिविल अपील संख्या 3340-3342 के साथ चिह्नित किया है।

I. 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 (₹118.64 करोड़ और विलंब हेतु ब्याज ₹56.87 करोड़):

कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा कार्यक्रम (सीएपी लेखापरीक्षा) के आधार पर 26 जून 2014 के पत्र द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए सेवा कर विभाग ने निगम द्वारा प्राप्त प्रीमियम को “सेवा कर सहित” मानते हुए “अतिरिक्त कर देयता” के रूप में निगम से ₹118.64 करोड़ की मांग की है। निगम ने उक्त अवधि में प्राप्त प्रीमियम को “सेवा कर सहित” माना है। निगम ने “आपत्ति के अधीन” 8 जनवरी 2015 को ₹88.44 करोड़ तथा 30 जून 2015 को ₹30.2 करोड़ का भुगतान किया है (कुल ₹118.64 करोड़)। निगम ने “आपत्ति के अधीन” ब्याज के रूप में ₹39.46 करोड़ रुपये (सेवा कर अधिकारियों ने ब्याज की गणना के लिए क्रमशः 06 जून और 06 दिसंबर की तुलना में भुगतान के लिए नियत तिथि 31 मार्च और 06 अक्टूबर मानी थी) का भुगतान भी किया।

आयुक्त (अपील) ने 11 जनवरी 2016 के आदेश में यह बताया है कि निगम को प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित माना जाना विधिक प्रावधान के अनुसार है। हालांकि, आयुक्त ने कराधान नियम 2011 के बिन्दु के अंतर्गत भुगतान की नियत तारीख से जुड़े मामले पर ध्यान नहीं दिया है। निगम ने तदनुसार

आयुक्त सीईएसटीएटी के समक्ष 18 अप्रैल 2016 के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है। विभाग ने भी आयुक्त (अपील) के फैसले के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

विभाग ने ₹17.40 करोड़ (डीआईसीजीसी द्वारा किए गए ₹39.6 करोड़ के भुगतान को छोड़कर) के ब्याज के भुगतान के लिए मई 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयुक्त ने 16 अगस्त, 2018 को दिए गए आदेश द्वारा मांग की पुष्टि की थी। निगम ने 26 नवंबर, 2018 को सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष एक अपील दायर की और 1 जून, 2018 के पत्र के माध्यम से 158 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए एक आवेदन दायर किया गया क्योंकि भुगतान विरोध के तहत किया गया था। सहायक आयुक्त ने 20 मई, 2020 के आदेश के तहत रिफंड के अनुरोध को खारिज कर दिया। निगम ने आदेश के खिलाफ 20 अक्टूबर, 2020 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। इसके बाद, 06 जनवरी, 2021 को ₹158 करोड़ के रिफंड के संबंध में एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई थी। नतीजतन, निगम को 18 मार्च, 2021 का एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें आयुक्त (अपील) ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और निगम के पक्ष में 158 करोड़ रुपये की वापसी से संबंधित मुद्दे का फैसला किया।

चूंकि निर्णय निगम के पक्ष में था, इसलिए 02 जून, 2021 के पत्र के माध्यम से रिफंड के लिए सेवा कर विभाग से संपर्क किया गया था। हालांकि, सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी में फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।

ख. दावे

(₹ करोड़ में)

आकस्मिक दायित्व किससे संबंधित है	लेखा कोड	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
क) पंजीकरण रद्द किए गए बैंक	1080002	418.58	54.51
ख) अप्राप्य जमाकर्ता	1080006	149.40	149.59
ग) अज्ञात जमाकर्ता	1080005	87.64	87.65
घ) एआईडी के अधीन बैंक	1080003	507.21	2,619.13

2. डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18 का संशोधन:

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए 01 सितंबर, 2021 से अधिनियम में एक नई धारा 18 ए जोड़ी गई है, जिसमें डीआईसीजीसी ऐसे बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिनके संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के किसी भी प्रावधान के तहत कोई निषेध या आदेश या योजना बनाई गई है और इस तरह के निर्देश, निषेध, आदेश या योजना में ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि तक पहुंचने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। तदनुसार, डीआईसीजीसी ने वर्ष के दौरान 28 बैंकों के संबंध में 649.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया है (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 22 बैंकों के संबंध में 3,457.85 करोड़ रुपये)।

3. निवेश अस्थिरता रिजर्व:

निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफआर) बाजार जोखिम से बचाव के लिए अनुरक्षित किया जाता है। लेखांकन नीति के अनुसार बाजार जोखिम से अधिक रखे गए आईएफआर को बरकरार रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। 31 मार्च 2023 को ₹6,966 करोड़ आईएफआर अनुरक्षित रखा गया था (31 मार्च 2022 को यह ₹6,536 करोड़ था)।

4. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक दिवसीय चलनिधि व्यवस्था:

तीनों निधियों से संबंधित निवेशों में शामिल ₹2500 करोड़ के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गई आरटीजीएस के अंतर्गत एक दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) सुविधा हेतु चिन्हित किया गया है।

5. रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

अंकित मूल्य के अनुसार (₹ करोड़ में)

प्रकटीकरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार
I. रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
II. रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	3.06	11,658.29	1,863.85	1,074.95
ख) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

6. आयकर:

वित्त वर्ष 2022-23 (मूल्यांकन वर्ष 2023-24) से निगम ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 की धारा 115बीए में दिए गए 22% की दर से आयकर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया है।

7. बीमांकिक मूल्यांकन:

31 मार्च, 2023 तक बीमांकिक मूल्यांकन की गणना के लिए जोखिम डिफॉल्ट संभाव्यता और हानि अनुपात दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। (31 मार्च, 2022 तक मूल्यांकन के लिए रियायती नकदी प्रवाह प्रक्षेपण तकनीक का उपयोग किया गया था)।

8. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण:

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

डॉ. दीपक कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व

बैंक ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक निगम के मामलों का प्रभार संभाला। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक से वेतन और अनुलाभ प्राप्त किए हैं।

9. खण्ड वार रिपोर्ट

वर्तमान में निगम बैंको को उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एक समान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रबंधन की राय में व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न-भिन्न खण्ड नहीं है।

10. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में आवश्यकतानुसार सुधार /उनका पुनर्वर्गीकरण / उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है।



DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)



61st Annual Report of the Board of Directors
Balance Sheet and Accounts for the year ended March 31, 2023

MISSION



**TO CONTRIBUTE TO FINANCIAL
STABILITY BY SECURING PUBLIC
CONFIDENCE IN THE BANKING SYSTEM
THROUGH PROVISION OF DEPOSIT
INSURANCE, PARTICULARLY FOR THE
BENEFIT OF THE SMALL DEPOSITORS**

VISION



**TO BE RECOGNISED AS ONE OF
THE MOST EFFICIENT AND
EFFECTIVE DEPOSIT INSURANCE
PROVIDERS, RESPONSIVE TO THE
NEEDS OF ITS STAKEHOLDERS**

CONTENTS

Particulars	Page No.
Letter of Transmittal to the Reserve Bank of India	i
Letter of Transmittal to the Government of India	ii
Board of Directors.....	iii
Organisation Structure.....	iv
Contact information of the Corporation.....	v
Principal Officers of the Corporation.....	vi
Abbreviations.....	vii-viii
2022-23 At a Glance.....	ix
Highlights.....	x-xiii
1. AN OVERVIEW OF DICGC	1-7
Introduction.....	1
History	1
Institutional Coverage.....	2
Registration of Banks	2
Insurance Coverage.....	2
Types of Deposits Covered	3
Insurance Premium	3
Cancellation of Registration	3
Supervision and Inspection of Insured Banks	3
Settlement of Claims	4

CONTENTS

Recovery of Settled Claims	5
Funds, Accounts and Taxation	5
2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	8-22
Introduction.....	8
Management Policy and Strategy	9
Risk Management Practices at DICGC	11
Deposit Insurance Fund (DIF) Target Size - Indian Experience	17
Concluding Observations	21
3. DIRECTORS' REPORT	23-62
Part I: Operations and Working	23
Deposit Insurance Scheme	23
Deposit Insurance Fund	24
Settlement of Deposit Insurance Claims	25
Claims Settled / Repayments Received	25
Court Cases	26
Credit Guarantee Schemes.....	26
Part II: Other Important Initiatives/Developments.....	26
Settlement of Claims under Section 18A of the DICGC Act – Submission of Claims by Banks under AID within statutory timeline	26
Measures Related to Recovery Management	27
Communication Policy and Strategy	27

CONTENTS

Risk Management	27
Part III: Statement of Accounts	27
Insurance Liabilities.....	27
Revenue during the Year.....	28
Accumulated Surplus	28
Investments	28
Taxation	28
Part IV: Treasury Operations	28
Part V: Organisational Matters	29
Board of Directors	29
Audit Committee of the Board	30
Internal Controls	30
Training and Skill Development.....	30
Staff Strength	31
The Right to Information Act, 2005.....	31
Use of Hindi.....	31
Customer Care Cell in the Corporation	31
Public Awareness	31
Role in International Association of Deposit Insurers	32
Auditors	32

CONTENTS

APPENDIX TABLES.....	33-62
1 Banks under the Deposit Insurance - Progress Since Inception	33
2A Insured Banks - Category-wise.....	34
2B Insured Cooperative Banks - State-wise	34
3 Banks Registered / De-Registered during 2022-23	35
4 Deposit Protection Coverage: Since Inception	36
5 Bank-wise Category - Insured Deposits	37
6 Deposit Insurance Claims Settled during 2022-23 (Liquidated/Merged Banks).....	38
6A Deposit Insurance Claims Settled during 2022-23 (Banks under All Inclusive Directions)	39
7 Provision held under Contingent Liability.....	40
7A Provision held under Contingent Liability - Banks under AID	41
8 Insurance Claims Settled and Repayment Received - All Banks Liquidated / Amalgamated / Reconstructed up to March 31, 2023	42-60
8A Insurance Claims Settled and Repayment Received - Banks Placed under All-inclusive Directions (AID) up to March 31, 2023	61
8B Insurance Claims Settled under Expeditious Settlement Scheme - up to March 31, 2023	62
4. AUDITOR'S REPORT.....	63-67
5. BALANCE SHEET AND ACCOUNTS.....	68-83

CO.DICG.SECD.No.S532/ 01.01.016/ 2023-24

June 30, 2023

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Central Office Building
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001


Dear Sir,

**Balance Sheet, Accounts and Report on the Working
of the Corporation for the year ended March 31, 2023**

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, we forward herewith a signed copy each of:

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2023 together with the Auditors' Report, and
 - (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2023.
2. Documents mentioned at (i) and (ii) have been furnished to the Government of India as required under Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
3. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,



(Sathish Kumar S)
Secretary

Encl: As above

CO.DICG.SECD.No.S531/ 01.01.016 /2023-24

June 30, 2023

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

**Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of
the Corporation for the year ended March 31, 2023**


In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, we forward herewith a signed copy each of:

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2023 together with the Auditors' Report, and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2023.

Three extra copies thereof are also sent herewith.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (*i.e.*, Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India.
3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (*viz.*, the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid.* The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,



(Sathish Kumar S)
Secretary

Encl: as above

BOARD OF DIRECTORS***CHAIRMAN**

Dr. M. D. Patra
Deputy Governor
Reserve Bank of India

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
(from March 31, 2020)

DIRECTORS

Dr. Deepak Kumar
Executive Director
Reserve Bank of India

Nominated by Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
(from January 4, 2022)

Shri Pankaj Sharma
Joint Secretary
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Government of India

Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
(from April 1, 2022)

Dr. Govinda Rajulu Chintala
Chairman
National Bank for Agriculture
and Rural Development


Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
(from July 13, 2020 to July 31, 2022)

Shri Shaji K. V.
Chairman
National Bank for Agriculture
and Rural Development

Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
(from February 15, 2023)

* As on July 1, 2023.

ORGANISATION STRUCTURE



CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Tel. Nos.

022-2302 8237	Premium
022-2302 8233	Claims
022-2306 8223	RMC
022-2301 1991	RTI

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Reserve Bank of India Building, 2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008. INDIA

Chief General Manager	anupkumar@rbi.org.in	022-2302 8220	
General Manager	sathishkumar@rbi.org.in	022-2302 8226	
Director (E)	arunvishnukumar@rbi.org.in	022-2301 9792	
Deputy General Manager	rkraj Kumar@rbi.org.in	022-2302 8209	
Deputy General Manager	mysorte@rbi.org.in	022-2302 8201	
Deputy General Manager	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 8206	
Deputy General Manager	sangita@rbi.org.in	022-2302 8205	
Deputy General Manager	cmsamuel@rbi.org.in	022-2302 1150	
Director (D)	ajoarder@rbi.org.in	022-2302 8224	

Email : dicgc@rbi.org.in
Website : www.dicgc.org.in

EXECUTIVE DIRECTOR

Dr. Deepak Kumar

CHIEF GENERAL MANAGER

Shri Anup Kumar

SECRETARY & GENERAL MANAGER

Shri S. Sathish Kumar

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Shri S. Sathish Kumar

DIRECTORS

Shri N. Arun Vishnu Kumar (Dir 'E')

Dr. Avijit Joarder (Dir 'D')

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Shri Raj Kumar

Shri Mangesh Y. Sorte

Smt Pawanjeet Kaur Rishi

Smt Sangita E.

Shri C. M. Samuel

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

AUDITORS

M/s. NBS & Co.,

Chartered Accountants

14/2, Western India House

Sir P.M Road, Fort

Mumbai 400 001, India

* As on July 1, 2023

ABBREVIATIONS

AEs	: Advanced Economies
AFS	: Available for Sale
AID	: All Inclusive Directions
ALM	: Asset Liability Management
APRC	: Asia Pacific Regional Committee
AS	: Accounting Standards
BCBS	: Basel Committee on Banking Supervision
CA	: Chartered Accountant
CAAP	: Computer Aided Audit Programme
CASBI	: CCIL All-India Sovereign Bond Index
CCIL	: Clearing Corporation of India Limited
CESTAT	: Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal
CGCI	: Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	: Credit Guarantee Fund
CGS	: Credit Guarantee Scheme
CIC	: Central Information Commission
CISO	: Chief Information Security Officer
CPs	: Core Principles
CRCS	: Central Registrar of Co-operative Societies
CSAA	: Control Self-Assessment Audit
DI	: Deposit Insurance
DIA	: Deposit Insurance Agency
DIC	: Deposit Insurance Corporation
DICGC	: Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIF	: Deposit Insurance Fund
DIS	: Deposit Insurance System
DR	: Disaster Recovery
EAD	: Exposure at Default
EC	: Essential Criteria
ED	: Executive Director
EKP	: Enterprise Knowledge Portal
EMEs	: Emerging Market Economies
ERM	: Enterprise-wide Risk Management
FIMMDA	: Fixed Income Money Market and Derivatives Association
FRN	: Firm Registration Number
FY	: Financial Year
GAAP	: Generally Accepted Accounting Principles
GDP	: Gross Domestic Product
GF	: General Fund
GNPA	: Gross Non-Performing Assets
Gol	: Government of India
GS/G-Secs	: Government Securities
GST	: Goods and Services Tax
HY	: Half Year
IADI	: International Association of Deposit Insurers
ICAI	: Institute of Chartered Accountants of India

ABBREVIATIONS

IDL	: Intra-Day Liquidity
IFR	: Investment Fluctuation Reserve
IFRS	: International Financial Reporting Standards
IMF	: International Monetary Fund
IRA	: Investment Reserve Account
IT	: Information Technology
KYC	: Know Your Customer
LABs	: Local Area Banks
LAR	: Liquidity Adequacy Ratio
LCR	: Liquidity Coverage Ratio
LGD	: Loss Given Default
MIS	: Management Information System
MPC	: Monetary Policy Committee
MTM	: Mark to Market
MVB	: Market Value at Beginning
MVE	: Market Value at End
NABARD	: National Bank for Agriculture and Rural Development
NACH	: National Automated Clearing House
NDS-OM	: Negotiated Dealing System - Order Matching System
NNPA	: Net Non-Performing Assets
NSO	: National Statistical Office
OECD	: Organization for Economic Co-operation and Development
OTC	: Over the Counter
PBs	: Payment Banks
PD	: Probability of Default
PMCBL	: Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited
QCCP	: Qualified Central Counter-Party
QR	: Quick Response
RBI	: Reserve Bank of India
RBIA	: Risk Based Internal Audit
RCS	: Registrar of Co-operative Societies
RR	: Reserve Ratio
RRBs	: Regional Rural Banks
RTI	: Right to Information
SC	: Scheduled Caste
SFBs	: Small Finance Banks
SLGS	: Small Loan Guarantee Scheme
SOP	: Standard Operating Procedure
ST	: Scheduled Tribe
TAFUCB	: Task Force on Co-operative Urban Banks
TMO	: Treasury Middle Office
TWR	: Total Weighted Return
UDIN	: Unique Document Identification Number
USA/US	: United States of America
UTs	: Union Territories
VaR	: Value at Risk



2022-23 AT A GLANCE



62

Years of securing public confidence in the banking system through deposit insurance

₹21,381 CRORE

Premium collected



2026

Registered Insured Banks
(end- March 2023)

₹ 752 CRORE

Claims settled in 2022-23 (For liquidated banks as well as banks under AID)



₹ 4,103 CRORE

Interim payments made to 2,87,636 depositors of banks under All Inclusive Directions till date

₹ 1,69,602 CRORE

Deposit Insurance Fund (end- March 2023)

2.02%

Reserve Ratio



98.1%


Fully protected deposit accounts

46.3%

Protected deposit amounts

₹ 883 CRORE

Recoveries from settled claims



HIGHLIGHTS - I: DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(Amount in ₹ Crore)

At year-end	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1 CAPITAL*	50	50	50	50	50
2 DEPOSIT INSURANCE					
(i) Deposit Insurance Fund	93,751 (15.13)	1,10,384 (17.74)	1,29,904 (17.68)	1,46,842 (13.04)	1,69,602 (15.50)
(ii) Insured Banks (Number in actual)	2,098	2,067	2,058	2,040	2,026
(iii) Assessable Deposits	1,20,05,100 (7.17)	1,34,88,910 (12.36)	1,49,67,770 (10.96)	1,65,49,630 (10.57)	1,81,14,550 (9.46)
(iv) Insured Deposits@	33,70,000 (2.89)	#36,96,100 (9.68)	76,21,251 (10.91)	81,10,431 (6.42)	83,89,470 (3.44)
(v) Total number of Insured Accounts (in crore)	217.40 (12.00)	235.00 (8.10)	252.63 (7.50)	262.19 (3.78)	300.10 (14.46)
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in crore)	200 (12.68)	#216.10 (8.05)	247.80 (7.27)	256.67 (3.58)	294.46 (14.72)
(vii) Claims paid since inception^	5,118	5,199	5,763	14,278	15,031

* Under General Fund of the Corporation.

@ Deposit insurance cover increased from ₹1 lakh to ₹5 lakh with effect from February 4, 2020.

For the year 2019-20, Insured deposits and number of fully protected accounts estimated as ₹68,71,500 crore and 231 crore, respectively, for deposit insurance cover of ₹5 lakh.

^ Includes claims of the banks placed under "All Inclusive Directions" (from 2021-22 onwards) and liquidated banks by the RBI.

Note: Data in parentheses are year-on-year percentage growth rates.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - II: DEPOSIT INSURANCE

(Amount in ₹ Crore)


PARTICULARS	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
REVENUE STATEMENT					
Premium Income	12,043 (8.22)	13,234 (9.89)	17,517 (32.36)	19,491 (11.27)	21,381 (9.70)
Investment Income	7,245 (12.89)	8,532 (17.76)	9,650 (13.10)	10,496 (8.77)	11,908 (13.45)
Net Claims	-152	54	993	8,121	730
Revenue Surplus Before Tax	19,147	15,486	26,555	20,566	33,391
Revenue Surplus After Tax	11,931	10,302	19,332	15,239	24,559
BALANCE SHEET					
Fund Balance (Actuarial)	5,756	12,087	12,275	13,974	12,174
Fund Surplus	87,995	98,297	1,17,629	1,32,868	1,57,427
Outstanding Liability for Claims	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
PERFORMANCE METRICS					
1A. Average No. of days between receipt of a claim and claim settlement for liquidated banks [@]	11	11	7	3	-
1B. No. of days between receipt of a claim and claim settlement for AID banks [#]				45	45
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims) [@]	1,425	508	500	184	-
3. Operating Costs as percentage of total premium income (of which: Employee cost as percentage of total premium income)	0.30 0.12	0.29 0.10	0.20 0.10	0.14 0.06	0.16 0.08

[@] Actual number of average days has been arrived at by weighing the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.

[#] DICGC has not settled main claim for banks under liquidation during FY 2022-23. However, with respect to banks under All-Inclusive Directions (AID), the department has adhered to the statutory timeline between the date on which DICGC becomes liable to pay and the date of actual payment, i.e., not exceeding 90 days.


Note: Data in parentheses are year-on-year percentage growth rates.

HIGHLIGHTS - III



Note: Data for 2010-11 are as per new reporting format.


HIGHLIGHTS - IV



Note: Data since 2009-10 are as per new reporting format.

HIGHLIGHTS - V

**CHART III: EXTENT OF INSURANCE COVERAGE
TO DEPOSIT OF INSURED BANKS
(MARCH 31, 2023)**



Note: 1. Data as per new reporting format.

2. Figures relate to ₹ 5 lakh deposit insurance cover at ₹ 83,89,470 Crore

1. INTRODUCTION

The functions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) are governed by the provisions of the DICGC Act, 1961 and the DICGC General Regulations, 1961 framed by the Reserve Bank of India (RBI) in exercise of the powers conferred by Section 50(3) of the said Act. As no credit institution was participating in any of the credit guarantee scheme administered by the Corporation, the scheme was discontinued in April 2003 and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

2. HISTORY

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949 but was held in abeyance till RBI set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Renewed attention to the issue of deposit insurance was given by RBI and the Government of India after the failure of the Palai Central Bank Ltd. and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. Accordingly, the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of foreign banks operating in India. With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was further extended to co-operative banks. Accordingly, the Corporation was required to register “eligible cooperative banks” [see para 3 (ii)] as insured banks under the provisions of Section 13A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with RBI, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, under Section 17(11A) (a) of RBI Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organization to guarantee the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank had promoted a public limited company on January 14, 1971, named as the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the CGCI aimed to encourage the commercial banks to cater to the credit needs of the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by RBI.

With a view to integrate the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organizations, viz. the Deposit Insurance Corporation (DIC) and the CGCI, were merged and the DICGC came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was amended and renamed as ‘The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961’.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries, after the cancellation of the Government of India’s credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances. However, the credit guarantee scheme was discontinued with effect from April 2003.

3. INSTITUTIONAL COVERAGE

All commercial banks, including the branches of foreign banks in India, Local Area Banks (LABs), Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance Banks (SFBs) and Payment Banks are covered under the Deposit Insurance Scheme.

Furthermore, all eligible co-operative banks as defined under Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. These include all State, District Central and Primary Co-operative Banks functioning in India. The States/Union Territories (UTs) have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act. This amendment empowers RBI to supersede the committee of management of a co-operative bank and requires that any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank may be made only with the previous sanction in writing of RBI. At present, all co-operative banks are covered under the Scheme. Three UTs, namely, *Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli and Ladakh* do not have any insured/registered co-operative banks.

4. REGISTRATION OF BANKS

In terms of Section 11 of the DICGC Act all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by RBI under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. In terms of Section 11A of the DICGC Act, all RRBs are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment.

All co-operative banks are required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by RBI. In terms of section 13A of the DICGC Act, the Corporation shall register a primary credit society on conversion into a primary co-operative bank within three months of its having made an application for a licence.

A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the

Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered if it has been informed by RBI that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, viz., the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, etc.

5. INSURANCE COVERAGE

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held in “the same capacity and in the same right” at all the branches of a bank taken together. However, the Act empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time (Table 1).

Table 1: Deposit Insurance Coverage

Effective from	Insurance Cover (up to)
February 4, 2020	₹5,00,000/-
May 1, 1993	₹1,00,000/-
July 1, 1980	₹30,000/-
January 1, 1976	₹20,000/-
April 1, 1970	₹10,000/-
January 1, 1968	₹5,000/-
January 1, 1962	₹1,500/-

6. TYPES OF DEPOSIT COVERED

The Corporation insures all bank deposits except (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central/State Governments; (iii) inter-bank deposits; (iv) deposits received outside India, and (v) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of RBI.

7. INSURANCE PREMIUM

The Corporation collects insurance premium from insured banks for administration of the deposit insurance system (Table 2). The premium to be paid by the insured banks are computed based on their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premium to the Corporation semi-annually within two months from the start of each financial half year, based on their deposits at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and not passed on to the depositors.

For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment. As per the amendment to Section 15 (1) of the DICGC Act made in August 2021, DICGC may raise the limit of 15 paise per annum per ₹100 of deposits on insurance premium with the prior approval of RBI, considering its financial position and the interests of the banking sector in the country as a whole.

**Table 2: Insurance Premium Rates
(As per cent of deposit of ₹100)**

Date from	Premium (in ₹)
April 1, 2020	0.12
April 1, 2005	0.10
April 1, 2004	0.08
July 1, 1993	0.05
October 1, 1971	0.04
January 1, 1962	0.05

8. CANCELLATION OF REGISTRATION

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration, if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank shall be cancelled under any of the following circumstances: (i) if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; (ii) its licence is cancelled, or a licence is refused to it by RBI; (iii) it is wound up either voluntarily or compulsorily or it ceases to be a banking company or a co-operative bank as per Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; and (iv) it has transferred all its deposit liabilities to any other institution or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

9. SUPERVISION AND INSPECTION OF INSURED BANKS

In terms of Section 35 of the DICGC Act, the Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. Further, in terms of Section 36 of the Act *ibid*, on Corporation's request, RBI is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

10. SETTLEMENT OF CLAIMS

In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held at all the branches of that bank put together 'in the same capacity and in the same right', as on the date of cancellation of registration (*i.e.*, the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his/her dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, payment to each depositor is subject to the limit of insurance coverage fixed from time to time.

When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by the competent authority, the Corporation pays to the depositors up to the deposit insurance limit in force at that time in consonance with the terms and conditions of the scheme. In such cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the 'same capacity and in the same right' at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Annex Chart 1).

In the case of bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, *etc.* sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the Chief Executive Officer of the concerned transferee bank or insured bank, as

the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation / reconstruction, *etc.* comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants (CAs) which conducts on-site verification.

The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount by crediting the account opened with the Agency Bank, in the name of the Liquidator of the liquidated bank/Chief Executive Officer of the transferee/ insured bank for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are not released till such time as the Liquidator/ Chief Executive Officer is able to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

Further, as per Section 18A of the amendment to the DICGC Act made in August 2021, the Corporation is liable to make payment to depositors up to the deposit insurance limit, of the banks placed under All Inclusive Direction (AID) by RBI (Annex Chart 2). The payment is to be completed within 90 days from the date of imposition of AID by RBI. The insured bank has to submit the depositor list within 45 days of imposition of AID, and the Corporation has to get the genuineness and authenticity of the claims verified within 30 days and pay the depositors who have submitted willingness within the next 15 days. In case RBI finds it expedient to bring a scheme of amalgamation/ compromise or arrangement/reconstruction, the liability of the Corporation will get extended by a further period of 90 days. The procedure for claims payment under AID is as per Regulation 21A of the DICGC General Regulations.

11. RECOVERY OF SETTLED CLAIMS

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation the amount disbursed by the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after netting off the expenses incurred. As per Section 21 (3) of the DICGC Act, the Corporation, with the approval of its Board, may defer or vary the repayment period for the insured bank to discharge its liability to the DICGC. Presently, banks under AID to whom pay-out has been made under Section 18A of the DICGC Act are required to repay in 5 yearly instalments. Under Section 21 (4) of the Act *ibid*, DICGC can charge a penal interest of upto 2 per cent per annum over the repo rate in case of delay in repayment of settled claims.

12. FUNDS, ACCOUNTS AND TAXATION

The Corporation maintains three distinct Funds, viz., (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees, respectively, and are applied for settlement of respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹ 50 crore which


is entirely subscribed to by RBI. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Further, the DICGC Act permits transfer of funds between the three funds.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the prior approval of RBI. The audited annual accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to RBI within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows accrual system of accounting while it is on receipt basis in the case of repayment of settled claims.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed for Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. The Corporation is subject to service tax on premium income from October 1, 2011 and is liable to Goods and Services Tax with effect from July 1, 2017.

Annex Chart 1


Chart 1 : Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks of India



1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Societies (RCS)/Central Registrar of Co-operative Societies (CRCS) with endorsement to the DICGC. DICGC also writes to the concerned RCS/CRCS for early appointment of liquidator.
2. RCS/CRCS appoints a liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines to the liquidator for submission of claims within 3 months of assuming charge.
4. The verification of claim list, including compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the liquidated bank is conducted by the chartered accountant (CA) firms empanelled with the Corporation. The DICGC conducts a familiarisation session for CAs for onsite verification of claim list and books of records of the bank.
5. The liquidator prepares claim list in two parts (Part-A for traceable/KYC compliant and Part-B for untraceable/KYC non-compliant) and submits the list to the DICGC in softcopy form for payment to the depositors.
6. CAs are required to furnish their observations and findings on the claim list and records of the liquidated bank incidental to the preparation of the claim list.
7. The Part-A of main claim is processed, and a to-be paid list is arrived for payment of claims to eligible insured depositors. As regards Part-B list, as and when depositors are traced/KYC is complied with, the liquidators submit the claims from Part-B list for payment as supplementary claim.
8. The main claim settlement amount as applicable is released to the designated bank account in the name of the liquidator concerned, maintained with agency bank.
9. The designated bank releases the payment to the depositors through National Electronic Funds Transfer/Demand Draft/NACH, based on alternate bank account details of depositors as furnished by the liquidator concerned.

Annex Chart 2

**Chart 2: Claim Settlement Process - Banks under All Inclusive Directions
(Under provisions of Banking Regulation Act, 1949)**



1. The Reserve Bank imposes All Inclusive Directions (AID) under Section 35A of Banking Regulation Act, 1949 and advises bank placed under AID of the restrictions imposed on deposit/withdrawals with an endorsement to the DICGC, where the bank is registered for deposit insurance.
2. DICGC issues Guidelines to the concerned bank placed under AID for preparation of comprehensive depositor list with the outstanding deposits of each depositor (in same capacity and in same right after setting off all loans/advances) as on the date on which the direction was imposed.
3. In terms of Section 18A of the DICGC Act, banks placed under AID are required to furnish to the Corporation, entire depositor list within 45 days of imposition of AID on the bank. The list should include Part A list *i.e.*, the list of depositors whose claim willingness forms have been received till the 45th day and Part B list, *i.e.*, the list of depositors whose claim willingness forms have not been received by the 45th day. The depositors for which willingness forms have been received within stipulated period are considered for payment on 90th day.
4. The verification of claim list, including compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the liquidated bank is conducted by the chartered accountant (CA) firms empanelled with the Corporation. The CA firm is required to do on-site verification of claim as per the Guidelines issued by the DICGC and Act provisions.
5. The CAs furnish their observations and findings on the claim list and any such record of the bank incidental to settlement of deposit insurance claim.
6. On receipt of CA report, the claim is processed by the DICGC and a to-be-paid list is arrived at for payment of eligible claims to depositors who have expressed their willingness.
7. The DICGC then shares the to-be-paid list with the bank under AID with an advice to furnish details of alternate account of depositors for disbursement of claim through an Agency Bank.
8. The bank placed under AID then shares the duly filled-in list to the Agency Bank under advice to the DICGC.
9. The claims are then disbursed by the Agency Bank to the depositors as per the to-be-paid list and mandate furnished by the bank under AID.

2.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Introduction

Global economy has been facing uncertain times since 2022 due to geopolitical tensions causing disruption in global supply chains and increased volatility in the financial markets. Global economic growth is estimated at 3.5 per cent in 2022¹ and lower in the range of 2.1 to 3.0 per cent in 2023² with the decline led by advanced economies. The contribution from the emerging market and developing economies in the global growth outlook is significant with 4 per cent growth predicted in 2022 and 2023. The IMF's World Economic Outlook, October 2023 indicates that from "multidecade highs" in 2022, global headline inflation has shown signs of moderation in 2023. However, core inflation remains sticky. The past two years of high inflation could push up inflation expectations, in turn, driving up inflation in the future. The Report suggests that improvements in monetary policy frameworks, including communication strategies, can help to better inform agents' expectations and to bring inflation back to their targets. The pursuit of anti-inflationary monetary policy by central banks may have amplified banking risks through the rapid rise in interest rates with resultant adverse impact on the health of banking institutions, especially those which are highly leveraged, dependent on bulk deposits or have inherent asset liability mismatches in their balance sheets.

The tighter monetary and financial conditions posed risks to a few banks in the US and Europe in March 2023. The International Monetary Fund (IMF) in its Global Financial Stability Report, April 2023, has *inter alia* stated that the failures of

Silicon Valley Bank and Signature Bank of New York and the loss of confidence in Credit Suisse are powerful reminders of the challenges posed by the interaction between tighter monetary and financial conditions and the build-up of vulnerabilities since the global financial crisis. Furthermore, the impact of tighter monetary and financial conditions could be amplified because of various factors, including financial leverage as well as mismatches in the liquidity of asset and liability. The role of deposit insurance as a safety-net provider has been reinforced in view of such vulnerabilities coming to the fore. Going forward, policy rate action is expected to take different trajectories in 2023. Some central banks have moderated the size of rate hikes, some have paused and still others have adopted a 'data dependent approach' based on the arrival of new data.

The Indian economy remains resilient supported by strong macroeconomic fundamentals. The growth in real Gross Domestic Product (GDP) is estimated at 7.2 per cent during 2022-23³ and projected to be 6.5 per cent in 2023-24⁴. Real GDP growth was robust at 7.8 per cent during Q1 (April-June) of 2023-24⁵ and is projected at 6.5 per cent in Q2; 6.0 per cent in Q3; and 5.7 per cent in Q4. The heightened inflation levels in July and August 2023 were largely driven by food price pressures. Core inflation softened to 4.9 per cent during July-August 2023. Headline inflation in India is gradually moderating and projected to be 5.4 per cent in 2023-24 (with Q2 at 6.4 per cent, Q3 at 5.6 per cent and Q4 at 5.2 per cent). The risks are evenly balanced⁶.

1. International Monetary Fund's (IMF) 'World Economic Outlook Update', July 2023.
2. IMF, World Bank and OECD.
3. National Statistical Office's (NSO) Press Note dated May 31, 2023.
4. Monetary Policy Committee (MPC)'s Resolution on October 6, 2023.
5. NSO's Press Note dated August 31, 2023.
6. Monetary Policy Committee (MPC)'s Resolution on October 6, 2023.

Scheduled commercial banks remained well-capitalised in March 2023 and increased their return on assets and return on equity. Their gross non-performing assets (GNPA) ratio continued its downward trend and fell to a 10-year low of 3.9 per cent in March 2023 and the net non-performing assets (NNPA) ratio declined to 1.0 per cent. The May 2023 Systemic Risk Survey of the Reserve Bank of India (RBI) showed that risks across most categories that contribute to domestic systemic risk have receded.⁷

The remainder of this Chapter is structured as follows. The next section briefly presents the major policy and strategic initiatives adopted by the Management of DICGC (the Corporation) during the financial year 2022-23 (April-March) and an outline for the future. Section 3 outlines the risk management practices of the Corporation, and Section 4 discusses the Indian experience in achieving the target size of Deposit Insurance Fund. Section 5 presents concluding observations.

2. Management Policy and Strategy

During 2022-23, the Management of the Corporation (the Board of Directors) continued with its policy decisions aligned with the Corporation's Mission and Vision. The Corporation embarked on a strategy to make its performance more effective and efficient to fulfil its mandate as one of the important financial safety-net providers. The focus of the Corporation has been on the following key objectives: (a) to calibrate investment strategy and strengthen risk management practices, especially during adverse market conditions; (b) to benchmark practices with best international practices; (c) to strengthen communication strategy and outreach; (d) to achieve total digital transformation of the Corporation; (e) to enable closer interaction with stakeholders; and (f) to enhance data analytics. These measures are expected to help meet public expectations and challenges going forward. The measures taken and strategies adopted that will

shape the Corporation's role in the future are summarised below.

2.1 Investment and Risk Management Strategy

The Corporation's treasury undertook transactions in specific segments of the Government Securities (G-Sec) market to deploy funds. This ensured availability of adequate funds to meet pay-out obligations of the Corporation, including claims payments and statutory taxation dues. Such transactions included deals done in the primary and secondary G-Sec market, and in the market reverse repo segment for liquidity management purposes. The investment strategy simultaneously focussed on maintaining the liquidity profile of the portfolio while reducing interest rate risks arising from adverse yield movements.

Interest rate risk had increased considerably with the rate hikes initiated in India. With the policy rate hike of 250 basis points (bps) since May 2022, yields in Indian G-Sec markets had increased over the course of the year leading to an adverse Mark-to-Market (MTM) impact on the value of DICGC's investment portfolio. Consequently, the Corporation adopted the strategy of deploying funds in lower tenure securities with maximum maturity up to 14 years to minimise the adverse MTM impact. The extant investment strategy included reducing the modified duration of the portfolio and maintaining it at lower levels. As signs emerged of possible peaking of interest rate cycle, relatively longer tenor securities were preferred while also considering liquidity aspects. In addition, deployment of funds was primarily undertaken in liquid securities which would enable the Corporation to raise funds, if required, relatively easily through sale of such securities, thereby reducing liquidity risks for the portfolio. Finally, investment in Treasury Bills were made to meet scheduled tax payment obligations, thus obviating the need to sell dated securities, especially if market conditions are adverse.

7. Reserve Bank of India (2023), "Financial Stability Report", June 2023.

With multi-fold increase in the portfolio size and complexity of treasury operations, management felt the need to undertake a comprehensive review of treasury operations to make it more robust and efficient in meeting the emerging needs of the Corporation. Accordingly, a Committee on Risk Management for DICGC Treasury was set-up with experts from RBI and DICGC to deliberate on several aspects of treasury operations, including management of liquidity and interest rate risks, physical infrastructure for dealing operations, MIS requirements and risk management practices. The Committee has submitted its report. Its recommendations would be examined to improve the robustness of treasury operations and facilitate increased efficiency and prudent management of funds of the Corporation.

The Treasury Mid-Office (TMO) of the Corporation continued to monitor the risk parameters of Treasury operations. The metrics monitored included liquidity and market risk, concentration ratios, Value-at-Risk (VaR), stressed VaR, and Liquidity Adequacy Ratio (LAR). Further, VaR methodology was back tested. Going forward, the TMO would conduct stress testing of DICGC portfolio (sensitivity and scenario analysis) to arrive at yield changes and consequent impact on DICGC portfolio. The risk management practices followed by the Corporation are discussed in detail in Section 3.

2.2 Business Process Re-engineering

In order to improve overall efficiency and effectiveness of systems whilst aligning with international best practices, DICGC has initiated the process of complete digital transformation of its operations. This business process re-engineering is being undertaken by focusing

on five major blocks – Data Management, Process Optimization, Business Analytics, Public Awareness and Cyber Security preparedness. Usage of best-in-class market technologies and security practices, straight through processing without manual intervention and seamless integration of various modules have been envisaged. Use of Application Programming Interfaces (APIs), workflow automation, artificial intelligence, robotic process automation, business intelligence tools, amongst others in the business process re-engineering shall improve efficiency of the Corporation and help in meeting public expectations.

2.3 Benchmarking with International Best Practices on Deposit Insurance

The International Association of Deposit Insurers (IADI)⁸ and the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) had formulated eighteen Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems in June 2009. Subsequently, IADI and BCBS framed a Compliance Assessment Methodology for the Core Principles (CPs) in December 2010. The Core Principles were reviewed in 2013 pursuant to which the number of CPs were brought down to 16 in November 2014⁹. The Corporation undertook an internal assessment on compliance with IADI Core Principles and has embarked on an action plan to align the processes of DICGC with the CPs. The Corporation has initiated measures to align with CP-3 on Governance, CP-4 on Relationships with other Safety-Net Participants and CP-10 on Public Awareness.

2.4 Communication Policy

In line with measures outlined in IADI CPs on Public Awareness, the Board was of the view

8. The IADI was incorporated in Basel, Switzerland on May 06, 2002 with a mission to share deposit insurance expertise with the world. Currently, IADI has 95 Members, 12 Associates and 17 Partners (as accessed from IADI's website on August 01, 2023) and is one of the key global standard-setting bodies, actively collaborating with international financial institutions, such as the Bank for International Settlements (BIS), the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB). IADI has achieved many notable milestones which includes, *inter alia*, establishing the sixteen IADI Core Principles (CPs) for Effective Deposit Insurance Systems in 2014 along with the Essential Criteria (EC).

that the Corporation should have a communication policy to enhance public confidence in the banking system, which has since been framed. A Technical Advisory Committee has been constituted with members from RBI, DICGC and outside experts to formalise and steer a communication strategy for the Corporation. The Corporation has appointed a nodal officer for implementation of its communication policy and commenced plans to conduct a survey to assess the level of depositors' awareness. During 2022-23, the Corporation initiated the use of a local messaging app for depositors' awareness on deposit insurance, including in areas where banks have been placed under 'All Inclusive Directions' (AID) of the RBI or licences have been cancelled for availing claims from DICGC. These messages on deposit insurance are displayed in regional languages using local communication mediums to maximise public outreach. The Corporation is in the process of formulating policy and Standard Operating Procedure (SOP) to use other social media channels in phases for wider coverage and reaching out to the public. In a major step, effective from September 1, 2023, all the insured banks have been advised to display the DICGC logo and QR Code prominently on their web page, for focussed dissemination of information on deposit insurance. This will help in building confidence amongst depositors that the bank is registered with DICGC for protection of their deposits as per the extant guidelines.

2.5 Information Security Policy

During the year, the management reviewed the Information Security (IS) Policy of DICGC framed in 2021. As the security of data received from insured banks in the form of Deposit Insurance (DI) Returns and other returns is of paramount importance, roles and responsibilities of the Chief Information Security Officer (CISO) of DICGC have been clearly defined in the IS Policy.

CISO Office has been made functional under the supervision of a senior officer of the Corporation.

2.6 Data Analytics

During 2022-23, the Corporation had set up a Data Analytics Cell to validate the computation of assessable deposits by banks and obviate errors in payment of premium. These data set will be integrated with data received from RBI based on statutory returns and audited balance sheets of banks for research and modelling the risk profile of banks. Going forward, data analytics may be utilized for analysing the historical and projected trends of insured banks' premium payments; for devising a holistic fund performance index, based on consolidated inflows and outflows of the Corporation; and shall be used to identify and address potential risks at DICGC.

3. Risk Management Practices at DICGC

DICGC is an integral part of the financial safety-net in India and functions as per provisions of the DICGC Act, 1961¹⁰. The DICGC provides deposit insurance up to ₹500,000 with effect from February 4, 2020 to eligible depositors for their deposits held "in the same right and same capacity" in case of (a) liquidated banks, (b) banks where restrictions are placed under the Banking Regulation Act, 1949 on withdrawal of deposits (e.g., All-inclusive Directions of Reserve Bank of India on Urban Co-operative Banks effective from September 2021), and (c) banks where merger/amalgamation/reconstruction scheme is formulated by the competent authority with provisions for DICGC claim payment to depositors up to the insured limit.

With an Amendment in 2021, Section 18A was introduced in the DICGC Act which mandates interim relief to be provided to depositors within to 90 days (including processes undertaken by banks and auditors) of restriction being placed on the banks.

9. IADI (2014), 'Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems', November.

10. Available at https://www.dicgc.org.in/pdf/DICGC_Act.pdf

The Corporation manages three funds viz., Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF) with objectives of safety, orderly management of cash flows (liquidity), and returns, with safety given the highest priority followed by liquidity and then returns. The DICGC Act allows for investments in Government of India securities only, which takes care of the safety aspect.

Generally, Deposit Insurers (DIs) are classified according to their mandates as Paybox, Paybox Plus, Loss Minimiser and Risk Minimiser¹¹. As per this classification, DICGC has a limited paybox *plus* mandate. In Paybox Plus Mandate, in addition to reimbursement of Insured Deposits, DI has additional responsibilities, such as certain Resolution functions (e.g., financial support). Nevertheless, it faces various risks associated with fulfilment of that mandate, as enumerated below.

3.1 Risks faced by DICGC

Statutory timelines for claim settlement and characteristics of domestic G-Sec market¹² expose DICGC to substantial liquidity risk including funding risk. Further, having entire portfolio in fixed income securities exposes the investment portfolio to interest rate risk. The operating procedure and systems in respect of collection of premiums, treasury operations, settlement of claims, and recovery of claims pose various risks including operational risk, legal risk, and cyber security risk. Availability of banking services on a 24*7 basis and developments in communication technology, including growing influence of social media, has resulted in instant and fast mobility of funds. Growth in uninsured deposits further enhances the funds' mobility risk. These risks, if not addressed, has the potential to trigger bank failure as observed in recent banking crisis in the US. The Corporation has taken various steps to address these risks.

3.2 Risk Governance

The Board formulates Investment Management Guidelines and Risk Management Framework for investment operations. The Investment and Risk Management Committee, chaired by the Executive Director, is responsible for overseeing the implementation of the framework. All other processes and operations are overseen by the Branch Level Management Committee and are periodically reported to the Board. The Head of Treasury takes the decision in day-to-day operations based on various market developments including current and desired portfolio characteristics (including liquidity and duration) and, accordingly, guidance is provided to Treasury front office dealers for investment operations.

Considering the evolving nature of risks and need for greater focus on risk management functions, DICGC is in the process of constituting a separate Risk Management Committee of the Board with outside experts.

3.3 Accounting Classification

Currently, investment portfolio under each of the three funds at DICGC is being classified as available-for-sale (AFS), and subject to mark-to-market at monthly intervals. Though investments are shown at book value, provision for diminution in the value of securities is made via an investment reserve account (IRA). This, however, results in variability in the DIF with interest rate movements.

The present business strategy of the Corporation results in a substantial share of the portfolio being held till maturity and receipt of contractual cash flows (namely, interest and maturity payments). The investment portfolio also satisfies the condition of specified payment of principal and interest. Considering the extant business model of the Corporation, the issue of

11. Source: IADI.

12. Secondary market trading volumes are concentrated in few securities, typically in on-the run G-secs with maturity of 5, 10, and 14 years.

classifying a part of portfolio as held-to-maturity (amortised cost) is being examined. Incidentally, accounting practices among DIs do not suggest preference for any fixed strategy (Table 1).

Table 1: Accounting Practices by select Deposit Insurers

Country	Accounting methodology for Investment Portfolio
US	AFS (shown at fair value). Unrealized gains/losses as other comprehensive income.
Canada	At amortized cost (effective interest method).
South Korea	Predominantly at fair value through other comprehensive income.
Malaysia	At amortized Cost
Brazil (FGC - private non-profit organization)	Financial investments and securities that make up FGC's liquidity are classified as Fair Value through Profit or Loss No asset/security holding has been classified as Fair Value through Other Comprehensive Income (AFS)
Singapore	Financial Assets are initially measured at amortized cost. Classification is changed when and only when its business model for managing those assets changes.

Source: Respective Annual Reports available at websites of Deposit Insurers.

3.4 Risk Management Tools and Practices

3.4.1 Diversification

Within single asset class portfolio, DICGC reduces concentration risk by adopting the following strategies:

- 1) Concentration Ratio of top security: Concentration ratio of single security should not be more than 10 per cent of the total portfolio in terms of market value.
- 2) Concentration Ratio of top 4 securities: Concentration of top four securities should not be more than 20 per cent of the total portfolio in terms of market value.
- 3) Single Year Maturity Concentration Ratio: Maturities in any single year should not be more than 20 per cent of long-term portfolio in terms of market value, with an intent to reduce reinvestment risk.

3.4.2 Liquidity Risk

Liquidity profile of securities

The Corporation actively monitors the liquidity profile of the portfolio by classifying security holdings into liquid, semi-liquid, and illiquid categories on a periodic basis in accordance with the Clearing Corporation of India Limited (CCIL)¹³ publications. The CCIL manages the RBI owned anonymous electronic trading system, *i.e.*, the NDS-OM¹⁴, for dealing in G-Secs and for reporting of over the counter (OTC) deals and acts as a central counterparty for secondary market trades in G-Secs in India. The Treasury undertakes periodic assessment of the liquidity profile of the Corporation's portfolio.

13. CCIL was set up in April 2001 to provide guaranteed clearing and settlement functions for transactions in money, G-Secs, Foreign Exchange and Derivative markets. CCIL was also recognised as Qualified Central Counterparty (QCCP) by the Reserve Bank of India in 2014.

14. Negotiated Dealing System – Order Matching.

Liquidity Adequacy Ratio

The Corporation has adopted a Liquidity Adequacy Ratio (LAR) similar to the Liquidity Coverage Ratio (LCR) applicable under Basel III norms for commercial banks¹⁵ with appropriate modifications in computation methodology. The LAR provides an anchor for maintenance of high-quality liquid assets to meet expected outflows over a stated period. The Corporation is in the process of refining the methodology by considering stress components and application of haircuts on liquid assets.

Asset Liability Management Statement

The Corporation is contemplating preparation of periodic Asset Liability Management (ALM) Statement for treasury operations to manage negative mismatches in fund flow, akin to those applicable for commercial banks. The statement shall enable identification of negative mismatches, which may be required to be managed through various remedial measures. The challenge going forward would be to model potential outflows because of bank failures. Unlike life insurers or general insurers, data on bank failures are far and few, to statistically model failure probability with a certain degree of confidence.

3.4.3 Funding Risk

Liquidity Support / Backstop Funding

The IADI Core Principles (CP-6 and CP-9) for Effective Deposit Insurance Systems envisages crisis preparedness and assured liquidity funding for deposit insurers. A survey of select deposit insurers showed varied liquidity funding arrangements (Table 2).

Table 2: Liquidity funding arrangements at select deposit insurers

Jurisdiction	Liquidity Arrangements
Argentina	Borrow in the market and collection of advanced premium payments
Brazil	Special premiums, advances, loans from private sectors
Canada	Borrow from the government or markets
France	Borrow in market and additional premiums
Germany	Borrow in market, extraordinary contributions from institutions
Hong Kong	Standby credit facility from the Exchange Fund
USA	Borrow from Treasury, Federal Financing Bank, Federal Home Loan Banks, and Insured depository institutions
Indonesia	Government lending facility and recapitalization facility
Japan	Borrow from central bank, in market, or issue bonds with government guarantee
Korea	Borrow from government, central bank or market, issue bonds
Mexico	Borrow from government, central bank or markets, impose extraordinary premiums, issue bonds
Russia	Issue bonds, increase premiums, unlimited government support
Singapore	Private sources or Monetary Authority of Singapore
Turkey	Borrow from Treasury or central bank, advance payments from banks

Source: IADI (2015), 'Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Ex Ante Funding, Guidance Paper', June

15. RBI (2014), 'Basel III Framework on Liquidity Standards – Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards', November.

The Corporation, however, does not have a pre-arranged and assured source of liquidity funding except for an advance not exceeding ₹5 crore, which may be sought from the RBI under provisions of Section 26(1) of the DICGC Act, 1961, if required. Furthermore, the DICGC Act does not have enabling provisions for short-term borrowing from the market.

Going by experience and assessment of the adequacy of Deposit Insurance Fund, the available liquidity is sufficient to meet claim pay-outs under normal circumstances. However, payment of deposit insurance claims originating from a systemic crisis or financial stability issue can have the potential to deplete or seriously impair securities held in the DIF and may require co-ordinated response from all safety-net-participants. Incidentally, IADI's CP-6 on DI's role in contingency planning and crisis management suggests that the development of system-wide crisis preparedness strategies and management policies should be the joint responsibility of all safety-net participants. Further, with the emerging risk of instant transferability of funds with potential for accentuating bank failures (though otherwise solvent banking institutions) as witnessed recently in some advanced countries, the Corporation is currently reviewing its contingency planning and crisis management capabilities as outlined in CP-6.

3.4.4 Interest Rate Risk

Interest Rate Sensitivity

The Corporation performs investment operations in accordance with interest rate sensitivities as per directions given by the Investment and Risk Management Committee. Based on the assessment of interest rate cycle, a higher or lower interest rate sensitivity (such as duration or modified duration) is pursued.

Benchmarking

The DICGC has a unique portfolio due to specific characteristics wherein inflows are certain but claim outflows are uncertain. Hence, the portfolio does not have a readily available and universally acceptable benchmark. The CCIL All Sovereign Bond Index (CASBI)¹⁶ is one benchmark which has securities ranging from minimum three coupon cycles to the longest available security (currently 40 years in India). Thus, total returns of the Corporation's portfolio are compared with CASBI at present. Going by the mandate, although return on its portfolio has the lowest priority for the Corporation, going forward, a benchmark to facilitate an appropriate comparison of the portfolio return, including risk adjusted return, is considered desirable.

Value at Risk

Value-at-Risk (VaR) is estimated using the historical simulation method, at 99 per cent confidence level and one-day horizon, to assess the highest possible loss in the portfolio in a single day. The VaR methodology is also back tested to assess its appropriateness. The stressed VaR at 99 per cent confidence level for a 10-day horizon is also estimated, based on advanced approaches for market risk capital requirement under the Basel Framework. A representative period of stress is identified based on last 10 years' experience, and then similar shocks are replicated on the current portfolio using parametric approach.

Investment Reserve

In case of net depreciation in portfolio on MTM valuation based on rates provided by the Financial Benchmarks India Pvt Ltd¹⁷, the Corporation makes appropriate provision to an investment reserve account. However, as a prudent measure, net appreciation, if any, is ignored.

16. <https://www.ccilindia.com/Research/Statistics/Pages/CCILAllSovereignBondsIndex.aspx>

17. <https://www.fbil.org.in/#/home>

Investment Fluctuation Reserve

An Investment Fluctuation Reserve (IFR) has been maintained by the Corporation since 2000. The IFR brings greater transparency to accounts by accumulating reserves for future losses. Initially, the surplus in the Investment Reserve Account, after providing for depreciation in securities, was transferred to the IFR Account. Thereafter, since 2005-06, the IFR is maintained to meet market risk arising on account of diminution in value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The shortfall is met by appropriation of surplus, whereas excess, if any, is retained and carried forward. The Corporation assesses market risk using the Standardised Duration Method. It may be mentioned that the Corporation maintains the IFR for market risk, whereas a reserve account by the same name maintained by banks in India is a countercyclical buffer.

3.4.5 Stress Test

Recent events have brought to fore quick mobility of funds and the speed at which banks can potentially fail. Thus, there is a need to strengthen stress testing of DIF using elements such as bank interconnectedness, contagion, extent of uninsured deposits and bulk deposits to see potential claim liabilities that may arise and to assess readiness of DIF to deal with the same.

Currently, stress test involves i) assessment of adequacy of funds in case of “low frequency high severity” events and ii) assessment of diminution in market value of investment portfolio in case of interest rate shocks (market angle). Modelling of claim pay-outs while accounting for new risks is a challenge as mentioned in the next section on ‘Target Reserve Fund’. From a market (interest rate) angle, Corporation is envisaging sensitivity tests and scenario analysis.

Sensitivity and Scenario Analysis

An assessment of interest rate sensitivity based on regression analysis for potential and

significant risk factors and outcomes is being studied to develop a model based on shocks to these risk factors individually, under medium and high stress scenarios. Under Scenario analysis, identified risk factors would further be narrowed down based on statistical computations, and multiple regressions may be used to model scenario outcomes based on shocks to identified risk factors simultaneously, under medium and high stress scenarios.

3.4.6 Operational Risk

Operational Risk Capital Requirement

Operational risk arises from, *inter alia*, failed internal processes, people, and systems. The key issues are quantification of risk and assessing capital adequacy of GF. Presently, the GF of DICGC has equity contribution of ₹50 crore from the Reserve Bank and other reserves and is created out of the surplus income or transfer from other funds such as DIF and CGF. Separate capital/reserve for operational risk can be considered desirable, otherwise, resulting losses may impact the Deposit Insurance Fund (DIF) and cause variability in funds available for core deposit insurance function of meeting pay-out to depositors of failed banks.

Enterprise-wide Risk Management - Risk Register

The Corporation, being a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India, is covered under enterprise-wide risk management (ERM) framework of the Reserve Bank. The risk management structure consists of Business Owner, centralised risk monitoring and inspection, and audit process. A risk register is a repository of risks identified in a business area. Based on risks recorded and rated in the risk register, risk profile and heat map are generated categorising i) Area of High Risks, ii) Area of Significant Risks, and iii) Area of Acceptable Risks. Incidents are also reported along with remediation measures undertaken, in case of “loss” and “Near Miss” events/incidents to create a repository.

People risk

People risk is mitigated by having specialised personnel for specialised roles such as treasury dealing operations, and by rotation of employees to ensure proper knowledge transfer and reduced dependence on specific personnel. Additionally, considering sensitive nature of operations at treasury, dealers are sent on mandatory leave of 10 days every year as a prudent operational risk management measure.

Business Continuity Planning and Disaster Recovery Drills

As part of Business Continuity Planning to deal with a crisis situation, DICGC conducts Disaster Recovery (DR) drills on a monthly basis from alternate dealing room premises to ensure that an alternate site is ready and functional to ensure uninterrupted operations even during unavailability of production site due to any unforeseen circumstances.

3.4.7 Audit as the third line of Defence: Internal and External Audits**Internal Audit**

Internal Audit is the third level of defence after business level management and compliance/risk management functions. The Control Self-Assessment Audit (CSAA) by DICGC staff, enables all the departments of the Corporation to carry out regular audits and assess weaknesses, so that timely reviews are made, and corrective actions are taken. Besides, the concurrent audit of financial accounts is conducted by the external chartered accountant firms, concurrently with the occurrence of transactions.

Risk Based Inspection/Audit

Inspection Department of the Reserve Bank conducts risk-based inspection/audit (RBIA) including Information Systems audit to provide independent and objective opinion to management as to whether the business processes and risks are being properly managed.

Statutory Audit

The affairs of the Corporation are subjected to annual statutory audit by a firm of qualified auditors appointed by the Board with the previous approval of the RBI. The accounts are also subjected to half yearly limited review between two statutory audits.

Special Audit of deposit insurance claims

The Corporation also appoints a qualified auditor to conduct on-site scrutiny of depositor insurance claim list prepared by liquidator / banks under all-inclusive Directions.

3.5 Target Reserve Fund

Target Reserve Fund refers to the size of the Deposit Insurance Fund (DIF), typically measured as a proportion of the assessment base (e.g., total or insured deposits) which is sufficient to meet the expected future obligations and cover the operational and related costs of the deposit insurer. The fund size of the Corporation is forecasted after projecting various inflows such as premium, coupon income, recovery (from claims paid earlier), and outflows such as claims, income tax and other payments. The adequacy of DIF has been worked out using a model developed in-house by considering likelihood of bank failures and resulting potential claim payments. A detailed discussion on the target DIF size is presented in the next Section.

4. Deposit Insurance Fund (DIF) Target Size - Indian Experience

Financial stability in an economy rests on a carefully designed financial safety-net framework. Deposit insurance is one of the critical components of this financial safety-net in addition to prudential regulation, supervision, emergency liquidity facility and effective resolution mechanism. While regulation and supervision act as the first line of defence for financial stability in general, emergency liquidity to banks from the central bank as the lender of last resort (LOLR) and insurance of bank deposits help in maintaining the confidence of the public in the banking system.

As per the IADI, the two principal public policy objectives of deposit insurance systems are to protect the eligible depositors of banks and thereby contribute to financial stability¹⁸. The Deposit Insurer (DI), mandated by law to administer the deposit insurance system, can either insure the entire deposits or up to a certain coverage limit to prevent bank runs. In order to fulfil this mandate, the DI needs to have adequate funds at its disposal.

4.1 Funding Mechanisms at Deposit Insurance Systems

There are typically three funding mechanisms available to a deposit insurance system, namely ex-ante, ex post and a combination of the two (hybrid mode). In the ex-ante funding mechanism, the deposit insurer creates and maintains a DIF, which is used to pay depositors in the event of a bank failure. The DIF is primarily financed by the premiums collected in advance from the insured financial institutions (banks and/or other deposit taking financial institutions) and the returns earned from investment of these funds. Under the ex-post mode, banks contribute the required money to pay the eligible depositors after the occurrence of a bank failure(s).

Globally, more than 80 per cent of the deposit insurance systems in 2022 are ex-ante funding systems¹⁹. The general view is that the benefits of an ex-ante funding outweigh that of the ex-post mode. First, the former mechanism instils confidence among the depositors. Second, in ex-ante funding, all insured banks, including those having the potential to fail, contribute the premium at prevailing rates on their assessable deposits. This reduces cross subsidisation and makes the system a relatively level playing field; whereas in ex post mode, the riskiest banks, which are more likely to fail, never contribute to the fund. Third, ex ante method reduces the pro-cyclicality of the

funding system as the fund created in normal course can be drawn down during a crisis and does not require the mobilization of additional funds. Fourth, in ex-post funding, any delay or uncertainty in raising funds during a bank failure could delay the reimbursement process. Finally, it is felt that the ex-ante mode enables the adoption of a differential premium system, thereby reducing the moral hazard problem, as higher risk is offset by higher premium. However, the flip side is that the ex-ante funding mechanism involves an opportunity cost, as the premium paid could be used by banks to lend to productive economic activities that generate higher returns. DICGC follows ex-ante funding system of its DIF.

4.2 Determining Sufficiency of DIF: Methodology & Challenges

One of the key challenges in an ex-ante deposit insurance system, however, is to determine the “sufficient” level of the DIF to meet future insurance claim obligations to the depositors. It is generally acknowledged, given the policy objectives and mandate of a deposit insurance system, that the DIF should be sufficient to deal with serious difficulties in the banking sector and not a systemic banking crisis as indicated in the IADI Core Principles presented to the Financial Stability Forum in March 2008.²⁰ If the deposit insurance system had to resolve a systemic crisis, then the DI Fund would be required to cover the total volume of insured deposits. Furthermore, dynamic changes in the deposit liability of the banking sector requires periodic review of DI Fund sufficiency. Therefore, it is important that DI Fund sufficiency should be examined in the context of a dynamic target.

The factors that predominantly determine the setting of a target fund are: i) structure of the financial system and its characteristics; ii) legal framework; iii) prudential regulation, supervision,

18. IADI (2014), “Core principles for effective deposit insurance systems.”

19. Van Roosebeke, B., & Defina, R. (2023). Deposit Insurance in 2023: Global Trends and Key Issues.

20. IADI (2009), “Evaluation of Deposit Insurance Fund Sufficiency on the Basis of Risk Analysis”, Discussion Paper, Basel.

and resolution regime; iv) macroeconomic conditions; v) availability and accessibility of emergency/ backup funding; and vi) state of accounting and disclosure regime. There are different approaches in setting the target fund size, viz., discretionary method, statistical method of estimation of the Deposit Insurance Agencies (DIA's) loss distribution and combination of both. The IADI has identified two basic methods of evaluation of DI Fund sufficiency: the first on the basis of expert opinions (without estimation of probability of Default (PD) of member banks) and the second on the basis of risk analysis (on the basis of estimation of PD of member banks).²¹

There are various metrics adopted to assess the optimum level of DIF in an efficient deposit insurance system. One indicator commonly monitored to assess the sufficiency of DIF for reimbursement to depositors is the reserve ratio (RR), also known as the target ratio, which is defined as the ratio of DIF to insured deposits.

4.3 International Experience

A 2018 cross-country survey²² suggests that 64 of the 69 respondents had ex ante funding mechanism, of which 44 (i.e., 69 per cent) have fund targets. In these 44 DIAs, the target fund is either statutorily set (28 DIAs) or prescribed by the governing body (16 DIAs). Of the remaining 20 DIAs that do not have fund targets, 19 of them have plans to set the target. Furthermore, of the 44 DIAs that have a fund target, two countries, namely, Bahamas and Japan, use a target amount as the fund target. Some jurisdictions such as Jamaica, Kosovo, Malaysia and South Korea prescribe the target ratio as a range.

A comparison of select Advanced Economies (AEs) and Emerging Market Economies (EMEs) from the 2022 Annual Survey by IADI showed that the reserve ratios of various DIAs ranged between 0.23 per cent in Hong Kong to 12.20 per cent in Libya (Table 1). In some

jurisdictions, the RR is fixed in the respective statutes.

**Table 3: Country-wise deposit insurance coverage ratio and reserve ratio
(As on December 31, 2021)**

(Per cent)

	Country	Coverage Ratio	Reserve Ratio
1	Libya	100.00	12.20
2	Philippines	19.52	7.68
3	Albania	58.50	6.66
4	Poland	68.70	2.74
5	Bulgaria	71.93	2.02
6	India	49.00	1.81
7	Mexico	55.98	1.40
8	United States	53.35	1.27
9	Canada	35.50	0.71
10	South Korea	50.00	0.62
11	Hungary	58.00	0.58
12	Japan	70.28	0.57
13	Netherlands	55.00	0.55
14	Finland	56.00	0.51
15	Malaysia	34.60	0.49
16	Italy	60.84	0.36
17	Hong Kong SAR, China	20.00	0.23

Note: Data for India is as on March 31, 2022. Coverage Ratio is at 46.3 per cent and Reserve Ratio is at 2.02 per cent as on March 31, 2023.

Source: IADI Annual Survey, 2022.

4.4 Indian Perspective

In India, the deposit insurance scheme has the principal policy objective of protecting the 'small depositors' of banks having deposits up to the coverage limit of ₹5 lakh held in the "same right and same capacity". The scheme is mandatory for all banks operating in the country and is administered by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).


21. IADI (2009), "Evaluation of Deposit Insurance Fund Sufficiency on the Basis of Risk Analysis", Discussion Paper, Basel.

22. IADI (2018), "Deposit Insurance Fund Target Ratio", Research Paper, July.

The Corporation maintains an ex-ante DIF for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation/amalgamation/All Inclusive Direction (AID) of the Reserve Bank, where restrictions are placed on the withdrawal of deposits. The fund is primarily accumulated through insurance premium from the member banks, which the Corporation is mandated to invest in G-Secs. Consequently, the DIF of the Corporation is accumulated by the net surplus flows, that is, cash inflows net of cash outflows. The five major cash inflows are: (i) insurance premia, (ii) coupon payments from the G-Secs in the investment portfolio, (ii) redemption of maturing G-Secs, (iv) recoveries out of assets of failed banks from the liquidators/administrators/transferee banks, and v) interest income from lending in the market reverse repo. The major cash outflows, *inter alia*, is the expenditure by way of payment of claims of depositors and related expenses, net of taxes.

From the year 2010 to February 04, 2020, when the deposit insurance coverage limit was ₹1 lakh, the reserve ratio (RR) for India increased from 1.20 per cent at end-March 2010 to 2.78 per cent at end-March 2019 (Chart 1). On February 04, 2020, with the deposit coverage limit increased to ₹5 lakhs, the RR declined to 1.61 per cent as at end-March 2020, and subsequently increased to 2.02 per cent as at end-March 2023.

The five-fold increase in the insurance limit to ₹5 lakh since February 2020, has resulted in an increase in the deposit insurance premium to be paid by banks from 10 paise per ₹100 of assessable deposits to 12 paise with effect from April 1, 2020. At present, DICGC collects premium at a uniform rate. The current maximum limit is 15 paise. However, after the recent amendment, the Corporation can raise the limit taking into consideration its financial position and the interest of the banking system, with prior approval of the Reserve Bank.



4.5 Target DIF at DICGC (Medium Term Estimation)

To evaluate the Target DIF for the medium term, *i.e.*, up to 2027-28, DICGC estimates the RR using two methodologies: (a) Projection of the DIF and the resultant RR; and (b) assessment of the required RR based on risk profiling of the banks.

4.5.1 Projection of DIF and Expected Reserve Ratio in Medium Term

The DIF was projected up to the year 2027-28 based on extrapolation of the inflows into the fund, *viz.*, premium income, coupon income and recovery; and the outflows from the fund, *viz.*, claims pay-out and income tax expenditure. The extrapolation is based on the trend estimated for the period from 2016-17 to 2021-22 through least squares regression. Similarly, the insured deposits in the banking system are also extrapolated and the expected RR in the medium term is estimated as the ratio of extrapolated DIF and extrapolated Insured Deposits. This exercise is carried out every six months to back test earlier projections and revise projections in view of fresh data. Incidentally, Chairman, DICGC had stated that “with insurance cover of ₹5 lakh and the observed patterns of premium, investment and recovery income net of claims and income tax, it is feasible to increase the reserve ratio to at least 2.50 per

cent by 2027-28 with a 95 per cent confidence interval. Progress towards this objective needs to be periodically reviewed so that (the Corporation) stays the course steadfastly”²³. As per internal estimates based on past trend, we are on course to achieve the above RR.

4.5.2 Assessment of Required Reserve Ratio based on risk profiling of banks

The computation is based on Merton-Vasicek model, wherein, expected loss under normal circumstances is calculated using probability of default²⁴ (PD), Exposure at Default²⁵ (EAD), and Loss Given Default²⁶ (LGD). The amount at risk was computed based on estimated PDs, insured deposits and loss given default for various risk categories. Additionally, insured deposits of two medium-sized medium-risk banks were considered as a conservative estimate to incorporate stress scenario. Incidentally, Discretionary Method for determining Fund target in IADI research paper²⁷ suggests that Deposit Insurer should set fund target to cover its potential exposure for all small banks and some medium-sized banks. Based on internal estimates and past experience, funds are found to be adequate under normal course of business and the reserve ratio is comparable with peer DIs. However, in case of a black swan event, including failure of large banks, systemic crisis or a financial stability issue, co-ordinated response from all financial safety-net providers may be required. Incidentally, IADI CPs 6 on DI role in contingency planning and crisis management suggests that the development of system-wide crisis preparedness strategies and management policies should be the joint responsibility of all safety-net participants. In view of the potential changes in the risk profile of banks, the reserve ratio is required to be assessed every two years.

5. Concluding Observations

Recent bank failures in certain parts of the globe has brought into sharp focus, the role played by Deposit Insurers in mitigating the impact of such failures. While oversight of risk management practices in the form of an adequate risk governance structure is *sine quo non*, renewed focus on risk management practices, particularly in management of liquidity risk, market risk and stress test of DIF is required on an ongoing basis, going forward.

The Corporation, despite having a limited paybox plus mandate as a Deposit Insurer, actively manages various risks. Risk management is an ever-evolving field and is a work in progress. The Corporation has undertaken various initiatives to be in readiness to deal with uncertain situations which may arise, while also reducing the opaqueness in available funds by quantifying various risks and setting aside prudential reserves. Currently risk management practices of the Corporation are under review by a Committee comprising select senior officers from the RBI and DICGC and it is envisaged that going forward Corporation will be able to fine tune its risk management practices to tackle newer challenges.

Globally, discussions on the target size of the DIF is gaining traction including in India, particularly since the bank failures in the US in early March 2023. Availability of banking services on 24*7 basis and rapid developments in communication technology including influence of social media has resulted in instant movement of deposits on slightest knowledge of any adverse news relating to a bank, which prompted some to even call the social media a “Financial Weapon of Mass Destruction (WMD)”²⁸. Emerging research

23. Patra, M. D. (2022), “Deposit Insurance in India – Journey; Milestones; Challenges”, RBI Bulletin, July.

24. PD is amount weighted i.e., calculated by Insured Deposit of banks at default/ Total Insured Deposits

25. Insured deposit is considered as EAD.

26. Calculated by computing actual loss after considering recoveries (data for past 5 years).

27. IADI (2018), “Deposit Insurance Fund Target Ratio”, Research Paper, July.

28. Gruyter, Caroline (2023) ‘Social Media Is Now a Financial WMD’, Foreign Policy Magazine, May, <https://foreignpolicy.com/2023/05/01/social-media-banks-bank-run-credit-suisse-silicon-valley-first-republic/>

studies find evidence of negative and significant impact of social media on the US banking crisis²⁹ and its quick transmission to European and G7 markets³⁰. As observed in recent bank failures, some of the banks that were otherwise solvent, failed to liquidate assets and meet redemption pressure, accentuated by instant mobility of funds and adverse social media publicity .

Resolving a banking crisis that could potentially derail financial stability will require a co-ordinated response from all financial safety-net participants. However, in the backdrop of

recent bank failures, it may be prudent for any DI going forward, to not only check periodically its contingency planning and crisis preparedness strategy but also assess adequacy of DIF on parameters *inter alia*, bank's idiosyncratic risk (*viz.*, model risk and level of uninsured/bulk deposits), contagion risk and interconnectedness of the financial system, extent of 24*7 banking and social media influence. While modelling some of these risks is a challenge, deposit insurers, however, need to be guarded and well prepared to meet liabilities as and when they arise.

29. Cookson, J. A., Fox, C., Gil-Bazo, J., Imbet, J. F., & Schiller, C. (2023). Social media as a bank run catalyst. Available at SSRN 4422754.
30. Dosumu, O. E., Sakariyahu, R., Oyekola, O., & Lawal, R. (2023). Panic bank runs, global market contagion and the financial consequences of social media. *Economics Letters*, 228, 111170.
31. Federal Reserve Board (2023), "Review of the Federal Reserve's Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank", states that the combination of social media and technology may have fundamentally changed the speed of bank runs. Social media enabled depositors to instantly spread concerns about a bank run, and technology enabled immediate withdrawal of funds.

3.

DIRECTORS' REPORT

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Submitted in terms of section 32(1) of the
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

The number of insured banks registered with the Corporation stood at 2,026 as on March 31, 2023 comprising 139 commercial banks [including 6 payment banks (PBs), 12 small finance banks (SFBs), 43 regional rural banks (RRBs) and 2 local area banks (LABs)] and 1,887 cooperative banks (**Appendix Table 1**). Cooperative banks remained predominant in terms of registered institutions. 14 banks were deregistered during the year, of which 12 were cooperative banks. During the year, no new bank was registered as an insured bank (**Appendix Table 3**).

I.1 DEPOSIT INSURANCE SCHEME

At present, deposit insurance covers all commercial banks (including PBs, SFBs, RRBs and LABs) and cooperative banks in all States and Union Territories (UTs) of the country.


I.1.1 INSURED DEPOSITS

The number of fully protected accounts were 294.45 crore (*i.e.*, accounts with deposit balance up to ₹5 lakh) as at end-March 2023 and they constituted 98.12 per cent of the total number of accounts (300.10 crore) in the banking system as against the international benchmark of 80 per cent (**Chart 1**). The amount of insured deposits at ₹83,89,470 crore constituted 46.31 per cent of assessable deposits of ₹1,81,14,550 crore as against the international benchmark of 20-30 per cent (Table 1) of the deposits covered under insurance protection. RRBs account for the highest share at 81.85 per cent followed by LABs at 74.22 per cent, cooperative banks at 64.93 per cent, State Bank of India at 53.80 per cent and public sector banks at 49.82 per cent, SFBs at 40.34 per cent, private sector banks at 36.60 per cent and foreign banks at 7.15 per cent. (**Appendix Table 5**).

Particulars	As at the end of	
	March 31, 2022	March 31, 2023
1 Total No. of Accounts (crore)	262.19	300.10
2 Fully Protected Accounts (crore)^	256.67	294.45
3 2 to 1 (%)	97.90	98.12
4 Assessable Deposits (₹ crore)	1,65,49,630	1,81,14,550
5 Insured Deposits (₹ crore)	81,10,431	83,89,470
6 5 to 4 (%)	49.01	46.31

* Based on deposit base of September 2021 and September 2022 *i.e.*, six months prior to the reference date.

^ Refers to accounts covered by deposit insurance.



1.1.2 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

The total premium received by the Corporation during 2022-23 stood at ₹21,381 crore, with commercial banks contributing 94.03 per cent and cooperative banks accounting for the remaining 5.97 per cent (Table 2).

Table 2: Premium Received

(₹ crore)

Year	Commercial Banks including LABs & RRBs	Co-operative Banks	Total
2022-23	20,104	1,277	21,381
2021-22	18,248	1,243	19,491
2020-21	16,341	1,176	17,517
2019-20	12,311	923	13,234

1.1.3 INTEREST RATE PAYABLE BY DEFAULTING BANKS

In terms of Section 15(3) of the DICGC Act, 1961 any insured bank defaulting on payment of any amount of premium is liable to pay to the Corporation interest for the period of such default at a rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed (Table 3). For 2022-23, the Corporation recovered ₹1.16 crore as penalty from banks.


Table No.3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

(per cent)

From	To	Bank Rate %	Penal Interest Rate %	Interest Rate pay- able by Defaulting Banks %
01.04.2022	03.05.2022	4.25	8	12.25
04.05.2022	07.06.2022	4.65	8	12.65
08.06.2022	04.08.2022	5.15	8	13.15
05.08.2022	29.09.2022	5.65	8	13.65
30.09.2022	06.12.2022	6.15	8	14.15
07.12.2022	07.02.2023	6.50	8	14.50
08.02.2023	31.03.2023	6.75	8	14.75

1.2 DEPOSIT INSURANCE FUND



The Deposit Insurance Fund (DIF) is built out of the premium paid by insured banks and the coupon income received on investments in Central Government securities¹. The DIF also gets inflows out of recoveries made from liquidators / administrators / transferee banks. The Fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation. The Fund stood at ₹1,69,602 crore as on March 31, 2023 yielding a Reserve Ratio (RR)² of 2.02 per cent (Chart 2).



1. The Corporation increased the premium rate to 12 paise per ₹100 of assessable deposits with effect from April 1, 2020 from the earlier rate of 10 paise.
2. Ratio of deposit insurance fund ; insured deposits

I.3 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During 2022-23, the Corporation settled claims amounting to ₹751.78³ crore to insured depositors of liquidated banks, merged entities banks and those placed under AID out of which ₹105.77 crore⁴ pertained to claims of liquidated and merged banks (Appendix Table 6 and Chart 3A and 3B) and ₹649.92 crore pertaining to banks under AID (Appendix Table 6A and Chart 3A). There were no claims from commercial banks.



The Corporation holds a provision of ₹44.70 crore, reflecting the amount refunded by liquidators on account of untraceable depositors (claims sanctioned but depositors not traceable) and a provision of ₹180.85 crore towards unidentifiable depositors for servicing future claims, if any. The

license of 9 UCBs was cancelled during FY23, however, contingent liability amounting to ₹357.25 has been booked for 7 banks. (**Appendix Table 7 and Appendix Table 7A**).




The Corporation has not sanctioned any main claim of banks under liquidation during the FY23. Further, as regards the banks under AID, the Corporation has adhered to the statutory timeline of 90 days for settlement of deposit insurance claim from the date of issue of AID to such banks.

I.4 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED

Since the inception of deposit insurance, a cumulative amount of ₹295.85 crore has been paid up to March 31, 2023 towards claims of 27 commercial banks, ₹10,631.80 crore towards claims of 374 liquidated cooperative banks (including ₹105.77 crore settled during the year) (**Chart 4 and Appendix Table 8**) and ₹4,103.45 crore towards claims of 36 cooperative banks placed under AID (**Appendix Table 8A**).


Cumulative recoveries received from the liquidators/transferee of Commercial banks aggregated to ₹157.54 crore inclusive of ₹1.62 crore received during the year 2022-23. In the case of cooperative banks, cumulative recoveries from the liquidators/ transferee banks aggregated to ₹4,602.26 crore ((liquidated non-AID and AID co-operative banks) inclusive of ₹626.72 crore ((liquidated non-AID and AID co-operative banks) received during the year 2022-23, whereas in case of AID Banks, total cumulative recoveries received during the year 2022-23 aggregated to ₹233.17 crore. An amount of ₹0.99 crore has been written off in respect of Solapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd., during the year. (**Appendix Table 8 and Chart 5A and 5B**).

3. ₹751.78 crore includes ₹105.77 crore sanctioned towards claims of liquidated/ merged banks as indicated in Appendix Table 6.
4. This includes ₹59.29 crore sanctioned in respect of the claim of PMCBL settled as per the provisions of Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme, 2022.

Chart 4: Cumulative Amount of Claims Paid and Recoveries - 2022-23**Chart 5A: Payouts and Number of Liquidated Banks****Chart 5B: Payouts and Number of Banks under AID**

I.5 COURT CASES

As on March 31, 2023, the number of Court Cases relating to deposit insurance activity of the Corporation pending in various courts and other stood at 56 as compared to 55 as on March 31, 2022. During the year, 16 case were closed, while 17 new cases were filed. Out of the 56 pending cases, 6 cases were filed by the Corporation (Recovery), while 50 cases were filed making the Corporation as party or respondent.

Chart 6: Court-wise Break-up of Cases in 2022-23

I.6 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

At present, there is no credit guarantee scheme administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guaranteed claims have been received and no claims have been paid. By virtue of the Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) during 2022-23 aggregated to ₹ 2.61 lakhs as against ₹ 0.49 lakhs received during the previous year. However, there were no recoveries under the Small Loans Guarantee Scheme, 1981 since 2019-20.

PART II: OTHER IMPORTANT INITIATIVES/DEVELOPMENTS

II.1 SETTLEMENT OF CLAIMS UNDER SECTION 18A OF THE DICGC ACT – SUBMISSION OF CLAIMS BY BANKS UNDER AID WITHIN STATUTORY TIMELINE

In terms of provisions of Section 18A of the DICGC Act, as and when a bank is placed under AID, the Corporation is required to settle the deposit insurance claims of the depositors of the bank within a period not exceeding 90 days from the date of imposition of AID on the bank. However, this is contingent on the submission of a list of depositors showing the outstanding deposits of each depositor as on the cut-off date, in such form and manner as prescribed by the Corporation, within 45 days from such date of effect.

Of the total banks under AID in July 2022 10 banks failed to furnish the depositors' list within the statutory timeline, despite prompt follow-up by the Corporation. Subsequently, based on legal opinion, it was decided that the Corporation would not settle the deposit insurance claims of these banks. The same was suitably communicated to the banks. Further, it has been decided that, going forward, the Corporation shall not accept or act upon the data furnished by banks beyond the statutory timeline of 45 days.

II.2 MEASURES RELATED TO RECOVERY MANAGEMENT

All banks under AID for which claims have been settled under Section 18A have been advised that repayment is to be made to the Corporation in five equal instalments beginning from December 31, 2022. Workshops for liquidators of the various UCBs under liquidation in states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, and Uttar Pradesh have been conducted in order to sensitize them of their roles and responsibilities. The value free transfer of Government securities for repayment has been effected for an amount of ₹88.97 crore in respect of 3 banks during the year.

II.3 COMMUNICATION POLICY AND STRATEGY

The Corporation has framed a communication policy for creating public awareness on deposit insurance. A Technical Advisory Committee has been constituted to formulate communication strategy for the Corporation. The Corporation has appointed a nodal officer for implementation of the communication policy of DICGC and initiated plans to conduct a survey to assess the level of depositors' awareness. The Corporation also initiated the use of a local messaging app for depositors' awareness on deposit insurance including in areas where banks have been placed under 'All Inclusive Directions' (AID) of the RBI or

licences have been cancelled for availing claims from DICGC. Corporation plans to use other social media channels in taking forward communication strategy.

II.4 RISK MANAGEMENT

With the multi-fold increase in the portfolio size and complexity of treasury operations, the Corporation has felt the need to undertake a comprehensive review of treasury operations so as to make it more robust and efficient in meeting the emerging needs of the Corporation. Accordingly, a Committee has been set-up to deliberate on several aspects of treasury operations including management of liquidity and interest rate risks, physical infrastructure for dealing operations, MIS requirements, and risk management practices and give its recommendations.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS

The financial statements of the Corporation comprising its balance sheet, revenue account, and cash flow and main operations for the year ended March 31, 2023 have been prepared in the form as mentioned in Section 28 of the DICGC Act for each of the three funds viz., Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The affairs of the Corporation in terms of the Section 29 of the Act have been audited by the Statutory Auditors and are appended separately.

III.1 INSURANCE LIABILITIES

- (a) The Corporation processed claims amounting to ₹729.63 crore during 2022-23. An amount of ₹751.78 crore (₹8,474.04 crore)⁵ was paid towards insurance claims during 2022-23 while ₹39.27 crore were paid during 2022-23 from the liability crystallized in the previous year.
- (b) The actuarial liability for the Deposit Insurance Fund (DIF) of the Corporation

5. The figures in parentheses adjacent to the current years data indicate the corresponding position in the previous year.

as estimated by the actuary stood at ₹12,174.47 crore (₹13,974.03 crore) at the end of the year registering a decrease of 12.88 per cent over the corresponding period of the previous year.

- (c) There is no claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund (CGF).

III.2 REVENUE DURING THE YEAR

- (a) The surplus in the DIF was ₹33,391.31 crore (₹20,566.21 crore), registering an increase of ₹12,825.10 crore (62.36 per cent) on a year-on-year basis, primarily on account of increase in premium income by ₹1,890.31 crore, increase in income from investment by ₹1,411.90 crore, increase in recoveries of claims paid by ₹483.84 crore, decrease in Net Claims by ₹7,391.19 crore and decrease in actuarial liability by ₹1,799.56 crore. However, it was partially offset by increase in depreciation on investment by ₹1,850.46 crore.
- (b) The surplus in the CGF was ₹48.01 crore (₹44.9 crore), attributed to increase in income from investments by ₹3.02 crore.
- (c) The surplus in the General Fund (GF) stood at ₹179.36 crore (₹36.02 crore), mainly on account of interest on the income tax refund of ₹164 crore. There was an increase in expenditure by ₹7.78 crore primarily due to increase in staff cost, establishment, travelling and halting allowances, legal charges, professional charges and repair of office property/dead stock. Income from investment increased by ₹5.16 crore.

III.3 ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2023 the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹1,57,427 crore (₹1,32,868 crore), ₹612 crore (₹576 crore) and ₹719 crore (₹585 crore) respectively.

III.4 INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three funds, viz., DIF, CGF and GF, stood at ₹1,73,738 crore (₹1,48,747), ₹637 crore (₹589 crore) and ₹774 crore (₹616 crore) respectively, at the end of 2022-23. All three funds recorded appreciation and market value of investments in these funds stood at ₹1,71,887 crore, ₹649 crore and ₹781 crore, respectively.

III.5 TAXATION

III.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2023, the accumulated balance (outstanding) in the Advance Income Tax (AIT) account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹8,853 crore (₹17,578 crore), ₹12 crore (₹42 crore) and ₹44 crore (₹11 crore) respectively. The accumulated balance in provision for taxation stood at ₹8,404 crore (₹15,757 crore), ₹12 crore (₹33 crore) and ₹45 crore (₹13 crore) respectively.

III.5.2 GOODS AND SERVICE TAX

The Corporation is liable to pay GST for the deposit insurance services rendered to the banks. It has discharged the GST liability in compliance thereof to the order of ₹3,848.72 crore during the year. The same was collected from insured banks.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

- IV.1 In terms of section 25 of the DICGC Act, 1961 the Corporation invests its surplus in Central Government securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹1,75,149 crore as on March 31, 2023 as compared with ₹1,49,952 crore as on March 31, 2022 representing an increase of 16.80 per cent over the previous year. The market value of the portfolio stood at ₹1,73,318 crore as on March 31, 2023 as compared with ₹1,51,837 crore as on March 31, 2022, registering an increase of 14.15 per cent and 0.99 times of book value vis-

à-vis 1.01 times as on March 31, 2022. The portfolio return⁶ during the year was 5.49 per cent as compared with 3.66 per cent in 2021-22, mainly on account of deployment of premium income and coupon/maturity inflows at higher rates during the year owing to increase in policy rates by RBI compared to the previous year. The market value of existing and fresh investments during the year were adversely affected by a significant rise in yields leading to net depreciation in the investment portfolio.

IV.2 Central Government securities are valued at model prices published by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). In terms of the accounting policy on investments, net depreciation, if any, is recognised while net appreciation, if any, is ignored. As on March 31, 2023, DIF recorded net depreciation, while CGF and GF recorded net appreciation. Further, the Corporation maintains an Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2023 IFR of ₹6,966.97 crore calculated by the Standardised Duration method was maintained *vis-à-vis* ₹6,536.38 crore as on March 31, 2022.

IV.3 Yields on the securities hardened during the year (the 10-year bench mark yield was 7.32 per cent as on March 31, 2023 *vis-à-vis* 6.84 per cent on March 31, 2022⁷). Yields started rising from Q1 of FY 2022-23 as RBI MPC started the process of rate hikes with the first hike announced in the May 2022 MPC policy meeting to control high inflation

numbers. US Fed also announced policy rate hikes after US CPI inflation data printed at the highest levels in nearly 40 years. There were a series of rate hikes by the RBI and other global central banks during the year exerting upward pressure on yields and leading to unrealized losses on bond holdings when marked to the market. Net depreciation on the investment portfolio of the Corporation on account of rising yield was ₹1831.52 crore as on March 31, 2023. Corporation adopted an approach of reducing portfolio duration to contain the impact of rising yields on the investment portfolio. The deployment of incoming premium and coupon/principal inflows was undertaken in liquid securities maturing up to 14 years which helped in building the holdings of on the run liquid securities as well. Claims payments during the year were discharged successfully using the cash inflows in timely manner. Corporation also participated in Auctions selectively and built books of liquid securities accordingly.

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

V.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and actions as may be exercised by the Corporation. In terms of Regulation 6 of the DICGC's General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. Three meetings of the Board were held during the year ended March 31, 2023.

6. Total weighted return is calculated using the Dietz Method, viz. $TWR = [MVE - MVB + I - C] / [MVB + (0.5 \times C)]$, where MVE/B = Market value at End/Beginning, I = Income received, C = Contribution of fresh inflows/outflows.

7. 6.54 GS 2032 was the 10-year benchmark security as on March 31, 2022 which was later replaced by 7.26% GS 2032 on Aug 22, 2022. 7.26% GS 2033 has become the benchmark security since February 06, 2023

V.1.1 NOMINATION / RETIREMENT OF DIRECTORS

Shri Pankaj Sharma, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has been appointed as Director on the Board of the Corporation by the Central Government under Section 6(1)(c) of the DICGC Act 1961, with effect from April 1, 2022.

Shri Govinda Rajulu Chintala, Chairman, NABARD, appointed under section 6 (1) (d) of the DICGC Act, 1961 ceased to be a Director on the Board of the Corporation with effect from July 12, 2022 on account of superannuation. Shri Shaji K V, Chairman NABARD was appointed as Director on the Board of the Corporation by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the DICGC Act 1961, with effect from February 15, 2023.

V.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

As on March 31, 2023, the Audit Committee of Board was as under:

1. Shri Shaji K.V. Chairperson
2. Shri Pankaj Sharma Gol Nominee Director
3. Dr. Deepak Kumar Director

Three meetings of the Audit Committee of the Board were held during the year ended March 31, 2023.

V.3 INTERNAL CONTROLS

The Corporation has devised a system of control over revenue and expenditure under the three funds viz., DIF, CGF and GF, through quarterly reviews. The annual budget for expenditure under these funds is prepared on various parameters, viz., liquidation cost on claims to be paid of insured banks; project maintenance cost of IT vendor; legal expenses; advertisement cost and staff and establishment related payments. It is approved by the Board before the commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds,

viz., premium receipts, recoveries and investment income, are also included in the budget. A mid-term review of budgeted expenditure and receipts vis-a-vis actual expenditure, based on the position as at the end of each half year, is placed before the Board.

V.3.1 CONCURRENT AUDIT

M/s Devendra Kumar & Associates have been re-appointed as Concurrent Auditors of the Corporation for the year 2023-24. The major findings of monthly audit are placed before the Audit Committee of the Board.

V.3.2 CONTROL & SELF - ASSESSMENT AUDIT

Under Control and Self-Assessment Audit (CSAA), a system has been put in place whereby officers of the Corporation conduct audits of work areas with which they are not functionally associated on a half-yearly basis. Reports for corrective actions, if any, are submitted by them. The CSAA for HY ended December 2022 has been conducted and the report was placed before the management team.

V.3.3 RISK BASED INTERNAL AUDIT

Risk Based Internal Audit (RBIA) of the DICGC was conducted by the Inspection Department of the RBI.

V.4 TRAINING AND SKILL DEVELOPMENT

The Corporation deutes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops with a view to upgrade skills. These programmes are conducted by various training establishments of the RBI, reputed training institutions in India as well as abroad, the International Association of Deposit Insurers (IADI) and other foreign deposit insurance institutions. During 2022-23, 28 officers, 18 class III and 1 class IV employee were nominated to participate in these programmes (including 4 officers and 1 class III employee in online mode). Besides 17

officers were nominated for participating in the various programmes conducted by 'IADI, Asia Pacific Regional Committee (APRC) conference, Joint Task Force on Strategic Priorities and Action Plans Philippines *etc.* (including 8 officers in online mode).

V.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation is on deputation from the RBI. The staff strength of the Corporation as on March 31, 2023 stood at 67 as against 59 as on March 31, 2022 (Table 4).

Table 4: Category wise Staff Strength as on March 31, 2023

Category	Number	Of which		per cent	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	38	5	3	13.2	7.9
Class III	25	4	2	16.0	8.0
Class IV	4	0	1	0.0	25.0
Total	67	9	6	13.4	9.0

SC: Scheduled Castes ST: Scheduled Tribes.

V.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

As a public authority, the Corporation is obliged to provide information to the public under the Right to Information Act (RTI). During 2022-23, a total of 60 RTI requests and three appeals were received and the Appellate Authority Order was issued by the Corporation within the prescribed timeframe. One CIC Appeal hearing was attended by the Corporation and the CIC directions regarding the same were complied with. The RTI queries primarily pertained to role of RBI and DICGC in protecting depositors, information on claim settlement, queries on enhancement of deposit insurance cover, information on failed banks, banks under AID and amount disbursed *etc.*

V.7 USE OF HINDI

In compliance with the provisions of Official Languages Implementation Act, the Corporation prepared quarterly progress reports on use of Hindi. The Official Languages Implementation Committee met on a quarterly basis to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation. Hindi correspondence stood at 96.92 per cent of the total in 2022-23. The Corporation also organizes 'Hindi Fortnight' every year. Hindi Day celebration was held on October 12, 2022.

V.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation operates a customer redressal cell for prompt redressal of complaints from the members of public. The Cell is under the charge of a Senior Officer. The complaints relating to non-receipt of claim amount from banks under direction/liquidated banks, non-acceptance of Claim Willingness form by the banks *etc.* are being handled by the Corporation. Disposal of complaints is being made in a timebound manner in coordination with liquidators/nodal officers of the AID banks, regulatory and supervisory departments of RBI. Specific issues relating to complaints are also taken up with the Sub-Committee of Task Force on Urban Cooperative Banks (TAFUCB) for disposal.

V.9 PUBLIC AWARENESS

As part of public awareness, the Corporation disseminates information about deposit insurance to the public through insured banks, its website, brochures and booklets. RBI Press release on AID banks has been updated to incorporate information regarding DICGC payout u/s 18A of DICGC Act (amended) to create awareness among the banks/public. The Corporation has onboarded Public App, for targeted local messaging on AID banks and information on DICGC in general, which has elicited remarkable response. Modalities of the survey on public awareness are being discussed with RBI in terms of extant procedure.

V.10 ROLE IN INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS

V.10.1 IADI MEETINGS, WORKSHOPS AND OTHER MATTERS

Officers of the Corporation attended 5 in-person meetings and conferences organised by the IADI, including the IADI 20th Anniversary International Conference held during September 6-7, 2022 and the 75th Executive Council meeting held during February 21-24, 2023 at Basel. Officers of the Corporation also attended several virtual workshops and webinars conducted by IADI. In addition, the Corporation participated in the IADI Survey on IFRS 17. Material for APRC and other meetings for the Executive Council Committee was reviewed and comments forwarded. IADI Questionnaire on External Relations was submitted. Annual Report 2021-22 of the Corporation was circulated among the

members of the IADI. Liaison work related to IADI was attended to.

V.10.2 ASIA PACIFIC REGIONAL COMMITTEE OF IADI

A Bilateral meeting was held with Governor, Deposit Insurance Corporation of Japan on June 14, 2022 to discuss issues to be covered at the APRC Annual Meeting and exchange information on recent developments on deposit insurance and resolution in respective jurisdictions. One senior Officer was nominated as a member of the APRC Task Force on Strategic Priorities and Action Plan.


V.11 AUDITORS

In terms of Section 29 (1) of the DICGC Act, 1961, M/s NBS & Co., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2022-23 with the approval of the RBI.

For and on behalf of Board of Directors.

Deposit Insurance and Credit guarantee Corporation

Mumbai
June 21, 2023


(M D Patra)
Chairman

**APPENDIX TABLE 1: BANKS UNDER THE DEPOSIT INSURANCE -
PROGRESS SINCE INCEPTION**

Year/ Period	At the beginning of the period	Registered during the period	De-registered during the year / period where Corporation's liability			At the end of the period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2022-23	2,040	0	9	5	14	2,026
2021-22	2,058	3	11	10	21	2,040
2020-21	2,067	2	6	5	11	2,058
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	7	16	13	29	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

APPENDIX TABLE 2-A: INSURED BANKS - CATEGORY-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2022-23	94	43	2	1,887	2,026
2021-22	96	43	2	1,899	2,040
2020-21	94	43	2	1,919	2,058
2019-20	96	45	3	1,923	2,067
2018-19	103	51	3	1,941	2,098

RRBs: Regional Rural Banks; LABs: Local Area Banks

APPENDIX TABLE 2-B: INSURED CO-OPERATIVE BANKS – STATE - WISE

(as at end March 2023)

Sr. No.	State / UT	Apex	Central	Primary	Total
States					
1.	Andhra Pradesh	1	22	46	69
2.	Assam	1	-	8	9
3.	Arunachal Pradesh	1	-	-	1
4.	Bihar	1	23	4	28
5.	Chhattisgarh	1	6	12	19
6.	Goa	1	-	4	5
7.	Gujarat	1	18	213	232
8.	Haryana	1	19	7	27
9.	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10.	Jharkhand	1	1	1	3
11.	Karnataka	1	21	256	278
12.	Kerala	1	1	60	62
13.	Madhya Pradesh	1	38	47	86
14.	Maharashtra	1	31	476	508
15.	Manipur	1	-	3	4
16.	Meghalaya	1	-	3	4
17.	Mizoram	1	-	1	2
18.	Nagaland	1	-	-	1
19.	Odisha	1	17	9	27
20.	Punjab	1	20	4	25
21.	Rajasthan	1	29	35	65
22.	Sikkim	1	-	1	2
23.	Tamil Nadu	1	24	129	154
24.	Telangana	1	-	51	52
25.	Tripura	1	-	1	2
26.	Uttar Pradesh	1	50	60	111
27.	Uttarakhand	1	10	5	16
28.	West Bengal	1	17	42	60
All States		28	349	1,483	1,860
Union Territories					
1.	Andaman & Nicobar Islands	1	-	-	1
2.	Chandigarh	1	-	-	1
3.	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
4.	NCT Delhi	1	-	14	15
5.	Puducherry	1	-	1	2
All Union Territories		5	3	19	27
All India		33	352	1,502	1,887

APPENDIX TABLE 3: BANKS REGISTERED / DE-REGISTERED DURING 2022-23**A. REGISTERED (0)**

Bank Type	Category / State	Sr. No.	Name of the Bank
-	-	-	-

B. DE-REGISTERED (14)

Bank Type	Category / State	Sr. No.	Name of the Bank
Commercial Banks (2)	Foreign Bank	1	Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.
		2	Krung Thai Bank PCL
Co-operative Banks (12)	Madhya Pradesh	1	Garha Co-operative Bank Ltd.
	Gujarat	1	Kutch Co-operative Bank Ltd. (Merged with Bhuj Mercantile Co-operative Bank Ltd.)
	Karnataka	1	Akkamahadevi Mahila Sahakari Bank Niyamitha (Merged with Dr. Appasaheb Urf Sare Patil Jaysingpur Udgaon Sahakari Bank Ltd.)
		2	Mudhol Co-operative Bank Ltd.
		3	Millath Co-operative Bank Ltd.
		4	Deccan Urban Co-operative Bank Ltd.
	Maharashtra	1	Shri Anand Co-operative Bank Ltd.
		2	Laxmi Co-operative Bank Ltd.
		3	Seva Vikas Co-operative Bank Ltd.
		4	Rupee Co-operative Bank Ltd.
		5	Shree Sharada Sahakari Bank Ltd. (Merged with Cosmos Co-operative Bank Ltd.)
		6	Babaji Date Mahila Sahakari Bank Ltd.

APPENDIX TABLE 4: DEPOSIT PROTECTION COVERAGE: SINCE INCEPTION

Year	Fully Protected Accounts (number in crore)*	Total Accounts (number in crore)	% of Fully Protected Accounts to Total Accounts	Insured Deposits* (in ₹ crore)	Assessable Deposits (in ₹ crore)	% of Insured Deposits to Total Deposits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2022-23	294.5	300.1	98.1	83,89,470	1,81,14,550	46.3
2021-22	256.7	262.2	97.9	81,10,431	1,65,49,630	49.0
2020-21	247.8	252.6	98.1	76,21,251	1,49,67,770	50.9
2019-20	216.1	235.0	92.0	36,96,100	1,34,88,910	27.4
2018-19	200.0	217.4	92.0	33,70,000	1,20,05,100	28.1
2017-18	177.5	194.1	91.4	32,75,300	1,12,02,000	29.2
2016-17	173.7	188.5	92.1	30,50,900	1,03,53,100	29.5
2015-16	155.3	168.1	92.3	28,26,400	94,05,300	30.1
2014-15	134.5	145.6	92.3	26,06,794	84,75,154	30.8
2013-14	126.7	137.0	92.4	23,79,152	76,16,640	31.2
2012-13	139.3	148.2	94.0	21,58,365	66,21,060	32.6
2011-12	99.6	107.3	92.8	19,04,300	57,67,400	33.0
2010-11	97.7	105.2	92.9	17,35,800	49,52,427	35.1
2009-10	126.7	142.4	89.0	16,82,397	45,87,967	36.7
2008-09	120.4	134.9	89.3	19,08,951	33,98,565	56.2
2007-08	96.2	103.9	92.6	18,05,081	29,84,800	60.5
2006-07	68.3	71.7	95.3	13,72,597	23,44,351	58.5
2005-06	50.6	53.7	94.1	10,52,988	17,90,919	58.8
2004-05	62.0	65.0	95.4	9,91,365	16,19,815	61.2
2003-04	51.9	54.4	95.4	8,70,940	13,18,268	66.1
2002-03	57.8	60.0	96.3	8,28,885	12,13,163	68.3
2001-02	46.4	48.2	96.4	6,74,051	9,68,752	69.6
2000-01	43.2	44.6	96.9	5,72,434	8,06,260	71.0
1999-00	43.0	44.2	97.4	4,98,558	7,04,068	70.8
1998-99	45.4	46.4	97.9	4,39,609	6,09,962	72.1
1997-98	37.1	41.1	90.4	3,70,531	4,92,280	75.3
1996-97	42.7	43.5	98.2	3,37,671	4,50,674	74.9
1995-96	48.2	48.7	99.0	2,95,575	3,92,072	75.4
1994-95	49.6	49.9	99.2	2,66,747	3,64,058	73.3
1993-94	35.0	35.3	99.1	1,68,405	2,49,034	67.6
1992-93	34.0	35.4	95.8	1,64,527	2,44,375	67.3
1991-92	31.7	32.9	96.4	1,27,925	1,86,307	68.7
1990-91	29.8	30.9	96.5	1,09,316	1,56,892	69.7
1962	0.6	0.7	78.5	392	1,694	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards, ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards and ₹5,00,000 from February 4, 2020 onwards.

Notes : 1. Data from 2009-10 as per new reporting format.

2. Deposit insurance cover increased from ₹1 lakh to ₹5 lakh with effect from February 4, 2020. As the deposit insurance returns data pertain to September 30, 2019 did not have granular information above ₹3,00,000, insured deposits and number of fully protected accounts estimated as ₹68,71,500 crore and 231 crore, respectively, for deposit insurance cover of ₹5 lakh for the year 2019-20. As a result fully protected accounts to total accounts ratio is increased from 92.0% to 98.3% and Insured deposits to total deposits ratio also changed from 27.4% to 50.9%.

APPENDIX TABLE 5: BANK WISE CATEGORY - INSURED DEPOSITS

Year	Bank Groups	No. of Insured Banks	Insured Deposits (₹ crore) *	Assessable Deposits (₹ crore) *	% of Insured Deposits to Assessable Deposits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2022-23	I. Commercial Banks (i to vii)	139	77,00,667	1,70,53,688	45.2
	i) Public Sector Banks	12	51,32,083	1,00,01,096	51.3
	ii) Private Sector Banks	21	20,11,253	54,94,669	36.6
	iii) Foreign Banks	43	63,387	8,85,929	7.2
	iv) Small Finance Banks	12	56,129	1,39,142	40.3
	v) Payment Banks	6	9,791	9,842	99.5
	vi) Regional Rural Banks	43	4,27,216	5,21,921	81.9
	vii) Local Area Banks	2	808	1,089	74.2
	II. Cooperative Banks (i to iii)	1,887	6,88,803	10,60,862	64.9
	i) Urban Cooperative Banks	1,502	3,62,101	5,21,203	69.5
	ii) State Cooperative Banks	33	62,256	1,36,208	45.7
	iii) District Central Cooperative Banks	352	2,64,446	4,03,451	65.5
	Total (I+II)	2,026	83,89,470	1,81,14,550	46.3
2021-22	I. Commercial Banks (i to vii)	141	74,21,789	1,55,14,476	47.8
	i) Public Sector Banks	12	50,05,209	92,53,975	54.1
	ii) Private Sector Banks	21	18,70,980	48,60,092	38.5
	iii) Foreign Banks	45	86,728	8,00,107	10.8
	iv) Small Finance Banks	12	43,113	1,00,066	43.1
	v) Payment Banks	6	6,265	6,289	99.6
	vi) Regional Rural Banks	43	4,08,744	4,92,966	82.9
	vii) Local Area Banks	2	750	981	76.4
	II. Cooperative Banks (i to iii)	1,899	6,88,642	10,35,154	66.5
	i) Urban Cooperative Banks	1,514	3,74,965	5,26,366	71.2
	ii) State Cooperative Banks	33	60,862	1,32,048	46.1
	iii) District Central Cooperative Banks	352	2,52,815	3,76,739	67.1
	Total (I+II)	2,040	81,10,431	1,65,49,630	49.0

* Data pertaining to insured deposits and assessable deposits are as on September 30 of previous financial half-year.

Note: The insured deposits to assessable deposits ratio may not tally due to rounding off.

APPENDIX TABLE 6: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2022-23
(Liquidated/Merged Banks)

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of depositors	Claim amount (₹ Crore)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Co-operative Banks				
	Maharashtra (7)			
1	Karad Janata Sahakari Bank Ltd	Supplementary	4,662	18.43
2	Shivam Sahakari Bank Ltd	Supplementary	54	0.30
3	Shivajirao Bhosale SBL	Supplementary	275	2.19
4	Karnala NSBL	Supplementary	317	3.66
5	PMC Bank Ltd	Supplementary	20,756	59.29
6	Navodaya Urban Co-op Bank Ltd	Supplementary	396	1.92
7	CKP Cooperative Bank Ltd	Supplementary	2,180	12.52
Total (Maharashtra)		Supplementary (7)	28,640	98.31
	West Bengal (1)			
1	Kasundia Co-op Bank Ltd	Supplementary	93	0.42
Total (West Bengal)		Supplementary (1)	93	0.42
	Rajasthan (2)			
1	Bhilwara Mahila UCBL, Rajasthan	Supplementary	179	0.48
2	Alwar Urban Co-op Bank Ltd	Supplementary	261	0.65
Total (Rajasthan)		Supplementary (1)	440	1.13
	Goa (1)			
1	Mapusa UCBL	Supplementary	922	5.92
Total (Goa)		Supplementary (1)	922	5.92
Total (All States)		Supplementary (11)	30,095	105.77

**APPENDIX TABLE 6A: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2022-23
(Banks under All Inclusive Directions (AID))**

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of depositors	Amount of Claims (₹ crore)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Co-operative Banks				
Maharashtra				
1	Shri Anand CBL Ltd	Supplementary	40	0.08
2	Maratha SBL	Supplementary	484	3.07
3	City CBL	Supplementary	20	0.52
4	Padmashri Vitthalrao Vikhe Patil CBL	Supplementary	78	1.22
5	Kapol CBL	Supplementary	3,339	18.84
6	The Seva Vikas CBL	Supplementary	NA	1.08
7	Babaji Date Mahila SBL	Supplementary	4,354	41.03
8	Laxmi CBL	Supplementary	4,160	0.99
9	Malkapur UCBL	Supplementary	1,711	18.82
10	Nagar UCBL	Supplementary	7,807	113.14
11	Dwarkadas Mantri NSBL	Main	2,834	44.92
12	Shankarrao Pujari Nutan SBL	Main	4,121	41.61
13	Harihareshwar SBL	Main	4,208	57.24
14	Sangli SBL	Main	1,492	28.67
15	Saibaba Janta SBL	Main	1,019	18.83
16	Jayprakash Narayan NSBL	Main	1,187	22.20
17	Nashik Zilla Girna SBL	Main	1,353	16.27
Total (Maharashtra)		Main (7) & Supplementary (10)	38,207	428.54
Karnataka				
1	Deccan UCBL	Supplementary	NA	0.07
2	Millath CBL	Supplementary	101	0.61
3	Shri Guru Raghavendra SBN	Supplementary	99	3.49
4	Shushruti Souharda SBN	Main	1,821	54.16
5	Sri Sharda Mahila CBL	Main	530	12.95
6	Sri Mallikarjuna Pattana SBL	Main	510	5.89
Total (Karnataka)		Main (3) & Supplementary (3)	3,061	77.17
Rajasthan				
1	Sikar UCBL	Supplementary	185	1.99
2	Sumerpur Mercantile UCBL	Main	3,714	44.32
Total (Rajasthan)		Main (1) & Supplementary (1)	3,899	46.31
Uttar Pradesh				
1	The Indian Mercantile UCBL	Supplementary	136	2.91
Total (Uttar Pradesh)		Supplementary (1)	136	2.91
Kerala				
1	Thodupuzha Urban CBL	Main	3,735	85.14
Total (Kerala)		Main (1)	3,735	85.14
Andhra Pradesh				
1	Durga Cooperative UBL	Main	290	9.84
Total (Andhra Pradesh)		Main (1)	290	9.84
Total (All States)		Main (13) & Supplementary (15)	49,328	649.92

Note: The Corporation has received a refund of ₹ 3.91 crore which was sanctioned in terms of provisions of section 18A of the DICGC Act and was lying undisbursed at the time of deregistration of such banks consequent to cancellation of the license by RBI.

NA: Not applicable as the depositors got already counted under main claims.

**APPENDIX TABLE 7: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY
(As on March 31, 2023)**

Sr. No.	Date of de-registration	Name of the Bank	Amount (₹ Crore)
A	10 years and above		
	-	-	-
	Total (A)	-	-
B	5 years and less than 10 years		
	-	-	-
	Total (B)	-	-
C	1 year and less than 5 years		
1	December 24, 2022	Subhadra Local Area Bank (U/L)*	7.75
2	January 11, 2021	United Co-Operative Bank Ltd.(U/L) Bagnan, WB#	2.23
3	February 3, 2022	Independence CBL (U/L)	2.70
4	February 16, 2022	Mantha UCBL (U/L)	26.11
5	March 2, 2022	Sarjerao Dada Naik shirala SBL (U/L)\$	22.54
	Total (C)	(5 Banks)	61.33
D	Less than 1 year		
1	June 8, 2022	Mudhol CBL	5.20
2	June 18, 2022	Millath CBL	3.54
3	July 7, 2022	Shri Anand CBL	5.45
4	August 18, 2022	Deccan UCBL	3.13
5	September 22, 2022	Laxmi CBL	16.69
6	October 10, 2022	Seva Vikas CBL	1.84
7	October 31, 2022	Rupee CBL	321.40
	Total (D)	(7 Banks)	357.25
Grand Total (A+B+C+D)		(12 Banks)	418.58

* Liquidator not appointed as on March 31, 2022. Matter sub judice.

Claim list is yet to be received from the liquidator.

\$ The banks have since been liquidated in Q4 FY22.

Note: The Contingent liability for Garha CBL (U/L) and Babaji Date Mahila SBL (U/L) has not been booked as on March 31, 2023.

**APPENDIX TABLE 7A: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY -
BANKS UNDER AID (As on March 31, 2023)**

Sr. No.	Name of the Bank	Amount (₹ Crore)
1	Shree Mahalaxmi Mercantile UCBL	46.77
2	Shimsha SBN	16.11
3	Hiriyur UCBL	3.58
4	Defence Accounts CBL	18.48
5	Shankerrao Mohite Patil CBL	63.34
6	Faiz Mercantile CBL	12.43
7	Adarsh Mahila NSBL	263.83
8	Pune Sahakari Bank Ltd.	10.34
9	Imperial UCBL	19.20
10	Musiri UCBL	2.32
11	Banaras Mercantile CBL	9.09
12	HCBL CBL	36.69
13	National Mercantile CBL	5.03
Total		507.22

Note: The due dates for furnishing the claim by the banks fall in April 2023. Hence, pending receipt of the claim list, the Corporation has maintained a contingent liability with respect to these banks as on March 31, 2023.

APPENDIX TABLE 8: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED /AMALGAMATED/RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2023

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	COMMERCIAL BANKS				
	i) Full repayment received (A)				
1	Bank of China, Kolkata (1963)		925.00	925.00	-
2	Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*		704.06	704.06	-
3	Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*		208.50	208.50	-
4	Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*		11.51	11.51	-
5	Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
6	National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*		968.92	968.92	-
7	Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*		1,16,278.09	1,16,278.46	(0.38)
8	Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
9	Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)		3,70,000.00	3,70,000.00	-
TOTAL 'A'			5,08,386.80	5,08,387.18	(0.38)
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)				
10	Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*		253.35	137.79 (115.56)	-
11	Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-
12	Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
13	Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*		880.08	441.55 (438.53)	-
14	Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
15	Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
16	National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
17	Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
18	Lakshmi Commercial Bank Ltd., Bangalore (1985)*		3,34,062.25	91,358.30 (2,42,703.95)	-
19	Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*		3,50,150.63	32,631.51 (3,17,519.12)	-
21	Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*		30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-
22	Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*		72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
TOTAL 'B'			8,17,291.74	1,91,403.91 (6,25,887.83)	-
iii) Part repayment received (C)					
23	Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*		2,19,167.10	1,05,374.96	1,13,792.14
24	Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N. (1990)*		1,07,836.01	1,03,755.98	4,080.04
25	Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N. (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
26	Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*		1,72,956.25	-	1,72,956.25
27	Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*		10,56,442.08	5,90,557.14	4,65,884.94
TOTAL 'C'			16,32,851.19	8,75,585.40	7,57,265.80
TOTAL (A+B+C)			29,58,529.73	15,75,376.48 (6,25,887.83)	7,57,265.42
II	CO-OPERATIVE BANKS				
i) Full repayment received (D)					
1	Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)		573.33	573.33	-
2	Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)		184.00	184.00	-
3	Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)		1,072.00	1,072.00	-
4	Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)		218.99	244.99	(26.00)
5	Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)		1,837.46	1,837.46	-
6	Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*		484.89	484.89	-
7	Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)		12,500.00	12,500.00	-
8	Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)		121.97	121.97	-
9	Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)		2,413.42	2,413.43	(0.00)

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)^	3,160	915.79	915.79	-
11	Trimooriti Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (1999)		28,556.47	28,556.47	-
12	Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)		5,068.09	5,068.09	-
13	Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@)#)		40,15,185.54	40,15,185.54	-
14	Sri. Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank, (Dergd), A.P. (2002)		7,821.24	7,821.24	-
15	The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)		26,553.64	26,553.64	-
16	Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		11,289.66	11,289.66	-
17	Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P. (2003)		47,432.57	47,432.57	-
18	Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		34,033.48	34,033.48	-
19	Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)		33,329.35	33,331.32	(1.97)
20	Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)		33,177.94	33,177.94	-
21	Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)		37,343.88	37,343.88	-
22	The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2003)		41,281.62	41,281.62	-
23	Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		7,697.97	7,697.97	-
24	Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)		22,952.19	22,952.19	-
25	Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		20,65,143.58	20,65,143.58	-
26	Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		30,697.47	30,697.47	-
27	Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		629.80	629.80	-
28	Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)^		4,787.55	4,787.55	(0.00)
29	Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,725.86	5,725.86	-
30	Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		30,892.41	30,901.60	(9.20)

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)^		6,06,403.31	6,06,403.31	-
32	Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		1,30,437.03	1,30,437.03	-
33	Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)		15,706.37	15,706.37	-
34	Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)		18,999.84	18,999.84	-
35	Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		24,741.48	24,741.48	-
36	Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P. (2006)		3,04,703.46	3,04,703.46	-
37	Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)^		2,57,956.99	2,57,956.99	-
38	Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		4,846.70	4,846.70	-
39	Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		12,825.48	12,825.48	-
40	Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		58,798.44	58,811.81	(13.36)
41	Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2007)		7,55,959.06	7,55,959.06	-
42	Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		3,23,215.02	3,23,215.02	-
43	Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		5,938.96	5,938.96	-
44	Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)		11,238.00	11,238.00	-
45	Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	1,84,558.65	1,84,558.65	-
46	Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)^	7,240	7,442.90	7,442.90	-
47	Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	1,85,521.69	1,85,521.69	-
48	Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	24,167.12	24,167.12	-
49	Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)^	16,467	1,242.00	1,242.00	-
50	Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	11,542	79,008.26	79,008.26	-
51	Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	51,821.99	51,821.99	-
52	Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)^	1,892	20,818.79	20,818.79	-

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53	Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	3,00,915.66	3,00,915.66	-
54	The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	43,375.25	43,375.25	-
55	Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	33,463.64	33,463.64	-
56	Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	70,182.85	70,182.85	-
57	Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P., (2010)	27,123	2,32,261.93	2,32,261.93	-
58	Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	1,14,105.43	1,14,105.43	-
59	Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	1,67,648.97	1,67,648.97	-
60	Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	179.27	179.27	-
61	Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	71,269.83	71,269.83	-
62	Shri Balaji Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-
63	Memon Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)*	85,990	2,37,520.12	2,37,520.12	-
64	Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	12,203	1,01,677.83	1,01,705.75	(27.93)
65	Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	-
66	Abhinav Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
67	Veershaiva Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2014)	40,373	7,27,615.26	7,27,615.26	-
68	Shree Siddivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	20,401	1,57,616.06	1,57,616.06	-
69	The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2015)&	28,759	3,01,759.34	3,01,759.34	-
70	Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Telengana (2015)	42,825	1,19,188.84	1,19,188.84	-
71	Municipal Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2015)&	29,343	1,56,382.66	1,56,382.66	-
72	Vaishali Urban Co-operative Bank , Rajasthan (2015)	3,191	41,382.47	41,382.47	-
73	The Merchants Co-op Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (MH121) (2016)	11,822	55,921.12	55,921.12	-
74	Shri Swami Samarth Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2017)	6,592	21,888.06	21,888.60	(0.54)

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	Vitthal Nagari Sahakari Bank Ltd. Latur, Maharashtra (2017)	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.59)
76	Jamkhed Merchants CBL, Maharashtra (2020)	6,119	52,055.23	52,465.99	(410.76)
77	Mirzapur UCBL. Mirzapur, Uttar Pradesh (2018)&	15,188	71,639.96	71,639.96	-
78	The Urban CBL, Bhubaneshwar, Odisha (2018)&	6,446	1,51,659.37	1,51,659.37	-
TOTAL 'D'			1,29,17,552.73	1,29,18,061.07	(508.35)
ii) Repayment received in part and balance due written off (E)					
79	Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)		276.50	- (276.50)	-
80	Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)		60.31	- (60.31)	-
81	Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*		4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-
82	Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)		26.10	- (26.10)	-
83	Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)		708.44	527.64 (180.80)	-
84	The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
85	Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)		27,494.76	17,600.00 (9,894.76)	-
TOTAL 'E'			35,323.17	19,933.77 (15,389.41)	-
iii) Part repayment received (F)					
86	Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
87	Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		701.51	412.14	289.37
88	Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
89	Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
90	Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur, A.P. (1985)		1,395.93	707.86	688.08
91	Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)		274.30	65.50	208.80

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
93	Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)		961.85	227.60	734.25
94	Hind Urban Co-operative Bank Ltd., Lucknow, U.P. (1988)		1,095.23	-	1,095.23
95	Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (1990)		436.10	51.62	384.48
96	Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)		388.82	48.56	340.26
97	Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)		1,736.62	963.02	773.59
98	Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative Urban Bank Ltd., Karnataka (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
99	Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
100	Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
101	Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
102	Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P. (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
103	Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
104	Peoples Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (1996)		36,545.52	29,279.79	7,265.73
105	Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		22,662.97	7,300.00	15,362.97
106	Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		80,117.45	-	80,117.45
107	Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
108	Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		18,067.90	14,148.71	3,919.19
109	Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
110	Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
111	Gudur Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
112	Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
113	Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		1,57,012.94	59,783.98	97,228.95

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114	Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)		2,242.01	-	2,242.01
115	Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
116	The Sami Taluka Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2000)		2,017.30	-	2,017.30
117	Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)		1,696.09	0.24	1,695.85
118	Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P. (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
119	Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
120	Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit, Bilaspur, M.P. (2001)		26,135.83	15,704.50	10,431.33
121	Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)		3,946.61	3,939.70	6.91
122	Krushni Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2001)		2,32,429.22	73,116.30	1,59,312.92
123	Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		30,168.26	12,765.43	17,402.83
124	Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P. (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
125	Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		1,40,667.57	62,046.41	78,621.16
126	Maratha Market Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		37,959.73	0.01	37,959.73
127	Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)		3,048.95	302.00	2,746.95
128	Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		48,456.66	147.03	48,309.63
129	Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P. (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
130	Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)		7,032.61	3.32	7,029.29
131	Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah. Bank(Dergd), Gujarat (2002)		25,866.18	8,400.00	17,466.18
132	Sravva Co op. Bank Ltd., A.P. (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
133	Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
134	Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)		22,448.41	4.16	22,444.25
135	Shree Labh Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)		47,507.25	342.72	47,164.53

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
136	Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)		46,368.34	1,028.84	45,339.50
137	Janta Sahakari Bank Maryadit., Dewas, M.P. (2003)		71,741.71	68,141.14	3,600.57
138	The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
139	Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14
140	Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
141	Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)#		14,32,344.30	9,46,695.05	4,85,649.26
142	Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		16,345.12	7,760.00	8,585.12
143	Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.50
144	The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
145	Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23
146	The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P. (2003)		1,41,139.81	1,40,798.15	341.65
147	Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P. (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
148	Dhana Co op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		23,855.34	-	23,855.34
149	The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		2,626.79	-	2,626.79
150	Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
151	Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		35,508.21	18,626.44	16,881.77
152	Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)		22,272.99	3,038.47	19,234.52
153	Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		42,971.17	40,729.41	2,241.76
154	Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		1,15,872.42	27,318.21	88,554.21
155	Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)		25,531.20	-	25,531.20
156	General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)		7,15,200.69	4,25,756.90	2,89,443.79
157	Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)		44,086.21	82.94	44,003.27
158	Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)		34,192.33	26,848.87	7,343.46

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
159	Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		38,46,162.46	32,48,868.42	5,97,294.04
160	Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		1,794.45	164.60	1,629.85
161	Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)		9,799.51	-	9,799.51
162	The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		10,170.18	9,470.18	700.00
163	The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P. (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.10
164	Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
165	Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)		25,441.21	3,293.11	22,148.10
166	Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
167	Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P. (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
168	Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		3,741.01	4.74	3,736.27
169	Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74
170	Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)		13,351.57	4,512.55	8,839.02
171	Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)		15,836.61	519.61	15,317.00
172	Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)		1,07,561.91	24,465.92	83,095.99
173	Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,84,048.60	4,18,791.83	1,65,256.77
174	The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)		49,437.88	34,002.75	15,435.13
175	Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		86,530.52	78,227.40	8,303.13
176	Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		3,18,925.24	2,47,133.24	71,792.00
177	Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		74,035.72	66,870.29	7,165.43
178	Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		2,99,340.86	58,849.32	2,40,491.54
179	Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		2,23,150.28	67,681.19	1,55,469.09
180	Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.52
181	Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		17,573.42	729.55	16,843.88
182	Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P. (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
183	Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P. (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37
184	Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
185	Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		80,214.81	21,649.74	58,565.07
186	Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,79,896.95	55,781.74	5,24,115.21
187	Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		10,898.73	190.09	10,708.63
188	Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)		1,20,659.85	103.13	1,20,556.72
189	Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31
190	Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.69
191	Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		40,828.18	10,038.93	30,789.25
192	The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		67,739.63	25,933.48	41,806.15
193	Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		1,81,637.44	27,645.01	1,53,992.43
194	Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		65,053.51	0.38	65,053.14
195	Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		3,01,592.15	2,05,852.62	95,739.53
196	Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		2,66,452.45	1,81,014.17	85,438.28
197	Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P. (2006)		1,45,661.51	1,38,413.27	7,248.24
198	Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		82,529.98	3.29	82,526.70
199	Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.50
200	Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		4,34,251.94	3,37,993.29	96,258.66
201	Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		3,23,292.67	2,16,629.70	1,06,662.97
202	Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		5,52,716.70	2,18,566.92	3,34,149.78
203	Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		1,20,686.51	6,314.48	1,14,372.03

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
204	The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.26
205	Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		1,18,895.88	1,08,619.17	10,276.71
206	Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		29,757.64	6,157.56	23,600.09
207	Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		3,71,586.77	2,17,086.25	1,54,500.52
208	Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54
209	The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		11,614.90	4,767.09	6,847.81
210	Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		1,65,896.38	1,07,683.34	58,213.04
211	Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		1,16,051.52	26,444.24	89,607.27
212	Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		6,606.11	1,702.99	4,903.12
213	Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam, M.P. (2007)		20,393.50	21.68	20,371.83
214	Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		1,03,903.73	43,449.78	60,453.95
215	Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		3,67,807.52	2,27,393.79	1,40,413.73
216	Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit, Maharashtra (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74
217	The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
218	Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
219	Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		1,24,758.68	1,18,066.31	6,692.37
220	Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.99
221	Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		27,287.76	579.65	26,708.11
222	Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P. (2007)		2,304.21	5.61	2,298.60
223	Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01
224	Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P. (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33
225	Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		12,974.81	5,446.71	7,528.11

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
226	Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		22,078.93	3,562.98	18,515.95
227	Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		1,60,286.13	73,518.98	86,767.15
228	Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P. (2007)		2,476.52	78.08	2,398.43
229	Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86
230	The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		10,262.36	4,377.84	5,884.52
231	Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
232	Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd., Mandrup, Maharashtra (2008)	678	666.32	-	666.32
233	Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
234	Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd., Burhanpur, M.P. (2008)	4,117	8,391.32	1,413.55	6,977.77
235	Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
236	Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P. (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
237	Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	24,522.91	2,559.37	21,963.53
238	Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
239	Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
240	Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P. (2008)	67,098	4,54,367.84	3,255.92	4,51,111.91
241	Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	47,517.84	15,770.87	31,746.97
242	Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	1,84,735.21	41,653.68	1,43,081.53
243	Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd., Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	1,64,573.59	34,173.51	1,30,400.08
244	Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	22,849.90	10,946.41	11,903.49
245	Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,779	99,668.73	65,022.95	34,645.78
246	Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	1,69,225.78	38,581.19	1,30,644.59
247	Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op. Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	16,723	2,68,254.02	2,30,571.10	37,682.92

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
248	Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
249	Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	25,242.02	8,395.14	16,846.88
250	Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	1,12,933.28	56,063.28	56,870.00
251	Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	3,256	25,288.48	16,701.67	8,586.82
252	The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	67,660.45	66,092.12	1,568.33
253	Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur, Maharashtra (2009)	11,129	65,792.83	36,584.83	29,208.00
254	Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P. (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
255	Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P. (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
256	Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P. (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
257	Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.07
258	Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,603	1,28,916.02	58,576.93	70,339.09
259	Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	3,74,582.84	3,13,003.72	61,579.12
260	Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	1,01,964.31	35,540.70	66,423.61
261	Shri S. K. Patil Co-op. Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	1,33,059.30	6,988.16	1,26,071.14
262	Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
263	Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	53,127.98	32,959.23	20,168.76
264	Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	3,70,674.45	72,341.14	2,98,333.31
265	South Indian Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,817	3,59,787.81	82,703.49	2,77,084.32
266	Ankleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,368	2,38,318.86	2,21,485.48	16,833.38
267	Ajit Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	2,92,978.03	1,40,836.14	1,52,141.88
268	Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	1,37,345.44	1,32,644.11	4,701.33

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
269	Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,791	5,66,073.61	35,805.32	5,30,268.28
270	Deendayal Nagrik Sahakari Bank Ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
271	Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
272	Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	1,41,317	16,72,059.89	15,45,360.12	1,26,699.78
273	Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,764	4,20,307.60	3,99,698.93	20,608.67
274	Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
275	Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	1,25,438.26	94,084.87	31,353.39
276	The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,352	1,44,067.26	99,944.96	44,122.30
277	Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2010)	43,934	4,36,184.64	1,08,922.59	3,27,262.05
278	Anubhav Co-op. Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25
279	Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	1,16,808.19	56,224.93	60,583.27
280	Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,769	4,87,115.50	2,81,323.36	2,05,792.14
281	Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	58.72	0.74	57.98
282	Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	51,243.07	15,721.26	35,521.81
283	Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	15,629.02	5,615.61	10,013.41
284	Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	64,921.83	7,781.14	57,140.69
285	Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
286	Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	1,15,186.90	1,14,638.37	548.53
287	Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54
288	Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,652	4,48,117.96	3,45,548.61	1,02,569.35
289	Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	2,60,370.86	1,02,147.10	1,58,223.76
290	Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	1,46,202.60	52,086.60	94,116.00

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
291	Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	4,03,741.10	3,57,859.76	45,881.34
292	Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,036	4,76,606.19	3,09,031.48	1,67,574.71
293	Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,424	25,845.79	20,063.13	5,782.66
294	Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	49,312.44	22,552.04	26,760.39
295	Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
296	Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P. (2010)	6,980	71,482.68	60,959.22	10,523.46
297	Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
298	Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50
299	Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
300	Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	1,45,596.66	1,33,805.66	11,791.00
301	Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	84,041.98	69,438.22	14,603.76
302	Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	1,33,960.02	1,00,299.93	33,660.09
303	Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	71,262	5,91,664.24	3,04,181.07	2,87,483.17
304	Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	86,764.47	9,683.40	77,081.07
305	Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	67,393.38	45,288.02	22,105.36
306	Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
307	The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00
308	The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	4,03,178.78	1,91,801.02	2,11,377.76
309	Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	4,22,834.49	50,467.79	3,72,366.70
310	Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	1,12,964.84	1,186.06	1,11,778.78
311	Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,337	35,973.20	8,067.23	27,905.97
312	Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	1,99,311.58	51,833.76	1,47,477.83

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
313	Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	1,60,023.77	77,571.28	82,452.49
314	Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,822	5,57,696.70	4,42,870.71	1,14,825.99
315	Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
316	Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
317	Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	22,002.44	3,545.78	18,456.66
318	Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94
319	The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
320	Siddhartha Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2012)	18,516	2,43,635.93	2,140.89	2,41,495.04
321	Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	45,494.11	42,836.70	2,657.41
322	National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
323	Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	5,48,927.62	5,28,927.62	20,000.00
324	Bharat Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	5,696	20,904.79	7,614.16	13,290.62
325	Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,958	32,042.29	24,042.29	8,000.00
326	Shree Bhadrans Mercantile Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,599	45,780.63	43,405.89	2,374.74
327	Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd., Odisha (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
328	Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	4,102.06	1,464.14	2,637.92
329	Sholapur Nagarik Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,689	4,59,890.08	3,74,890.08	85,000.00
330	Vaso Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)*	34,672	72,219.38	22,835.89	49,383.49
331	Agrasen Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)*	19,631	52,967.42	7,208.00	45,759.42
332	Swami Samarth Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
333	Arjun Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2014)	3,530	61,654.61	34,801.30	26,853.31
334	Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Mydt., Maharashtra (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
335	Silchar Urban Co-operative Bank Ltd., Assam (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
336	Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2014)	1,30,638	28,77,206.83	8,45,716.81	20,31,490.02
337	The Srikakulam Cooperative Urban Bank Ltd., Andhra Pradesh (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
338	Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2016)	14,190	77,816.31	38,211.72	39,604.59
339	Baranagar Co-op Bank Ltd., Kolkata, W.B. (2016)	19,137	1,52,079.54	59,588.31	92,491.23
340	Tandur Mahila Co-op Urban Bank Ltd., Telangana A.P (2016)	1,769	4,308.27	1,581.57	2,726.70
341	Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	3,639	20,783.40	15,309.67	5,473.73
342	Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	4,009	12,879.52	7,710.41	5,169.11
343	Mahatma Phule Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2017)	7,398	1,09,302.97	12,931.83	96,371.14
344	Kasundia Co-op Bank Ltd., West Bengal (2017)	21,045	2,46,373.71	1,67,801.58	78,572.13
345	Lamka Urban Co-op Bank Ltd., Manipur (2017)	317	261.65	0.00	261.65
346	Chatrapur Co-op Urban Bank Ltd., Odisha (2017)	2,025	10,385.18	8,537.44	1,847.74
347	Golaghat Urban Co-op Urban Bank Ltd., Assam (2017)	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
348	Pioneer Urban CBL, Lucknow, Uttar Pradesh (2019)	28,382	68,559.47	65,227.18	3,332.29
349	United Commercial Co-op Bank Ltd, Kanpur, UP (2019)	24,684	2,47,534.55	1,66,492.73	81,041.82
350	Mercantile UCBL Meerut, UP (2019)	19,087	27,434.83	7,956.74	19,478.09
351	Alwar UCBL, Rajasthan (2020)	4,216	1,07,690.90	31,044.42	76,646.47
352	Mahamedha UCBL, Uttar Pradesh (2020)	33,004	3,01,398.79	20,755.49	2,80,643.29
353	C K P Cooperative Bank Ltd, Maharashtra (2020)	50,883	32,17,834.05	23,84,576.42	8,33,257.63
354	Navodaya UCBL, Nagpur (2020)	2,125	1,53,640.88	10,000.00	1,43,640.88
355	Shree Sai UCBL, Mukhed (2020)	449	9,372.57	1,671.30	7,701.27
356	Bhilwara Mahila Urban Co-operative Bank Ltd, Rajasthan (2020)	12,723	2,96,052.00	1,86,770.00	1,09,282.00
357	Mapusa UCBL, Goa (2021)	66,062	25,46,529.22	23,94,864.80	1,51,664.42
358	Karad Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2021)	40,415	36,21,282.31	11,81,333.72	24,39,948.59

APPENDIX TABLE 8: (Contd.)

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
359	Shivam Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2021)	3,595	30,061.61	-	30,061.61
360	Shivajirao Bhosale SBL, Maharashtra (2021)	60,798	28,98,743.94	2,45,904.82	26,52,839.12
361	Karnala NSBL, Maharashtra (2022)	38,325	37,77,117.41	-	37,77,117.41
362	Madgaum UCBL, Goa (2022)	32,221	13,60,410.47	11,48,885.93	2,11,524.55
363	PMC CBL, Maharashtra (2022) *	8,47,506	3,85,08,392.22	-	3,85,08,392.22
TOTAL 'F'			9,20,82,474.20	2,66,23,371.57	6,54,59,102.63
TOTAL (D+E+F)			10,50,35,350.10	3,95,61,366.41 (15,389.41)	6,54,58,594.28
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)			10,79,93,879.83	4,11,36,742.90 (6,41,277.24)	6,62,15,859.70

* Scheme of Amalgamation/Merger

Scheme of Reconstruction.

@ Claim settled on liquidation of the bank.

& Claims settled under Liquid fund adjustment.

^ Claims Settled under other mechanisms.

- Note:
1. The year in which original claims were settled are given in brackets.
 2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31, 2023.
 3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims.
 4. Number of depositors is given for claims settled from 2008 onwards.
 5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

**APPENDIX TABLE 8A: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED -
BANKS PLACED UNDER ALL-INCLUSIVE DIRECTIONS (AID) UPTO MARCH 31, 2023**

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mudhol CBL \$	1,155	1,66,937.15	70,000.00	96,937.15
2	Garha CBL \$	643	1,23,662.49	24,732.50	98,929.99
3	Mantha UCBL \$	28,946	4,48,883.72	-	4,48,883.72
4	Independence CBL \$	269	23,570.22	-	23,570.22
5	Deccan UCBL \$	1,759	1,29,816.98	10,000.00	1,19,816.98
6	Sikar UCBL	1,186	1,82,361.28	-	1,82,361.28
7	Peoples CBL \$	872	71,998.85	-	71,998.85
8	Shri Anand CBL \$	10,971	90,568.55	-	90,568.55
9	Maratha SBL	8,925	14,01,143.38	2,80,228.68	11,20,914.70
10	City CBL	12,563	23,09,917.07	-	23,09,917.07
11	Millath CBL \$	2,460	1,08,929.25	10,000.00	98,929.25
12	Sarjeraodada Naik Shirala SBL \$	10,888	6,81,199.86	2,50,000.00	4,31,199.86
13	Padmashri Vitthalrao Vikhe Patil CBL	290	42,799.01	8,559.80	34,239.21
14	Kapol CBL	21,573	23,01,580.76	4,60,316.15	18,41,264.61
15	Shri Gururaghavendra SBN	22,248	71,29,284.44	-	71,29,284.44
16	Adoor CBL	252	62,934.00	62,934.00	-
17	Seva Vikas CBL \$	13,344	15,12,751.64	4,54,355.79	10,58,395.85
18	Babaji Date Mahila SBL \$	18,595	29,44,731.02	69,300.00	28,75,431.02
19	Laxmi CBL \$	20,565	19,36,111.38	3,87,600.00	15,48,511.38
20	Malkapur UCBL	24,397	49,69,836.47	9,30,000.00	40,39,836.47
21	Nagar UCBL	17,269	29,48,475.49	5,89,695.10	23,58,780.39
22	Rupee CBL \$	64,024	69,98,052.69	25,34,933.90	44,63,118.79
23	The Indian Mercantile UCBL	136	29,086.32	-	29,086.32
24	Dwarkadas Mantri NSBL	2,834	4,49,243.06	-	4,49,243.06
25	Shushruti Souharda SBN, Bengaluru	1,821	5,41,574.79	-	5,41,574.79
26	Shankar Rao Pujari Nutan SBL	4,121	4,16,052.71	-	4,16,052.71
27	Harihareshwar SBL	4,208	5,72,373.06	-	5,72,373.06
28	Shri Sharada Mahila CBL	530	1,29,510.42	-	1,29,510.42
29	Sangli SBL	1,492	2,86,733.00	-	2,86,733.00
30	Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamita	510	58,897.30	-	58,897.30
31	Nashik Zilla Girna SBL	1,353	1,62,712.66	-	1,62,712.66
32	Saibaba Janta SBL	1,019	1,88,282.97	-	1,88,282.97
33	Durga Co-operative Urban Bank Ltd., Vijayawada	290	98,423.21	-	98,423.21
34	Jaiprakash Narayan NSBL, Basmatnagar	1,187	2,21,990.82	-	2,21,990.82
35	Thodupuzha Urban CBL, Kerala	3,735	8,50,855.69	-	8,50,855.69
36	Sumerpur Mercantile UCBL, Sumerpur, Pali	3,714	4,43,204.64	-	4,43,204.64
Total		3,10,144	4,10,34,486.35	61,42,655.91	3,48,91,830.44

\$ The banks have since been liquidated in Q4 FY22 after payment of claims u/s 18(A) of DICGC (Amendment) Act, 2021.

Note:1) Repayment is to be made to the Corporation in five instalments beginning after December 31, 2022.

2) The Corporation has received a refund of ₹ 3.91 crore which was sanctioned in terms of provisions of section 18A of the DICGC Act and was lying undisbursed at the time of deregistration of such banks consequent to cancellation of the license by RBI.

APPENDIX TABLE 8B: INSURANCE CLAIMS SETTLED UNDER EXPEDITIOUS SETTLEMENT SCHEME - UPTO MARCH 31, 2023

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ajmer Urban Co-op Bank Ltd., Rajashtan (2016)*		3,18,602.37
2	Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2018)		2,946.90
3	Shri Chhatrapati UCBL, Maharashtra (2018)		27,601.00
4	Gokul UCBL Andra Pradesh/ Telangana (2019)		13,579.00
5	Bhopal Nagarik SBL, MP(2019)		84,394.67
6	Brahmawart Commercial CBL, UP (2021)	26,425	2,51,000.00
7	Ghaziabad UCBL, UP (2021)		1,16,856.00
8	Hardoi UCBL, UP (2021)	11,918	42,022.68
9	Vasantdada NSBL Osmanabad , Maharashtra (2021)		3,28,300.00
10	Bhagyodaya Friends UCBL, Maharashtra (2021)		80,463.93
11	Dr. Shivajirao Patil Nilangekar UCBL, Maharashtra (2021)		16,885.96
Total			12,82,652.51

* The claim amount is considered as repayment received.

Note: The Corporation had formulated the policy dated June 06, 2008, on expeditious settlement of claims with a view to mitigate the hardship faced by depositors due to non-submission of the claim list by liquidators of the aforementioned banks. Accordingly, after obtaining the in-principle approval of DICGC, the liquidator may settle the claims of all depositors of the bank up to the extent provided under DICGC Act out of the liquid funds available with the bank if the same are adequate to make payment to all depositors up to the limit insured by DICGC. Further, if the liquid funds are not adequate to make payment to the extent insured by DICGC to all the depositors of the bank, then payment shall be made to only such depositors who are eligible as per the DICGC Act.

4.

AUDITOR'S REPORT

Tel.: +91-22-22870588 / 0939 / 4140 / 22885229

Fax: +91-22-22884910

Email: admin@nbsandco.in

Web.: www.nbsandco.in

NBS & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

14/2, Western India Building,

Sir P. M. Road, Fort,

Mumbai - 400 001.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Report on the Audit of the Financial Statements


Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ("the Corporation"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2023 of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and the General Fund, the revenue accounts and cash flow statement for the year ended of the said three funds, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, as amended by The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Act, 2021 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the three funds of the Corporation as at 31st March, 2023, and its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial



statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Corporation's Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Report of the Board of Directors on the working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation included in the Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.


Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors are responsible for the matters stated in the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate



accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.


As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.



- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Corporation.
- Conclude on the appropriateness of Corporation's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.




We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

We report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.
- c) The Balance Sheet, the Revenue account and the Cash Flow Statement of the three funds dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of the preparation of the financial statements.
- d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 wherever applicable.

Place: Mumbai
Date: June 21, 2023



For NBS & Co.
Chartered Accountants
FRN.: 110100W.

CA Pradeep Shetty
Partner

Membership No.: 046940
UDIN: 22046940AJNCFY5238

5.

BALANCE SHEET AND ACCOUNTS


DEPOSIT INSURANCE AND (Established under the Deposit Insurance (Regulation 18- Balance sheet as at the close I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		LIABILITIES	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
13,97,403.00	0.00	1.Fund : (Balance at the end of the year)	12,17,447.00	0.00
		2. Surplus as per Revenue Account:		
1,17,62,903.41	54,235.83	Balance at the beginning of the year	1,32,86,843.14	57,602.72
15,23,939.73	3,366.89	Add: Transferred from Revenue Account	24,55,879.88	3,593.20
1,32,86,843.14	57,602.72	Balance at the end of the year	1,57,42,723.02	61,195.92
		3. (a) Investment Reserve		
0.00	0.00	Balance at the beginning of the year	0.00	0.00
0.00	0.00	Add: Transferred from Revenue Account	1,85,046.39	0.00
0.00	0.00	Balance at the end of the year	1,85,046.39	0.00
		(b) Investment Fluctuation Reserve		
6,31,378.18	3,462.16	Balance at the beginning of the year	6,46,145.40	3,462.16
14,767.22	0.00	Transferred from Revenue Account	43,059.01	0.00
6,46,145.40	3,462.16	Balance at the end of the year	6,89,204.41	3,462.16
20,318.85	0.00	4.Claims Intimated and Admitted But Not paid	18,084.91	0.00
0.00	0.00	5.Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted	0.00	0.00
0.00	0.00	6.Insured Deposits in respect of Banks De-registered	0.00	0.00
4,452.61	0.00	7. Insured Deposits remaining unclaimed	4,469.55	0.00
		8. Other Liabilities		
552.88	0.00	(i) Sundry Creditors	131.57	0.00
15,75,704.48	3,255.75	(ii) Provision for Income Tax	8,40,392.50	1,208.49
19,198.25	0.00	(iii) Securities deliverable under Reverse Repo A/c Payable	1,08,221.75	0.00
135.98	0.00	(iv) Amount refundable to Banks	99.17	0.00
0.01	0.00	(v) CGST,SGST & IGST Payable	4.82	0.00
15,95,591.60	3,255.75		9,48,849.81	1,208.49
1,69,50,754.60	64,320.63	Total	1,88,05,825.09	65,866.57

As per our report of even date

For NBS & Co.


Chartered Accountants
FRN.: 110100W.


CA Pradeep Shetty
Partner (M. No.: 46940)
June 21, 2023
UDIN: 22046940AJNCFY5238





Dr. M D Patra

Chairman


Anup Kumar
Chief General Manager


Dr. Deepak Kumar
Executive Director


S Sathish Kumar
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on March 31, 2023
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in lakhs)

Previous Year		ASSETS	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
8.11	413.72	1. Balance with the Reserve Bank of India	1,656.51	15.84
0.00	0.00	2. Cash in Transit	0.00	0.00
		3. Investments in Central Government Securities (at cost)		
0.00	0.00	Treasury Bills	0.00	0.00
1,48,74,725.92	58,852.38	Dated Securities	1,73,73,783.55	63,713.32
1,48,74,725.92	58,852.38		1,73,73,783.55	63,713.32
1,44,71,139.01	57,838.75	Face Value	1,70,12,053.89	62,613.56
1,50,58,810.45	62,272.81	Market Value	1,71,88,737.16	64,918.81
2,57,786.25	842.44	4. Interest accrued on investments	3,09,569.55	910.40
		5. Other Assets		
3,134.57	0.00	(I) Sundry Debtors	0.00	0.00
17,57,829.18	4,212.09	(ii) Advance Income Tax	8,85,342.54	1,227.01
19,210.81	0.00	(iii) Reverse Repo Asset/Reverse Repo interest receivable	1,08,242.83	0.00
19,198.25	0.00	(iv) Securities purchased under Reverse Repo	1,08,221.75	0.00
20.75	0.00	(v) Service Tax/CGST/SGST/IGST receivable	167.60	0.00
18,840.76		(vi) Disputed Service Tax paid (under protest)	18,840.76	
18,18,234.32	4,212.09		11,20,815.48	1,227.01
1,69,50,754.60	64,320.63	Total	1,88,05,825.09	65,866.57


Pankaj Sharma
 Director



Shaji K.V.
 Director

**DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)**


Previous Year		EXPENDITURE	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
		1. To Claims:		
8,09,381.59	0.00	(a) Paid during the year	71,251.43	0.00
2,699.99	0.00	(b) Admitted but not paid	1,692.97	0.00
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		
0.00	0.00	At the end of the year		
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00	0.00
0.00	0.00	(d) Insured Deposits in respect of banks de-registered	0.00	0.00
0.00	0.00	At the end of the year	0.00	0.00
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00	0.00
0.00	0.00	(e) Less provision in r/o untraceable depositors written back	18.44	0.00
8,12,081.58	0.00	Net Claims	72,962.84	0.00
13,97,403.00	0.00	2.To Balance of Fund at the end of the year (as per Actuarial Valuation)	12,17,447.00	0.00
0.00	0.00	3.To Provision for diminution in value of investments credited to investment Reserves	1,85,046.39	0.00
20,56,621.27	4,499.26	To Net Surplus Carried Down	33,39,131.04	4,801.69
42,66,105.85	4,499.26	TOTAL	48,14,587.27	4,801.69
		To Provision for Taxation		
5,17,610.44	1,132.37	Current Year	8,40,392.50	1,208.49
303.88	0.00	Earlier Years - Short (Excess)	(200.35)	0.00
0.00	0.00	Deferred Tax	0.00	0.00
14,767.22	0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)	43,059.01	0.00
15,23,939.73	3,366.89	To Balance Carried to Surplus Account	24,55,879.88	3,593.20
20,56,621.27	4,499.26		33,39,131.04	4,801.69


As per our report of even date

For NBS & Co.
Chartered Accountants
FRN.: 110100W.



CA Pradeep Shetty
Partner (M. No.: 46940)
June 21, 2023
UDIN: 22046940AJNCFY5238




Dr. M D Patra
Chairman


Anup Kumar
Chief General Manager


Dr. Deepak Kumar
Executive Director


S Sathish Kumar
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION**'B')****Year ended March 31, 2023****AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)**

(₹ in lakhs)

Previous Year		INCOME	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
12,27,527.00	0.00	1.By Balance of Fund at the beginning of the year	13,97,403.00	0.00
19,49,081.80	0.00	2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)	21,38,112.99	0.00
39,894.92	0.50	3.By recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)	88,278.97	2.61
		4.By income from Investments		
10,53,530.27	4,498.76	(a) Interest on Investments	11,79,615.50	4,799.08
(8067.33)	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	1,467.72	0.00
4,139.19	0.00	c) By Reverse Repo interest income A/c	9,709.09	0.00
10,49,602.13	4,498.76		11,90,792.31	4,799.08
		5. Other Incomes		
0.00	0.00	Depreciation in value of Investments written back	0.00	0.00
42,66,105.85	4,499.26	TOTAL	48,14,587.27	4,801.69
20,56,621.27	4,499.26	By Net Surplus Brought Down	33,39,131.04	4,801.69
20,56,621.27	4,499.26		33,39,131.04	4,801.69



Pankaj Sharma
Director



Shaji K.V.
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18-
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

Previous Year		Current Year
Amount	LIABILITIES	Amount
5,000.00	1. Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)	5,000.00
	2. Reserves	
	A) <u>General Reserve</u>	
55,819.36	Balance at the beginning of the year	58,514.84
2,695.48	Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Account	13,421.95
58,514.84		71,936.79
	B) <u>Investment Reserve</u>	
0.00	Balance at the beginning of the year	0.00
0.00	Transferred from Revenue account	0.00
0.00		0.00
	(C) <u>Investment Fluctuation Reserve</u>	
4,030.06	Balance at the beginning of the year	4,030.06
0.00	Transferred from Revenue Surplus	0.00
4,030.06		4,030.06
	3. Current Liabilities and Provisions	
201.08	Outstanding Expenses	318.04
21.46	Sundry Creditors	23.00
1,343.87	Provision for Income Tax	4,516.94
1.34	CGST & SGST Payable	1.28
1,567.75		4,859.26
69,112.64	Total	85,826.11

As per our report of even date

For NBS & Co.


Chartered Accountants
FRN.: 110100W.



CA Pradeep Shetty
Partner (M. No.: 46940)
Mumbai
June 21, 2023
UDIN: 22046940AJNCFY5238




Dr. M D Patra
Chairman


Anup Kumar
Chief General Manager


Dr. Deepak Kumar
Executive Director


S Sathish Kumar
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on March 31, 2023
FUND (GF)

(₹ in lakhs)

Previous Year	ASSETS		Current Year
Amount			Amount
	1. CASH		
0.00	(i) In hand		0.00
19.73	(ii) With Reserve Bank of India		72.63
19.73			72.63
	2. Investments in Central Government Securities (At Cost)		
0.00	Treasury Bills		0.00
16,437.67	Dated Securities		61,051.28
45,170.34	Dated Securities deposited with CCIL(Face Value ₹17,100)		16,361.70
61,608.01			77,412.98
62,121.94	Face Value		78,490.44
62,659.79	Market Value		78,102.26
1,113.41	3. Interest accrued on Investments		1,960.38
	4. Other Assets		
23.18	Project IASS Capitalised		10.40
31.16	Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)		51.22
0.00	Stock of Stationery		0.00
0.26	Staff Advances		5.37
5,035.00	Margin Deposit with CCIL		1,825.00
1,058.73	Advance Income Tax / TDS		4,430.45
223.16	CGST, SGST & IGST receivable		57.23
0.00	Sundry Debtors		0.45
6,371.49			6,380.12
69,112.64	Total		85,826.11


Pankaj Sharma
 Director


Shaji K.V.
 Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Form 'B')

Revenue Account for the year ended March 31, 2023

II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in lakhs)

Previous Year Amount	EXPENDITURE	Current Year Amount	Previous Year Amount	INCOME	Current Year Amount
1,162.09	To Payment / Reimbursement of staff cost staff	1,690.07		By Income from Investments	
0.00	To Directors' and Committee Memebrs' Fees	0.00	4,539.59	(a) Interest on Investments	5,045.02
0.36	To Directors' / Committee Members' Travelling & other expenses	5.06	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments	10.20
347.96	To Rents,Taxes, Insurance, Lightings etc.	331.99	4,539.59		5,055.22
369.25	To Establishment, Travelling and Halting Allowances	560.30			
24.13	To Printing, Stationery and Computer Consumables	25.27	0.00	By depreciation on Investmenst written back	0.00
88.18	To Postage, telegrams and Telephones	92.89			
89.53	To Auditors' Fees	94.19		By Miscellaneous Receipt	
43.62	To Legal Charges	63.06	0.00	Interest on advances to staff	0.00
9.33	To Advertisements	15.67	(0.73)	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)	(0.15)
0.00	To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve	0.00	1,792.34	Interest on refund of income tax	16,399.98
0.00	To Miscellaneous Expenses	0.00	0.01	Other misc receipts	0.00
7.00	Professional Charges	25.02	1,791.62		16,399.83
369.75	Service Contract / Maintenance	364.76			
7.06	Books, News Papers, Periodicals	6.08			
2.19	Book Grants	4.81			
1.28	Repair of Office Property-Dead Stock	12.39			
118.37	Transaction Charges-CCIL	96.82			
72.83	Others	102.49			
578.48		612.37			
11.71	Depreciation	18.44			
4.53	Depreciation on IASS	9.63			
3,602.04	To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down	17,936.11			
6,331.21	Total	21,455.05	6,331.21	Total	21,455.05
	To balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down		3,602.04	By balance being excess of income over expenditure for the year - Carried Down	17,936.11
	To Provision for Income Tax				
906.56	Current Year	4,514.16			
0.00	Earlier Years - Short (Excess)	0.00			
0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)	0.00			
2,695.48	To General Reserve Account	13,421.95			
3,602.04	Total	17,936.11	3,602.04	Total	17,936.11

As per our report of even date

For NBS & Co.

Chartered Accountants

FRN.: 110100W.

Signature of CA Pradeep Shetty

CA Pradeep Shetty

Partner (M. No.: 46940)

Mumbai

June 21, 2023

UDIN: 22046940AJNCFY5238



Signature of Dr. M D Patra

Dr. M D Patra
Chairman

Signature of Shaji K.V.

Shaji K.V.
Director

Signature of Dr. Deepak Kumar

Dr. Deepak Kumar
Executive Director

Signature of Anup Kumar

Anup Kumar
Chief General Manager

Signature of Pankaj Sharma

Pankaj Sharma
Director

Signature of S Sathish Kumar

S Sathish Kumar
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Deposit Insurance Fund & Credit Guarantee Fund
Cash Flow Statement for the Period ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Period ended 31-03-2022		PARTICULAR	Period ended 31-03-2023	
Amount			Amount	
DIF	CGF		DIF	CGF
Cash Flow from Operating Activities				
20,56,621.27	4,499.26	Excess of Income over Expenditure (a)	33,39,131.04	4,801.69
Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :				
(10,57,669.46)	(4,498.77)	Interest on Investments	(11,89,324.58)	(4,799.08)
8,067.33	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities	(1,467.72)	0.00
0.00	0.00	Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)	0.00	0.00
0.00	0.00	Transfer to Investment Reserve	1,85,046.39	0.00
0.00	0.00	Interest on Refund received	0.00	0.00
0.00	0.00	Taxes	0.00	0.00
1,69,876.00	0.00	Provision in fund balance (as per Actuarial valuation)	(1,79,956.00)	0.00
(8,79,726.13)	(4,498.77)	(b)	(11,85,701.91)	(4,799.08)
Changes in Operating Assets and Liabilities:				
ASSETS :				
Decrease/(Increase) in				
(5,30,932.64)	(630.29)	Increase in Advance Income Tax /TDS	(7,03,017.48)	(270.67)
(3,134.57)	0.00	Sundry Debtors	3134.57	0.00
36.09	0.00	CGST, IGST & SGST receivable	166.23	0.00
35,909.23	0.00	Other Assets	(1,78,368.60)	0.00
0.00	0.00	Disputed Service Tax/Interest paid account	0.00	0.00
(4,98,121.89)	(630.29)	(c)	(8,78,085.28)	(270.67)
LIABILITIES :				
(Decrease)/Increase in				
(35,323.02)	0.00	Estimated Liability in respect of claims intimated but not paid	(2,233.94)	0.00
(3.70)	0.00	Unclaimed Deposits	16.94	0.00
(362.45)	0.00	Sundry Creditors	(421.31)	0.00
0.00	0.00	Sundry Deposit Accounts	0.00	0.00
(35.59)	0.00	Service Tax Payable A/C	(36.81)	0.00
(16,600.10)	0.00	Securities deliverable under Reverse Repo A/C	89,023.49	0.00
0.00	0.00	Swachh Bharat Payable	0.00	0.00
(31.38)	0.00	CGST, SGST & IGST Payable	4.81	0.00
(52,356.23)	0.00	(d)	86,353.18	0.00
6,26,417.02	(629.80)	Net Cash Flow from Operating Activites: (a+b+c+d) (A)	13,61,697.03	(268.06)
Cash Flow from Investing Activities				
10,33,979.98	4,433.38	Interest on Investments Received	11,37,541.28	4,731.12
(8067.33)	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities	1,467.72	0.00
0.00	0.00	Transferred to GF	0.00	0.00
Decrease/(Increase) in				
(16,52,427.33)	(3,397.12)	Increase in Investments in Central Government Securities	(24,99,057.63)	(4,860.94)
(6,26,514.68)	1,036.26	Net Cash Flow from Investing Activites (B)	(13,60,048.63)	(129.82)
0.00	0.00	Cash Flow from Financing Activites (C)	-	0.00
(97.66)	406.46	Net Increase/decrease in Cash (A+B+C)	1,648.40	(397.88)
105.77	7.25	Cash Balance at beginning of period	8.11	413.72
8.11	413.72	Cash Balance at the end of year	1,656.51	15.84

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

As per our report of even date

For NBS & Co.

Chartered Accountants

FRN.: 110100W.

CA Pradeep Shetty

Partner (M. No.: 46940)

Mumbai

June 21, 2023

UDIN: 22046940AJNCFY5238



Dr. M D Patra

Dr. M D Patra
Chairman

Shaji K.V.

Shaji K.V.
Director

Dr. Deepak Kumar

Dr. Deepak Kumar
Executive Director

Anup Kumar

Anup Kumar
Chief General Manager

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma
Director

S Sathish Kumar

S Sathish Kumar
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
II. GENERAL FUND (GF)
Cash Flow Statement for the Period ended March 31, 2023

(₹ in lakhs)

Previous Year 31st March 2022 Amount	Particulars	Period ended 31st March 2023 Amount
	Cash Flow from Operating Activities	
3,602.04	Excess of Income over Expenditure (a)	17,936.11
	Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :	
11.71	Depreciation	18.44
4.53	Depreciation on IASS	9.63
(4,539.59)	Interest on Investments	(5,045.02)
0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities	(10.20)
0.00	Transfer to Investment Reserve	0.00
0.00	Excess Provision written back	0.00
0.00	Interest on Advances to Staff	0.00
0.73	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock	0.15
0.01	Others -Misc Receipts	0.00
0.00	Income Tax	0.00
(4,522.62)	(b)	(5,027.00)
	Changes in Operating Assets and Liabilities :	
	ASSETS :	
	Decrease (Increase) in	
0.00	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons	0.00
(110.27)	CGST, SGST & IGST receivable	165.93
10.80	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.	(5.11)
(587.43)	Advance Income Tax	(4,706.34)
(3,000.00)	Margin Deposit with CCIL	3,210.00
0.00	Interest accrued on Staff Advances	0.00
0.00	Sundry Debtors	(0.45)
(12.43)	Project Cost	12.78
(3,699.33)	(c)	(1,323.19)
	LIABILITIES :	
	Increase (Decrease) in	
0.00	With Reserve Bank of India	0.00
0.00	Outstanding Employees' Cost	0.00
(667.97)	Outstanding Expenses	116.96
(1.14)	Sundry Creditors	1.55
6.99	Other Deposits/ TDS	(6.47)
1.16	CGST & SGST Payable	(0.06)
(660.96)	(d)	111.98
(5,280.87)	(A)	11,697.90
	Net Cash Flow from Operating Activities	
3,883.16	Cash Flow from Investing Activities	
0.00	Interest on Investments Received	4,198.05
0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities	10.20
0.00	Interest on Advances to Staff	0.00
(0.01)	Funds received from DIF	0.00
0.00	Others	0.00
	Decrease(Increase) in	
(12.66)	Fixed assets	(48.28)
	Investments in Central Government Securities :	
0.00	Treasury Bills	0.00
28,630.76	Dated Securities	(44,613.61)
(27,254.16)	Dated Securities deposited with CCIL	28,808.64
5,247.10	(B)	(11,645.00)
0.00	(C)	0.00
(33.77)	(A+B+C)	52.90
	Net Increase in Cash	
	Cash Balance at Beginning of Year	
	In Hand	0.00
53.49	With RBI	19.73
19.73	Cash Balance at the end of year	72.63

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

As per our report of even date

For NBS & Co.

Chartered Accountants

FRN.: 110100W.

CA Pradeep Shetty

Partner (M. No.: 46940)

Mumbai

June 21, 2023

UDIN: 22046940AJNCFY5238



Dr. M D Patra
Chairman

Shaji K.V.

Director

Dr. Deepak Kumar
Executive Director

Anup Kumar

Chief General Manager

Pankaj Sharma
Director

S Sathish Kumar

General Manager

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF ACCOUNTING:

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION:

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

i. Premium:

- a. Deposit insurance premium are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

- b. In case premium payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premium income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premium income, if any, already recognised for such insured banks.
- c. Penal interest for delay in payment of premium is recognised only on actual receipt.

ii. Deposit Insurance Claims

- a. Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.
- b. Contingent liability (being contra) to the extent of insured deposits is made on de-registration of bank. Further, as per DICGC Amendment Act, 2021, the same will also be made for insured banks placed under direction /prohibition by the competent authority.
- c. In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the contingent liability as created at para (b) specified above, is reversed and provision of the crystallised liability as per deposit liability submitted by the liquidator in the form of Main Claims is taken into the books of account of the Corporation and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process whichever is earlier.

- d. Further, for the claim settlement under section 18A of DICGC Amendment Act, 2021 the accounting policy indicated above stands same. The provision of liability as per the First List of willing depositors submitted by the bank will be held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 18A of the DICGC Act, 2021 or at the end of direction/merger/amalgamation, whichever is earlier.
- e. Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process or till completion of 10 years of liquidation, whichever is earlier. As per the approval granted in the 248th meeting of the Board of Directors of the Corporation held on April 6, 2018, the provisions held under the account heads namely unidentifiable (account number - 1070200) and untraceable (account number - 1060100) depositors for banks liquidated for more than 10 years are reversed and parked in a separate contingent liability account for monitoring and making payment subsequently (if claims received) for the amount written back. This exercise is to be done annually for banks liquidated for more than 10 years period.

iii. Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled and paid is accounted in

the year in which it is confirmed by the liquidators.

Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/ adjusted. The receipts of repayment in respect of the claims paid under section 18A of DICGC Amendment Act, 2021 will depend upon the time frame decided by the Board considering the capacity of the insured banks while taking into account prudential norms and can be deferred (as per Section 21 (3) of DICGC Amendment Act, 2021). In case of delay in repayment beyond the time period prescribed, penal interest at a maximum rate of two percent above the repo rate per annum for the amount to be repaid to the Corporation will be charged by Corporation (as per Section 21 (4) of DICGC Amendment Act, 2021).

- i. Interest on investments is accounted for on accrual basis.
- ii. Profit / Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. INVESTMENTS:

- i. All investments are current investments. Government Securities are valued at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury bills are valued at carrying cost.
- ii. Net Depreciation, if any, within category is recognised in the Profit & Loss Account. Net Appreciation, if any, under the category is ignored.
- iii. Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet,

but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

- iv. Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.
- v. Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.
- vi. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing /Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

5. Fixed Assets:

- i. Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost for bringing the asset to its working condition for its intended use.
- ii. a) Depreciation on computers, microprocessors, software (costing

₹1 lakh and above), motor vehicles, furniture, *etc.* is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	Rate of depreciation
Computers, microprocessors, software, <i>etc.</i>	33.33%
Motor vehicles, furniture, <i>etc.</i>	20%

(b) Depreciation on additions during the period up to 180 days is provided for full year, otherwise, to be provided for half year. No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

- iii. Fixed Assets, costing less than ₹1 lakh, (except easily portable electronic assets such as laptops, *etc.*, costing more than ₹10,000) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition.

6. Leases:

Assets acquired under leases, where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor, are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. Employees' Benefits / Cost:

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. Taxation on Income:

The expenditure comprises of current Tax and Deferred Tax. Current Tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income Tax Act. Deferred

Tax is recognised, subject to consideration of prudence on timing differences, as the difference between taxable income and accounting income/ expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred taxes are reviewed for their carrying value at each balance sheet date.

9. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the Recoverable Amount is less than its carrying value. Carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset with its estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment has to be recognized and it is measured by the amount by which the carrying amount of the assets exceeds estimated current realizable value of the asset.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

- i. In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent

Assets, the Corporation recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

- ii. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.
- iii. Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.
- iv. Contingent Assets are not recognized.
- v. Contingent Liability is potential liability that may occur depending upon outcome of an uncertain future event. A contingent liability is recorded in the accounting records, if contingency is probable and amount of liability can be reliably estimated.

NOTES TO ACCOUNTS**1. CONTINGENT LIABILITIES NOT PROVIDED:****A. Service Tax:**

(₹ in crore)

Nature of Contingent Liability	Current year	Previous year
Service Tax	175.51	175.51

Explanatory Notes:**I. October 01, 2006 to September 30, 2011 (₹5,367.42 crore):**

The Service Tax Department vide order dated January 10, 2013, raised a service tax demand amounting to ₹5,367.42 crore for the period October 01, 2006 to September 30, 2011 (including interest and penalty) by treating the activity of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) under the category of 'General Insurance Business'. Corporation filed an appeal on April 8, 2013 at CESTAT against the order. CESTAT vide order dated March 11, 2015 granted relief to the Corporation by setting aside entire demand of ₹5,367.42 crore for the period prior to September 20, 2011. However, CESTAT also held that the activity of the Corporation is covered under the category of "General Insurance Business" and the Corporation is liable to pay Service Tax. The Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court for admission of appeal against CESTAT order setting aside the entire demand of ₹5,367.42 crore. The Corporation has filed a counter affidavit in Supreme Court on July 20, 2016 and the matter is yet to come up for hearing. The Corporation also filed an appeal on September 09, 2015 before the Hon'ble Mumbai High Court against the confirmation of categorisation of activity as falling

under "General Insurance Business".

In the meantime, Service Tax Department approached CESTAT for levy of penalty under Section 76 instead of Section 78 for the period April 01, 2011 to September 30, 2011 amounting to ₹283 crore which was also dismissed vide order dated April 27, 2017 on the grounds that the issue has been decided in favor of the Corporation on merit vide order dated March 11, 2015. [Section 76 provides for levy of penalty where a person liable to pay Service Tax fails to pay Service Tax; Section 78 provides for levy of penalty when the Service Tax had not been levied or not been paid on account of fraud, wilful misstatement, suppression or collusion]. Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court against the said order of the CESTAT. The Hon'ble Supreme Court tagged the same with Civil Appeal Nos.3340-3342 of 2016.

II. October 01, 2011 to March 31, 2013 (₹118.64 crore plus interest for delay ₹56.87 crore):

Consequent to the Computer Aided Audit Programme (CAAP Audit), Service Tax Department, vide letter dated June 26, 2014 asked the Corporation to pay ₹118.64 crore as 'additional service tax liability' for the period from October 01, 2011 to March 31, 2013, by treating the premium received by the Corporation as 'exclusive of Service Tax'. The Corporation had treated the premium received for the period as 'inclusive of Service Tax'. The Corporation paid an amount of ₹88.44 crore on January 8, 2015 and ₹30.2 crore on June 30, 2015 (total of ₹118.64 crore) 'under protest'. The Corporation also paid the interest of ₹39.46 crore (Service Tax authorities considered March 31 and October 06 as the due date for payment for calculation of interest *vis-à-vis* June 06 and December 06 respectively as determined by the Corporation) 'under protest'.

Commissioner (Appeals) vide order dated January 11, 2016 had held that the treatment of premium by the Corporation as 'inclusive of service tax' was as per provisions of law. However, Commissioner did not dwell on the issue relating to due date of payment under Point of Taxation Rules 2011. The Corporation accordingly filed an appeal before CESTAT against the order on April 18, 2016. Department also filed an appeal before CESTAT against the order of Commissioner (Appeals).

Department issued a Show Cause Notice in May 2016 for the interest payment of ₹17.40 crore (excluding ₹39.6 crore paid by DICGC). Commissioner vide order dated August 16, 2018 had confirmed the demand raised. The Corporation filed an appeal before CESTAT, Mumbai on November 26, 2018 and an application for refund vide letter dated June 1, 2018 for ₹158 crore was filed as payment was made under protest. Assistant Commissioner vide order dated May 20, 2020 rejected the request for refund. The Corporation filed an appeal before Commissioner (Appeals) on October 20, 2020 against the order. Subsequently, a personal hearing in respect of the refund of ₹158 crore was held on January 06, 2021. As a result, the Corporation received an order dated March 18, 2021 wherein Commissioner (Appeals) set aside the impugned order and decided the issue pertaining to refund of ₹158 crore in favour of the Corporation.

As the decision was in the Corporation's favor, Service Tax Department was approached for refund vide letter dated June 02, 2021. However, Service Tax Department filed an appeal against the decision in CESTAT.

B. Claims:

(₹ in crore)

Contingent liability pertaining to	Accounting Code	March 31, 2023	March 31, 2022
a) Deregistered Banks	1080002	418.58	54.51
b) Untraceable depositors	1080006	149.40	149.59
c) Unidentifiable depositors	1080005	87.64	87.65
d) Banks under AID	1080003	507.21	2,619.13

2. Amendment of Section 18 of DICGC Act 1961:

Apropos the amendment to DICGC Act, 1961 a new Section 18A has been inserted in the Act with effect from September 01, 2021, wherein DICGC is liable to pay depositors of such insured banks in respect of which any direction is issued or any prohibition or order or scheme is made under any of the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and such direction, prohibition, order or scheme provides for restrictions on depositors of such bank from accessing their deposits. Accordingly, DICGC has paid ₹649.92 crores in respect of 28 banks during the year (₹3,457.85 crores in respect of 22 banks during FY 2021-22).

3. Investment Fluctuation Reserve:

The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained as a cushion against market risk. IFR held in excess of the market risk computed is retained and carried forward in terms of the accounting policy. As on March 31, 2023, IFR of ₹6,966.96 crore was maintained (₹6,536 crore as on March 31, 2022).

5. REPO TRANSACTIONS (AS PER RBI PRESCRIBED FORMAT)

In Face Value Terms (₹ in crore)

Disclosure	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the Year	As on March 31, 2023
I. Securities Sold under Repo				
a) Government Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Securities Purchased under Reverse Repo				
a) Government Securities	3.06	11,658.29	1,863.85	1,074.95
b) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Intra Day Liquidity Arrangement with RBI:

The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹2,500 crore earmarked by Reserve Bank of India towards Intra Day Liquidity (IDL) facility extended to the Corporation.

6. INCOME TAX:

The Corporation has exercised the option of paying income tax at the rate of 22% as provided in Section 115BAA of the Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2019 for Financial Year 2022-23 (AY2023-24).

7. ACTUARIAL VALUATION:

Risk default probability and loss ratio approach were used for calculating the actuarial valuation as on March 31, 2023. (Discounted Cash Flow Projection Technique was used for valuation as on March 31, 2022).

8. RELATED PARTY DISCLOSURE:

Key Management Personnel:

Dr. Deepak Kumar, Executive Director, Reserve Bank of India, held the charge of the affairs of the Corporation from April 1, 2022 to March 31, 2023. He drew salary and perquisites from the Reserve Bank of India.

9. SEGMENT REPORTING:

The Corporation is, at present, primarily engaged in providing deposit insurance to banks at a uniform rate of premium irrespective of the category of the bank. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either business or geographical.

10. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.

